

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 883/2024

IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "EXPERTS FLAG LARGE-SCALE CLEARING OF VEGETATION IN MIRZAPUR FOREST" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 03.07.2024

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI	
2.	TRUE COPY OF THE LETTER DATED 18.03.2025 ALONG WITH COMPLIANCE REPORT IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-1	

THROUGH COUNSEL



BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
bhanwar09jadon@gmail.com | 6375115224

DATE:21.05.2025

PLACE: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 883/2024



IN THE MATTER OF:

NEWS ITEM TITLED "EXPERTS FLAG LARGE-SCALE CLEARING OF VEGETATION IN MIRZAPUR FOREST" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 03.07.2024

AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1 IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.07.2024 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

I MANEESH MITTAL, aged about 45 years, S/o Shri RAM AUTAR MITTAL posted as Chief Conservator of Forests, Mirzapur, State of U.P., do hereby most solemnly state and affirm as under:

1. That by virtue of the authorization letter dated 18.03.2025, the undersigned has been duly empowered to file the present affidavit on behalf of the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department State of Uttar Pradesh. The submissions set forth herein are solely made in accordance with the instructions dated 05.02.2025, as provided by the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, State of



Uttar Pradesh, pursuant to the aforementioned authorization letter dated 18.03.2025.

True copy of letter dated 18.03.2025 along with compliance report is annexed herewith and marked as ANNEXURE-1.

I. DIRECTIONS OF THE HON'BLE TRIBUNAL

2. That the Hon'ble Tribunal vide order dated 23.07.2024 directed the Respondent No. 1 to file their response to the issues raised in the present Original Application. The relevant paragraph of the order is as stated below:

"...10. Hence, we implead following as respondents in this matter:

- (i) Principal Chief Conservator of Forest, Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, 17, RanaPratapMarg, Lucknow, (Uttar Pradesh)- 226001*
- (ii) Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh, 17, RanaPratapMarg, Lucknow 226001, Uttar Pradesh*
- (iii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Through its Regional Office, Integrated Regional Office, KendriyaBhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow – 226020*
- (iv) District Magistrate, Mirzapur, Rambagh Rd, Ramaipatti, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001*

11. Issue notice to the above Respondents for filing their response

↓



atleast one week before the next date of hearing..."

3. That in compliance with the Hon'ble Tribunal's Order dated 23.07.2024, the following submissions are made as per the instructions provided by the Respondent No.1 Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, State of U.P.

II. ACTIONS TAKEN PURSUANT TO ORDER DATED 23.07.2024

4. That the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow, in compliance with the order dated 23.07.2024 passed by the Hon'ble Tribunal, constituted a committee via letter dated 25.10.2024.
5. That the committee held its final meeting and submitted a detailed report (Annexure-A of ANNEXURE-1) on 02.01.2025 to the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow.
6. Based on the Hon'ble NGT order dated 23.07.2024 and the committee constituted by the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow vide order dated 25.10.2024, the conclusions as mentioned in letter dated 5.02.2025 are as follows:
- i. With respect to Para-2 of the Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, based on the committee's report, it has been concluded that no land has

f



been identified as "Forest Like Area" by the district-level committee constituted as per government directives in Village DadariKhurd under Madihan Range of District Mirzapur. Further, in the proposed project by Mirzapur Thermal Energy U.P. Pvt. Ltd. in Village DadariKhurd, out of the total area of 262.16 acres notified under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927, an area of 1.63 hectares is proposed for non-forestry purposes for access road and pipeline. The proposal for this is under due process for approval under the Forest (Conservation) Act, 1980.

- ii. The committee in its report dated 02.01.2025 has stated the following with respect to Notification No. 617/XIV dated 11.10.1952:

"In compliance with the letter No. 1705/81-2-2019-800(64)/2016 dated 26.08.2019 from the Special Secretary, U.P. Government, Environment, Forest and Climate Change Section-2, Lucknow (Annexure-4), the District Magistrate, Mirzapur constituted a joint team of the Revenue Department and the Forest Department and was required to provide a clear report along with relevant records. Accordingly, a joint inspection report dated 28.02.2024, provided via District Magistrate's Letter No. 1916/Zi.Bhu.Vya.Li-2023/Thermal AUP Pvt. Ltd. dated 29 February 2024, was examined. It was clarified that all land (264.88 acres) available in Village DadariKhurd under Schedule-2 of Government Order No.

↓



617/XIV dated 11.10.1952 was handed over to the Forest Department. The remaining land could not be handed over at that time as it was not available and is currently also not possible to be handed over. Hence, other parcels of land, including land purchased by Welspun, are not in the form of deemed forest and are not covered as forest.” (Annexure-4 Page 43-46)

iii. The District Magistrate, Mirzapur, in his report dated 29.02.2024 (Annexure-7), has clearly stated that in the forest department’s Gazette Notification No. 617 dated 11.10.1952, for Village DadariKhurd of District Mirzapur, at page number 1225, Serial Nos. 244 and 248, an area of 800 and 843 acres respectively was recorded. However, in the revenue records (Khasra year 1359 Fasli, i.e., 1952), the total area of the said village is 1209.562 acres. (Annexure-7 Page 51-57)

Therefore, it is evidently proven from the revenue records that the total area of forest land mentioned in the 1952 notification (1643 acres) is erroneous, as under no circumstances can it exceed the total village area of 1209.562 acres.

iv. It is also noteworthy that Notification No. 5564/XIV dated 27 December 1955 under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927, was issued for 800 acres of land in Village DadariKhurd. This was subsequently partially revised vide Notification No. 23(2)36(b)/14-1-67 dated 24 July 1967.



under which 264.88 acres (423 Bigha 12 Biswa) of land was notified under Section 4 of the Indian Forest Act, 1927. In line with this, Notification No. 4646/14-2-20(41)-77 dated 20.07.1977 was issued under Section 20 of the Indian Forest Act, 1927, declaring 6 plots—01 Mi, 24 Mi, 73/1, 74 Mi, 184, and 185—with a total area of 419 Bigha 09 Biswa (i.e., 262.29 acres) as reserved forest, which is duly recorded in the current Khatauni (land records).

In compliance with the letter dated 26.08.2019 (Annexure-4) from the Special Secretary, U.P. Government, Environment, Forest and Climate Change Section-2, the joint inspection report sent by the District Magistrate, Mirzapur, dated 29.02.2024 (Annexure-7), has confirmed that the land purchased by Welspun does not include any deemed forest. This report was forwarded by the Divisional Forest Officer, Mirzapur through his letter dated 02 March 2024 to the Special Secretary, U.P. Government, Environment, Forest and Climate Change Section-2, with copies sent to the Additional Chief Secretary, U.P. Government, Lucknow, and Chief Conservator of Forests/Nodal Forest Officer, U.P., Lucknow, in reference to Letter No. 398/11-C-FT/UP/Thermal/14236/2015 dated 27.08.2019.





v. In compliance with the Government of U.P. letter dated 26.08.2019 (Annexure-4), the District Magistrate, Mirzapur / Revenue Department (Regarding Land Issues: Custodian Government / Revenue Department) has explicitly stated that the land purchased by Welspun does not include any deemed forest. Hence, the joint inspection report referred to in District Magistrate, Mirzapur's letter dated 29.02.2024 (Annexure-7) regarding notification no-617, appears.

7. That vide letter dated 15.01.2025, the Principal Chief Conservator of Forests and Head of Department, U.P., Lucknow, sought a report from the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), Lucknow, on points 4, 5, 6, and 7 of the order dated 23.07.2024 issued by the Hon'ble Tribunal. The Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow submitted the report vide letter dated 03.02.2025 (Annexure-B), from which the conclusions are as follows:

i. **PARA 4**

"...4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem.

↓



This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory...

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that "*Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife)*" was conditionally approved by letter dated 15.10.2014.

ii. **PARA 5**

...5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with



[Handwritten signature]

Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP)...”

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that environmental clearance procedures are beyond the jurisdiction of the Forest Department. Hence, no comments are required on this point.

iii. **PARA 6**

“...6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important



[Handwritten signature]

for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site..."

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that the project site at Village DadariKhurd, Tehsil-Sadar, District-Mirzapur is situated adjoining Danti Reserved Forest (south), Sukhnaai Reserved Forest (north), and Dadhiram Reserved Forest (east). Hence, the presence of wildlife in the vicinity is natural. However, no specific wildlife population data is maintained for the particular location.

iv. **PARA 7**

"...7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980..."

As per the report of the Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife), U.P., Lucknow, letter dated 03.02.2025 (Annexure-B) with regard to Hon'ble NGT order dated 23.07.2024, it is stated that No deforestation or non-forestry activity has been verified within the Reserved Forest area.

f



8. Hence, the present affidavit is being filed for the kind consideration and perusal of this Hon'ble Tribunal.
9. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the approved instructions dated 05.02.2025 and I state that nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT

VERIFICATION

Verified at **NOIDA** on this 22st day of MAY, 2025, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 9 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.


DEPONENT



12 1 MAY 2025

अतिमहत्वपूर्ण/नियत तिथि 21.03.2025/ई-मेल द्वारा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक-को0के0 2728 / 6ई-2(NGT), लखनऊ, दिनांक, मार्च, 18, 2025.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर मण्डल,
मीरजापुर।

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण



विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News item Titled "Experts Flags Large-scale clearing of vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in the Hindustan Times Dated 03.07.2024 के सम्बन्ध में।

संदर्भ- 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का शासकीय पत्र-एन0जी0टी0 39/81-2-2025, दिनांक 18.03.2025.

2. इस कार्यालय के पत्र-को0के0 2354/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 05.02.2025 एवं पत्र को0के0 2707/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 17.03.2025 (जो शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित है).

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासकीय पत्र दिनांक 18.03.2025 द्वारा निम्न निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसका प्रभावी अंश निम्न

है:-

".....2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.02.2025 एवं दिनांक 17.03.2025 के क्रम में प्रस्तावित शपथ-पत्र हेतु उल्लिखित बिन्दुवार आख्या पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है:-

(क) विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा बिन्दुवार आख्या में अंकित तथ्यों को पुनः मूल अभिलेखों से मिलान करा लिया जायेगा तथा शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुए मा0 न्यायाधिकरण में समयान्तर्गत प्रतिशपथ-पत्र आदि दाखिल कराकर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जायेगी तथा मा0 न्यायाधिकरण से पारित आदेशों से, कार्यवाही प्रस्ताव सहित शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

(ख) विज्ञप्ति संख्या-617/XIV दिनांक 11.10.1952 को यदि त्रुटिपूर्ण पाया जाए तो उसके संशोधन में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।....."

अतः उक्त विषयक प्रकरण में आपको निर्देशित किया जाता है कि:-

- उक्त वर्णित शासकीय आदेश के बिन्दु-2(क) में उल्लिखित पत्र दि0 05.02.2025 एवं दि0 17.03.2025 (पी0डी0एफ0 प्रति ई-मेल पर पुनः प्रेषित) के अनुपालन में आप तत्काल वाद में आबद्ध श्री भवरपाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 से समन्वय स्थापित कर अधोहस्ताक्षरी की ओर से प्रति शपथ-पत्र दि0 21.03.2025 से पूर्व दायर करना सुनिश्चित करें व मा0 न्यायालय में आबद्ध अधिवक्ताओं को ब्रिफ करते हुए सुनवाई के समय सुसंगत अभिलेखों के साथ उनके सहयोगार्थ उपस्थित रहे तथा कृत कार्यवाही से संसूचित करें।
- उक्त वर्णित शासकीय पत्र के पैरा-2(ख) पर वांछित अग्रेत्तर कार्यवाही के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं इस सम्बन्ध में आपके पत्र 2672/मी0क्ष0/10रिट, दिनांक 17.03.2025 पर मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ से समन्वय स्थापित कर वांछित अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण है एवं शासन की प्राथमिकता में है। अतः इसमें आपका व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण एवं त्वरित कार्यवाही उक्त बिन्दु-i एवं ii पर उक्तानुसार की जाए।

संलग्नक-1. शासकीय पत्र दिनांक 18.03.2025।

2. को0के0 2354/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 05.02.2025.

3. को0के0 2707/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 17.03.2025.

(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

संख्या- 2720/(1) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को संदर्भित पत्र दिनांक 18.03.2025 के क्रम में दिये गये निर्देश पर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. श्री भंवरपाल सिंह जादौन, स्थायी अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0 को संदर्भित शासकीय पत्र दिनांक 18.03.2025 को संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र में उल्लिखित संदर्भित पत्र को0के0 2354/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 05.02.2025 एवं पत्र को0के0 2707/6ई-2 (एन0जी0टी0), दि0 17.03.2025 को ई-मेल के माध्यम से आपको प्रेषित है।

इस सम्बन्ध में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर को उक्तानुसार दिये गये निर्देश की वह आपसे व्यक्तिगत समन्वय कर ब्रिफिंग करें एवं अधोहस्ताक्षरी की ओर से (मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर) को प्रति शपथ-पत्र मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल करने हेतु अधिकृत कर दिया गया है। वाद दिनांक 21.03.2025 को नियत है।

(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

संख्या- 2720/(2) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्यजीव, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र 2054/10-1(कोर्टकेस), दि0 03.02.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र 187/एन0जी0टी0, दि0 09.01.2025 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

व्यक्तिगत ध्यानाकर्षण

संख्या- 2720/(3) उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त, उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित पत्र शासकीय पत्रांक-एन0जी0टी0 39/81-2-2025, दिनांक 18.03.2025 (स्कैन प्रति ई-मेल पर) के बिन्दु-2(ख) पर दिये गये निर्देश पर समुचित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम-1980 (यथा संशोधित), उ0प्र0, लखनऊ को संदर्भित पत्र शासकीय पत्रांक-एन0जी0टी0 39/81-2-2025, दिनांक 18.03.2025 (स्कैन प्रति ई-मेल पर) के बिन्दु-2 (ख) पर दिये गये निर्देश पर समुचित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

o/c

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
उप सचिव,
उपरो शासन।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सम्बन्ध

जिपरकबले, वन संरक्षण प्रवर्तन क्लब (कोर्ट केस)

रजि० नं० 427

शाखा C.O.N.Y.T

दिनांक 18/3/2024

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 18-03-2025

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest". Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-को०के०-2354/6ई-2 (एन०जी०टी०) दिनांक 05.02.2025 एवं पत्रांक-को०के०-2707/6ई-2 (एन०जी०टी०) दिनांक 17.03.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ओ०ए० संख्या-883/2024 में मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के क्रम में प्रस्तावित शपथ-पत्र हेतु बिन्दुवार आख्या पर अनुमोदन प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 05.02.2025 एवं दिनांक 17.03.2025 के क्रम में प्रस्तावित शपथ-पत्र हेतु उल्लिखित बिन्दुवार आख्या पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन अनुमति प्रदान की जाती है :-

(क)- विभागाध्यक्ष कार्यालय द्वारा बिन्दुवार आख्या में अंकित तथ्यों को पुनः मूल अभिलेखों से मिलान करा लिया जायेगा तथा शासकीय हितों को ध्यान में रखते हुये मा० न्यायाधिकरण में समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र आदि दाखिल कराकर प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जायेगी तथा मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित अदेशों से, कार्यवाही प्रस्ताव सहित शासन को समय-समय पर अवगत कराया जायेगा।

(ख)- विज्ञप्ति संख्या-617/XIV, दिनांक 11.10.1952 को यदि त्रुटिपूर्ण पाया जाए तो उसके संशोधन के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

अतः अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत वाद में उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by

Shailendra Kumar

Date: 18-03-2025 20:51:06

(शैलेन्द्र कुमार)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैवा

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, कोर्टकेस उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषित।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)

उप सचिव।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक-को0के0-2354/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक, लखनऊ, फरवरी 05, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024.

संदर्भ: मा0 एन0जी0टी0 का आदेश दि0 23.07.2024 (स्कैन प्रति ई-मेल पर)।

महोदय,

विषयगत प्रकरण मा0 न्यायाधिकरण के आदेश दि0 23.07.2024 में जो मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ग्राम-ददरी खुर्द में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वनस्पतियों की सफाई/वन भूमि पर वनों की कटाई/सड़क-मार्ग सहित/अन्य निर्माण कार्य आदि बिन्दुओं पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 से रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी है।

2. तत्कम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-1426/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25.10.2024 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, तथा वन्यजीव से सम्बन्धित विषयों पर मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 पर इस कार्यालय के पत्रांक-2191/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 15.01.2025 से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 से आख्या मांगी गयी थी जो द्वय आख्या (संलग्नक-अ एवं संलग्नक-ब) संलग्न कर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

अतः शासन से अनुरोध है कि मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 (इण्टरनेट प्रति संलग्न) के अनुपालन में उक्त संलग्न प्रस्तर-2 पर की गयी कार्यवाही के क्रम में तदनुसार संलग्न प्रस्तावित शपथ-पत्र की आख्या (संलग्नक-स) का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें ताकि मा0 एन0जी0टी0 में नियत तिथि दि0 19.02.2025 से पूर्व दाखिल किया जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या- 2354 / (1)तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्न अधिकारियों को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उ0प्र0।
3. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल, मीरजापुर को मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दि0 23.07.2024 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि शासन से परस्पर समन्वय कर तदनुसार संलग्न प्रस्तावित शपथ-पत्र की आख्या (संलग्नक-स) पर शासन से अनुमोदन कराना सुनिश्चित करें एवं अधोहस्ताक्षरी की ओर से निर्धारित तिथि 19.02.2025 से पूर्व हस्ताक्षरोपरान्त दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।

(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ0प्र0, लखनऊ।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के क्रम में आख्या-

1. मा0 न्यायाधिकरण के द्वारा दिनांक 23.07.2024 को आदेश पारित किया गया है, जो निम्नवत् है-

- "... 2.The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh.
3. The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects.
4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory.
5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP).
6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site. 3
7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980...."

2. उक्त प्रकरण मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ग्राम-ददरी खुर्द में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 द्वारा वनस्पतियों की सफाई/वन भूमि से वनों की कटाई एवं छटाई/सड़क-मार्ग सहित अन्य निर्माण कार्य आदि बिन्दुओं पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की गयी है।

3. उक्त के क्रम में-

(अ) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ द्वारा मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दि0 23.07.2024 पर अपने कार्यालय के पत्रांक-1426/ 6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से समिति का गठन किया गया, जिस पर समिति द्वारा अंतिम बैठक कर दि0 02.01.2025 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को विस्तृत रिपोर्ट (संलग्नक-अ) प्रस्तुत की गयी। (रिपोर्ट की प्रति संलग्न- (अ) है।

(ब) प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 2191/6ई-2-एन0जी0टी0 दिनांक 15.01.2025 द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), लखनऊ से मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु संख्या-4,5,6 व 7 पर आख्या मांगी

गयी थी, जिसके अनुपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव), लखनऊ अपने कार्यालय के पत्रांक 2054/10-1(कोर्ट केस) दिनांक 03.02.2025 के माध्यम से रिपोर्ट उपलब्ध करायी है। (रिपोर्ट की प्रति संलग्न- (ब) है।)

1- मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दि0 23.07.2024 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा गठित समिति दि0 25.10.2024 पर निष्कर्ष निम्नवत् है-

(अ) मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दि0 23.07.2024 के प्रस्तर-2 पर समिति की उक्त रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष पाया जाता है कि जनपद मीरजापुर के मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में शासकीय निर्देशों के क्रम में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्र" के रूप में कोई भी भूमि चिन्हित नहीं है। साथ ही मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना में ग्राम ददरी खुर्द में भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 से आच्छादित भूमि कुल 262.16 एकड़ में से 1.63 हे0 भाग पहुँचमार्ग एवं पाइपलाइन के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। इसकी विधिवत् अनुमति हेतु वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।

(ब) समिति द्वारा अपने रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 में विज्ञप्ति संख्या-617/XIV दिनांक 11.10.1952 के सम्बन्ध में निम्न रूप से उल्लेख किया है-"विज्ञप्ति संख्या- 617/XIV दिनांक 11.10.1952 के सम्बन्ध में विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 दि0 26.08.2019 (संलग्नक-4) के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा राजस्व विभाग एवं वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। तत्क्रम में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर का पत्रांक-1916/जि0भू0व्य0 ली0-2023/थर्मल ए0यू0पी0प्रा0लि0 दिनांक 29 फरवरी, 2024 द्वारा प्रेषित संयुक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 का परीक्षण किया गया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या-617/XIV दिनांक 11.10.1952 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88 एकड़) वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भवन नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भवन नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है एवं वन से आच्छादित नहीं है।

(स) जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक-7) के माध्यम से प्रेषित रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि दिनांक 11.10.1952 वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन सं0-617 में जिला मीरजापुर के ग्राम-ददरी खुर्द हेतु सूची के पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम सं0-244 व 248 पर ग्राम-ददरी खुर्द के सम्बन्ध में क्रमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। जबकि 1359 फसली खसरा (वर्ष 1952) में उक्त गाँव का कुल रकबा 1209.562 एकड़ है।

अतः राजस्व अभिलेख से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन में उल्लिखित वन भूमि का कुल रकबा 1643 एकड़ त्रुटिपूर्ण है यह किसी भी स्थिति में राजस्व ग्राम की कुल रकबा 1209.562 एकड़ से अधिक नहीं हो सकता।

- (द) यह भी उल्लेखनीय है कि विज्ञप्ति सं०-5564/XIV दिनांक 27 दिसम्बर, 1955 में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में 800 एकड़ भूमि का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका पुनः आंशिक परिष्कार करते हुए विज्ञप्ति सं०-23(2)36(ब)/14-1-67, दिनांक 24 जुलाई, 1967 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) भूमि का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसी के अनुरूप ही विज्ञप्ति सं०-4646/14-2-20(41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटो-01 मि०, 24 मि०, 73/1, 74 मि०, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात् 262.29 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशित हुआ है जो वर्तमान खतौनी में दर्ज है।

विशेष सचिव उ०प्र०, शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्र दिनांक 26.08.2019 (संलग्नक-4) के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक-7) द्वारा प्रेषित संयुक्त जॉच रिपोर्ट में इस तथ्य की पुष्टि की जा चुकी है कि वेलस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि में निहित वन सम्मिलित नहीं है। जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रेषित उक्त रिपोर्ट को प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्र दिनांक 02 मार्च, 2024 के माध्यम से विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 को सम्बोधित करते हुए प्रतिलिपि मय संलग्नक अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ व मुख्य वन संरक्षक/नोडल वन अधिकारी उ०प्र०, लखनऊ को उनके पत्रांक 398/11-सी-एफटी/यू०पी०/थर्मल/14236/2015 लखनऊ दिनांक 27.08.2019 के क्रम में प्रेषित की गयी।

- (च) उ०प्र० शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 (संलग्नक-4) के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर कार्यालय/राजस्व विभाग (Regarding Land issues: Custodian Governemnt/Revenue Department) द्वारा प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वेलस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि में निहित वन सम्मिलित नहीं है। अतः विज्ञप्ति सं०-617 के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक-7) की संयुक्त रिपोर्ट प्रतीत है।

- 2- मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित आदेश दि० 23.07.2024 पर वन्यजीव से सम्बन्धित प्रस्तर-4, 5, 6 एवं 7 है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक 2191/6ई-2-एन०जी०टी० दिनांक 15.01.2025 द्वारा रिपोर्ट मांगी गयी थी, जिस पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र०, लखनऊ की रिपोर्ट

पत्रांक-2054/10-1(कोर्ट केस) दि० 03.02.2025 (संलग्नक-ब) संलग्न कर प्रेषित पर निष्कर्ष निम्न है-

-पैरा-4 मा० एन०जी०टी० के आदेश दि० 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र०, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक-2054/10-1(कोर्ट केस) दि० 03.02.2025 (संलग्नक-ब) के अनुसार उल्लेख है कि "प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक 389/26-11(विलेस्पन एनर्जी) दि० 15.10.2014 द्वारा Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (Includingwiblife) सशर्त अनुमोदित किया गया है।"

-पैरा-5 मा० एन०जी०टी० के आदेश दि० 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र०, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक-2054/10-1(कोर्ट केस) दि० 03.02.2025 (संलग्नक-ब) के अनुसार उल्लेख है कि "पर्यावणीय अनुमति सम्बन्धित कार्यवाही से आच्छाचित है, जो वन विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं है।" अतः इस बिन्दु पर कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

-पैरा-6 मा० एन०जी०टी० के आदेश दि० 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र०, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक-2054/10-1(कोर्ट केस) दि० 03.02.2025 (संलग्नक-ब) के अनुसार उल्लेख है कि "कथित कय की गयी परियोजना भूमि ग्राम दादरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन, उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढीराम आरक्षित वन स्थित है। जिसमें वन्यजीवों का वास होना स्वभाविक है। परन्तु वन्यजीवों के स्थल विशेष सम्बन्धित कोई आकड़ें संधारित नहीं है।"

-पैरा-7 मा० एन०जी०टी० के आदेश दि० 23.07.2024 के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र०, लखनऊ की रिपोर्ट पत्रांक-2054/10-1(कोर्ट केस) दि० 03.02.2025 (संलग्नक-ब) के अनुसार उल्लेख है कि ".....आरक्षित वन क्षेत्रों से किसी प्रकार की कटान एवं गैर वानिकी की पुष्टि नहीं हुई है।"

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर तदनुसार संलग्न प्रस्तावित शपथ-पत्र की आख्या का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान करने की कृपा करें जिससे मा० एन०जी०टी० में अधोहस्ताक्षरी की ओर से नियत तिथि दि० 19.02.2025 से पूर्व शपथ-पत्र दाखिल किया जा सके।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(सुनील चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्रांक: 1847 / एन0जी0टी0 दिनांक: लखनऊ : जनवरी 2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वीरगंज, वन संरक्षण एवं वन्य जीव प्रभाग (कोर्ट केस)

रजि० नं० 1847

शाखा C.O.N.S.T

दिनांक 15/01/2025

(420)

विषय:- माननीय एन0जी0टी0 में दायर ओ0ए0संख्या-883/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024

CCFCCC

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का कार्यालय आदेश संख्या-1426/6-ई-2एन0जी0टी0/दिनांक 25.10.2024

Pcof
10/01/25

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित कार्यालय आदेश द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ की अध्यक्षता में पाँच सदस्यीय जाँच समिति का गठन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उपरोक्त गठित जांच समिति की रिपोर्ट संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

COSC (NBT)

13/01/2025
CCFCCC/DPOCCY

भवदीया,

(अनुराधा वेमूरी)

अध्यक्ष,

जांच समिति/प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अनुश्रवण एवं कार्ययोजना,
उत्तर प्रदेश लखनऊ

मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in के सम्बन्ध में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लाखनऊ के पत्रसंख्या-1426/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से गठित समिति प्रधान मुख्य वन संरक्षक अनुश्रवण एवं कार्ययोजना की अध्यक्षता में दिनांक 02.01.2025 को आयोजित बैठक की कार्यवृत्त

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहे।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम	समिति
1	श्री के० इलंगो मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त उ0प्र0	सदस्य
2	श्री नीरज कुमार मुख्य वन संरक्षक, ईको विकास उ0प्र0	सदस्य
3	श्री बी० प्रभाकर मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षण अधिनियम-1980 उ0प्र0	सदस्य
4	श्री मनीष मिततल मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर मण्डल मीरजापुर	सदस्य सचिव
श्री एन रविन्द्र मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर		(विशेष आमंत्रित)

बैठक में समिति की सहायता हेतु श्री अरविंद राज मिश्रा प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग व श्री कपिल कुमार, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार-मिर्जापुर वन प्रभाग द्वारा अभिलेखों सहित उपस्थित रहे।

समिति द्वारा मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 के आधार पर मा0 न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 23.07.2024 को सुनवाई के क्रम में पारित आदेश का अवलोकन किया, जो निम्नवत् है:-

1. This Original Application is registered suo-motu on the basis of the news item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in The Hindustan Times dated 03.07.2024.
2. The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh.
3. The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects.

1

4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory.
5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP).
6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originates right inside the project site.
7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980.
8. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.
9. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.
10. Hence, we implead following as respondents in this matter:
 - (i) Principal Chief Conservator of Forest, Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow, (Uttar Pradesh)226001.
 - (ii) Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow 226001, Uttar Pradesh.
 - (iii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Through its Regional Office, Integrated Regional Office, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow - 226020.
 - (iv) District Magistrate, Mirzapur, Rambagh Rd, Ramaipatti, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001.

.....

मा० न्यायाधिकरण के उक्त आदेश में मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ग्राम-ददरी खुर्द में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा बड़े पैमाने पर वनस्पतियों की सफाई, वन भूमि से वनों की कटाई कर सड़क/मार्ग सहित अन्य निर्माण कार्य आदि बिन्दुओं पर



प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) से प्रतिक्रिया की अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लाखनरु के पत्र संख्या-1426/6ई-2 (एन०जी०टी०) दिनांक 25 अक्टूबर 2024 द्वारा समिति का गठन किया गया, जिसकी बैठक दिनांक 29.11.2024 एवं दिनांक 02.01.2025 को योजित की गयी। बैठक में फिल्ड अभिलेखों को प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा सम्बन्धित सदस्यों द्वारा कार्यालय अभिलेखों का अवलोकन किया। मा० न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 में उल्लिखित किये गये तथ्यों पर गठित समिति द्वारा अभिलेखीय/विविध/विधिक पहलुओं पर गहन परीक्षण किया, परीक्षणोंपरान्त बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है-

(अ) मा० एन०जी०टी० द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा-3 में उल्लिखित

“....The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects.”

मा० एन०जी०टी० के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा-3 में उल्लिखित तथ्य के सम्बन्ध में आख्या निम्नवत् है -

जहां तक The Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 के अर्न्तगत प्रश्नगत प्रकरण को अधिनियम से आच्छादित होने का प्रश्न है, के संबंध में अवगत करना है कि the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 with Amendments made in 1988 and 2023 के अर्न्तगत धारा-1A में निम्नलिखित प्रावधान है-

- 1A. Act to cover certain land.—(1) The following land shall be covered under the provisions of this Act, namely:—
- (a) the land that has been declared or notified as a forest in accordance with the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or under any other law for the time being in force;
 - (b) the land that is not covered under clause (a), but has been recorded in Government record as forest, as on or after the 25th October, 1980:

Provided that the provisions of this clause shall not apply to such land, which has been changed from forest use to use for non-forest purpose on or before the 12th December, 1996 in pursuance of an order, issued by any authority authorised by a State Government or an Union territory Administration in that behalf.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression “Government record” means record held by Revenue Department or Forest Department of the State Government or Union territory Administration, or any authority, local body, community or council recognised by the State Government or Union territory Administration.

(2) The following categories of land shall not be covered under the provisions of this Act, namely:—

- (a) such forest land situated alongside a rail line or a public road maintained by the Government, which provides access to a habitation, or to a rail, and roadside amenity up to a maximum size of 0.10 hectare in each case;
- (b) such tree, tree plantation or reforestation raised on lands that are not specified in clause (a) or clause (b) of sub-section (1); and
- (c) such forest land,—
- (i) as is situated within a distance of one hundred kilometres along international borders or Line of Control or Line of Actual Control, as the case may be, proposed to be used for construction of strategic linear project of national importance and concerning national security; or
- (ii) up to ten hectares, proposed to be used for construction of security related infrastructure; or (iii) as is proposed to be used for construction of defence related project or a camp for paramilitary forces or public utility projects, as may be specified by the Central Government, the extent of which does not exceed five hectares in a Left Wing Extremism affected area as may be notified by the Central Government.
- (3) The exemption provided under sub-section (2) shall be subject to such terms and conditions, including the conditions of planting trees to compensate felling of trees undertaken on the lands, as the Central Government may, by guidelines, specify.

प्रश्नगत प्रकरण मीरजापुर यू०पी० थर्मल एनर्जी प्रा० लि० द्वारा जनपद मीरजापुर के मडिहान रेन्ज के अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में प्रस्तावित 1320 मेगावाट थर्मल एनर्जी प्लान्ट से संबंधित है। ग्राम ददरी खुर्द में वन भूमि की वैधानिक स्थिति निम्नवत् है:—

1. ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा-117 के अन्तर्गत दिनांकित 11 अक्टूबर, 1952 (संलग्नक-1) को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या-617 में जिला मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में वन भूमि का उल्लेख मिलता है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.10.1952 का प्रारम्भ इस प्रकार है —“इन In exercise of the power conferred by section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land 1950 (U.P. Act 1 of 1951), The Governor is pleased to declare that as from the first day of November 1952, all lands whether cultivable or otherwise except land for the time being comprising in any holding..... and all forest within the village boundaries, site in a circles, which have vested in state under the said Act, said subject to the exceptions shown in schedule and hereto, vest in Gaon Samaj established for the circle.”


उपर्युक्त नोटिफिकेशन दो भागों में विभाजित है —

Schedule-1:- Particulars of Uncultivated land and the extent to which the shall not vest in Gaon Samaj- परन्तु इस सूची में ग्राम ददरी खुर्द का नाम नहीं है।

Schedule-2:- Particulars of Forest and the extent to which the shall not vest in Goun Samaj- इस सूची के पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम संख्या-244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में क्रमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। उक्त विज्ञप्ति वर्तमान में प्रभावी है।

2. जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-357/जी०भू०व्यय०लि०/ वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांक 01.07.2019 से मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (संलग्नक-2) एवं कार्यालय पत्रांक-381/जी०भू०व्यय०लि० /वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांक 15.07.2019 से प्रमुख सचिव, वन उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (संलग्नक-3) को सम्बोधित करते हुए अनुरोध किया गया कि “वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या-617 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा

4



- विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष भूमि बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के सम्बन्ध में यथोचित मार्ग दर्शन निर्गत कराने का कष्ट करें।”
3. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र सं०-1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 (संलग्नक-4) के क्रम में प्रस्तावित परियोजना में ग्राम-ददरी खुर्द में उपयोग किये जाने वाली भूमि का सक्षम स्तर से विधिक परीक्षण कर परियोजना हेतु क्रय की गयी भूमि 1952 की विज्ञप्ति संख्या-617 से आच्छादित है अथवा नहीं, का शासनादेश सं०-वी०आई०पी०-23/14-2-2019-190जी०/2018 दिनांक 28.06.2019 के आलोक में जिलाधिकारी मीरजापुर से प्रमाण पत्र की अपेक्षा की गयी।
 4. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक-924/ मीरजापुर दिनांक 03.09.2019 व पत्रांक-2585/मीरजापुर/15 दिनांक 10.01.2020 (संलग्नक-5) द्वारा जिलाधिकारी मीरजापुर से विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के क्रम में अनुरोध किया गया कि “ग्राम ददरी खुर्द जनपद-मीरजापुर में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालांतर में धारा-20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ विज्ञापित हुई। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक-वी०आई०पी०-23/14-2-2019-190जी०/2018, दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी ताकि यह समाधान हो सके कि वेलस्पन एनर्जी द्वारा क्रय की गयी 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं।”
 5. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के पत्र संख्या-8B/UP/08/38/2016/FC/2167 दिनांक 12.01.2022 जो मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र को सम्बोधित है के द्वारा परियोजना के सम्बन्ध में कतिपय बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में दिनांक 17.01.2022 अपराह्न 3:30 बजे उप महानिदेशक (वन) भारत सरकार की अध्यक्षता मीरजापुर जनपद में 1320 मेगा वॉट थर्मल पावर प्लान्ट के लिए वाटर पाइप लाईन तथा एप्रोच रोड हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग विषयक परियोजना की भूमि की वैधानिक स्थिति पर स्पष्टता बैठक आयोजित की गयी, जिसमें मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ०प्र० लखनऊ, मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में सम्बन्धित द्वारा “समस्त बिन्दुओं से अवगत होते हुए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि वन भूमि राज्य का विषय है तथा उस पर राजस्व विभाग का विधिक मत आवश्यक है। अतः आवश्यकतानुसार अध्यक्ष राजस्व परिषद उ०प्र० की अध्यक्षता में यह प्रकरण तथा इस तरह के कई प्रकरणों जिसका बैठक में उल्लेख किया गया, एक बैठक आयोजित हो जिसमें राजस्व विभाग, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण तथा इस कार्यालय को सम्मिलित करते हुए अनुरोध किया जाये ताकि भूमि की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जा सके”।(संलग्नक-6)
 6. शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया। सम्यक जॉचोपरान्त विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी मीरजापुर ने अपने पत्र दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक-7) द्वारा उपलब्ध करायी, जिसमें कम्पनी द्वारा क्रय की गयी निजी भूमि में वन भूमि है अथवा नहीं के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है, जिसका उद्धृत अंश निम्नवत् है -



".....1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग के 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम संख्या-244 व 248 पर रकबा 800 व 843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है जो कि ज०वि०अधि० की धारा-117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा-117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

7. शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 1916/जि०भू०व्य०ली०-2023/थर्मल यू०पी० प्रा०लि० दिनांक 29.02.2024 के माध्यम से नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उपलब्ध करायी गयी। उक्त के क्रम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या-3005/मीरजापुर/15 दिनांक 02 मार्च 2024 द्वारा मय संलग्नक विशेष सचिव उ०प्र० शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन उ०प्र० शासन को सम्बोधित करते हुए प्रतिलिपि मय संलग्नक अपर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन लखनऊ व मुख्य वन संरक्षक/नोडल वन अधिकारी उ०प्र० लखनऊ को उनके पत्रांक 398/11-सी०-FP/UP/Thurmal/14236/2015 लखनऊ दिनांक 27.08.2019 के क्रम में तथा अन्य को प्रेषित की गयी। पुनः कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या-3056/मीरजापुर/15 दिनांक 05 मार्च 2024 (संलग्नक-8) द्वारा मय संलग्नक एवं मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक-4457/मी०क्षे०/35/मीरजापुर, दिनांक 15.05.2024 से नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ/ मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, उ०प्र०, लखनऊ (संलग्नक-9) को अग्रसारित की गयी।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4/20 के अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में की कार्यवाही निम्नवत् है-

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 का नोटिफिकेशन संख्या-5056/ XIV दिनांक 26 नवम्बर 1955 जारी हुआ जिसमें ग्राम ददरी खुर्द का उल्लेख नहीं है (संलग्नक-10)। नोटिफिकेशन दिनांक 26 नवम्बर 1955 के क्रम में विज्ञप्ति 5564/XIV दिनांक 27 दिसम्बर 1955 में पुनः भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसके क्रम संख्या-57 पर ग्रामददरी खुर्द में 800 एकड़ की अधिसूचना जारी की गयी है, जिसमें अधिसूचित भूमि का गाटावार/क्षेत्रफल विवरण अंकित नहीं है। (संलग्नक-11)
2. पुनः दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या-23(2)-36-(ब)/14/ख-67 दिनांक 24.07.1967 (संलग्नक-12) द्वारा पूर्व विज्ञप्ति संख्या-5564/14 दिनांक 27.12.1955 में आंशिक परिस्कार करते हुए मात्र 264.76 एकड़ (423 वीघा 12 विस्वा) का संसोधित ग्राम ददरी खुर्द का नोटिफिकेशन जारी किया गया। जिसमें स्पष्ट रूप से गाटा/क्षे० विवरण दिया गया है।

✓ 6

3. दिनांक 24 जुलाई 1967 के जारी नोटिफिकेशन में ग्राम ददरी खुर्द के गाटों का विवरण दिया गया जो निम्नवत् है—

सेड्यूल-2 की परिभाषा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	1359 फ0 खसरा के अनुसार नवैयत
Particulars of forests and the extant to which they shall not vest in Gaon Samajs	01	151 बीघा 01 विस्वा	पथरैल
	24	131 बीघा 10 विस्वा	पथरैल
	68	03 बीघा 02 विस्वा	नला
	73/1	14 बीघा 15 विस्वा	पथरैल
	74मि0	04 बीघा 00 विस्वा	न्दी
	184	105 बीघा 12 विस्वा	पहाड़
	185	13 बीघा 12 विस्वा	पहाड़
	योग	423 बीघा 12 विस्वा या	264.88 एकड़

4. दिनांक 24 जुलाई 1967 का जारी विज्ञप्ति धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप ही विज्ञप्ति संख्या-4646/14-2-20(41)-77 दिनांक 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटों-01 मि0, 24मि0, 73/1, 74मि, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात् 262.16 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशन हुआ। विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 (संलग्नक-13) है।
5. मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना के पहुँच मार्ग एवं पाईप लाईन हेतु ग्राम ददरी खुर्द में 1.6300 हे0, बरकछा खुर्द 0.0026 हे0, बरकछा कलों में 0.4829 हे0, गोडटुटवा में 0.4324 हे0, दांती में 3.1043 हे0, बेला में 1.0176 हे0, ददरी गहिरा में 1.6883 हे0, आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जो कि प्रक्रियाधीन है।
6. ग्राम ददरी खुर्द के अन्तर्गत वन स्वरूप क्षेत्र होने के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार है— कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-275/ पी0ए0/आई0ए0 (वन स्वरूप) दिनांक 20 दिसम्बर 2007 के द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में आई0ए0 संख्या-979 के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में वन स्वरूप क्षेत्रों के चिन्हिकरण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 19.12.2007 को आयोजित किया गया। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-120/14-2-2008/49(एल)/04 दिनांक 18-1-2008 द्वारा जनपद मीरजापुर में चिन्हित वन स्वरूप क्षेत्रों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें मीरजापुर वन प्रभाग के ग्राम ददरी खुर्द में वन स्वरूप क्षेत्र चिन्हित नहीं है। (संलग्नक-14)

आख्या—

- 1-जनपद मीरजापुर के मडिहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में शासकीय निर्देशों के क्रम में गठित जनपद स्तरीय समिति द्वारा चिन्हित "वन स्वरूप क्षेत्र" के रूप में कोई भी भूमि चिन्हित नहीं है।
- 2-मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तावित परियोजना में ग्राम ददरी खुर्द में भारतीय वन अधिनियम की धारा 20 से आच्छादित भूमि कुल 262.16 एकड़ में से 1.63 हे0 भाग पहुँचमार्ग एवं पाइपलाइन के लिए गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित है। इसकी विधिवत् अनुमति हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रक्रियाधीन हैं।
- 3-उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 117 के अन्तर्गत अनुसूची 2 में ग्राम ददरी खुर्द में क्रम संख्या 244 व 248 पर क्रमशः 800 व 843 एकड़ भूमि दर्ज है, जिसके सापेक्ष भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 के अंतर्गत कुल 262.16 एकड़ वन भूमि अधिसूचित की गयी है।

4-इसी प्रकरण में शासन के संदर्भ के क्रम में अवशेष भूमि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा अपने रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि "शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

5-विज्ञप्ति संख्या-617/XIV दिनांकित 11.10.1952 वर्तमान में भी प्रभावी है। अतः विज्ञप्ति से आच्छादित क्षेत्रफल को वन भूमि नहीं मानने का कोई आधार नहीं है। इस प्रकार ग्राम ददरी खुर्द में शासकीय विज्ञप्ति में प्रदर्शित 1643 एकड़ भूमि एवं जिलाधिकारी मीरजापुर के अनुसार वन विभाग को उपलब्ध 264.88 एकड़ भूमि के क्रम में उपजनित विसंगति को दूर करने का निर्णय सक्षम स्तर से ही लिया जा सकता है।

(ब) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा-4 में उल्लिखित

"....The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory."

के सम्बन्ध में मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु-4 में उल्लिखित बिन्दु का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पर्यावरणविद् श्री देबादित्यों सिन्हा, मैनेजिंग ट्रस्टी, विन्ध्यन इकोलॉजी एण्ड नैचुरल हिस्ट्री फाउण्डेशन को मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मडिहान रेंजों के कतिपय क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप व अन्य सर्वेक्षण हेतु प्राप्त अनुमति के क्रम में द्वारा जुलाई 2018 में मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मडिहान रेंज के कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर Sloth Bear Conservation Reserve का प्रस्ताव बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को उपलब्ध कराया गया था, तत्पश्चात कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मिर्जापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक-266/मीरजापुर/23 दिनांक 16.07.2018 (संलग्नक-15) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग के मडिहान, सुकृत एवं चुनार रेंजों के अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र को प्रेषित किया गया। परन्तु वर्तमान में प्रश्नगत ग्राम ददरी खुर्द व आस-पास के वन क्षेत्रों को Sloth Bear Conservation Reserve घोषित करने विषयक प्रस्ताव वन एवं वन्य जीव विभाग में विचाराधीन नहीं है।

1. वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2X660) मेगा वाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाईप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581हे0 (भूमिगत वाटर पाईप लाइन हेतु 5.8162 हे0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 हे0) आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं विभिन्न प्रजाति के 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/THE/14236/ 2015 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे

8


परीक्षणोंपरान्त कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 2635/मीरजापुर/15 दिनांक 07.03.2016 द्वारा संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। उपरोक्त के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/08/38/2016/ एफ0सी0/125 दिनांक 17.09.2014 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों में उल्लिखित बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि-प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-272/26-11 (वेलेस्पन) दिनांक 24.06.2014 द्वारा वेलेस्पन एनर्जी प्रा0लि0 परियोजना से सम्बन्धित बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं पर परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को प्रतिहस्ताक्षरित आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी। जिसपर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-703/मी0/33 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से उपरोक्त के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-995/मी0/33 दिनांक 09.09.2014 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-1151/मी0/33 दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जरवेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया।

उक्त के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-389/26-11 (वेलेस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (Including wildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया। (संलग्नक-16)

2. कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक 685/एन-1 दिनांक 29 अगस्त 2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार चुर्क-सोनभद्र की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी। उपरोक्त के क्रम में कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक 221/10-1 दिनांक 12 सितम्बर 2024 (संलग्नक-17) के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है-

"समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक 06.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मड़िहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है-

1. प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के कार्य क्षेत्र के बाहर मीरजापुर वन प्रभाग के मड़िहान रेंज में अवस्थित है।
2. मौके पर मौजूद वन प्रभाग मीरजापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।
3. प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेराबन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेराबन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।
4. निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।



5. प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने-जाने के लिए कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।
6. निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ों की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।
7. प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं वहां पेड़ों का घनत्व काफी कम है।”

(स) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा-6 में उल्लिखित

“....It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site.”

कथित क्रय की गयी परियोजना भूमि मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द तहसील-सदर, जिला-मीरजापुर की सीमा से जुड़े दक्षिण में दाँती आरक्षित वन, उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाढीराम आरक्षित वन स्थित है। भूमि ढलान युक्त, असमतल एवं पथरीला है तथा वर्षाकाल में छोटी-छोटी स्ट्रीम्स के रूप में बहती है। वन्य जीवों के कुशल प्रबन्धन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-389/26-11 (वैलेस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (Including wildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया है।

(द) मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के अन्य पैरा-2, 5, 7, 8 एवं 9 के अतिरिक्त अन्य बिन्दु-

Para 02 of Order dated 23.07.2024 “The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh.” के सम्बन्ध में:-

1. मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 में उल्लिखित तथ्यों की जाँच हेतु मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक 793/मी0/10-रिट दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। तत्क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय आदेश दिनांक 23.08.2024 के क्रम में कुल चार कॉम्बिंग टीम का गठन करते हुए विषयगत प्रकरण से सम्बन्धित स्थल व आस-पास के वन क्षेत्रों का गहन स्थलीय जाँच कराया गया। गठित टीमों द्वारा दिनांक 31.08.2024 को काम्बिंग ऑपरेशन करते हुए दिनांक 10.09.2024 को संयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। (संलग्नक-18) जिसका अंश बिन्दु निम्नवत् है-

1. “सघन काम्बिंग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा-ठूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ-डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
2. सघन काम्बिंग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस-पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान में अडानी पॉवर की सहायक कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 (पूर्व में वेल्सपन एनर्जी यूपी


10

प्रा०लि० के नाम से) के स्वामित्व में है, द्वारा परियोजना भूमि को चारों ओर से घेर-बाड़ करने हेतु प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।

4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्डाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमि/वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की लैण्डाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।
5. जाँच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर-रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे वेल्सपन एनर्जी द्वारा वर्ष 2011-12 में सुरक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु बनाया गया था।
6. प्रश्नगत स्थल पर पहुचने के लिए मीरजापुर-रावर्टसगंज (सोनभद्र) मार्ग से 1.7 किमी० लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसों-कुनवियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग द्वारा आस-पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जाँच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में सुलभ आवा-गमन हेतु मार्ग पर गड़ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र द्वारा गठित जाँच समिति के सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया (संलग्नक-19) एवं प्रकरण के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे लेख का अवलोकन सहित अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये, जिनका बिन्दुवार विवरण निम्नवत् है-

1. प्रश्नगत स्थल मडिहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में स्थित है, जिसे वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा वर्ष 2011 से 2013 के मध्य विभिन्न कास्तकारों से क्रय किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 834.68 एकड़ है।
2. अगस्त 2019 में उक्त कम्पनी का विधिवत् हस्तान्तरण करते हुए अडानी इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड द्वारा समग्र रूप से अधिग्रहित कर लिया गया, जो वर्तमान में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा०लि० के नाम पंजीकृत हो गया है।
3. कम्पनी द्वारा क्रय की गयी समस्त भूमि (834.68 एकड़) को नामांतरण के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया। स्पष्ट है कि वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा क्रय की गयी भूमि (परियोजना भूमि) में आरक्षित/संरक्षित/निहित वन सम्मिलित नहीं है।
4. काम्बिंग आपरेशन्स में आरक्षित वन क्षेत्र से कहीं भी वृक्षों के कटान की पुष्टि नहीं हुयी है।
5. कम्पनी द्वारा प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब का उपयोग कर मौके पर जो भी बाउण्ड्री कार्य कराया गया है वह परियोजना भूमि में स्थित है। आरक्षित/वन भूमि में इस प्रकार का कोई कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।



6. कतिपय स्थलों पर बाउण्ड्री कार्य के दौरान लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई कर एकत्रित किया हुआ पाया गया, आरक्षित भूमि से लैण्टाना आदि के कटान की पुष्टि नहीं हुयी।
7. एप्रोच वन मार्ग पर लगभग 250 मीटर लम्बाई में मिट्टी डालने का कार्य किया गया था जो वर्षा के कारण लगभग बह गये है।
8. कम्पनी द्वारा परियोजना भूमि में पूर्व में निर्मित एक कमरा सुरक्षा गार्ड तथा वर्तमान में प्रिकारस्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर रूम पाया गया। आरक्षित/वन भूमि में कम्पनी द्वारा कोई अवसंरचनात्मक कार्य किया जाना नहीं पाया गया।”
2. वन मार्ग पर मिट्टी डालने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय वनाधिकारी मडिहान रेंज द्वारा प्रश्नगत स्थल के पास वृहत वृक्षारोपण अभियान-2024 अन्तर्गत ददरी क0न0-3 (पैच-1 व पैच-2) स्थलों पर वृक्षारोपण के दृष्टिगत क्षतिग्रस्त सरसों-कुनबियार वन मार्ग पर दैनिक श्रमिकों/वाचरों की सहायता से मिट्टी डालकर समतल किया गया था।
- (च) शासकीय पत्र 417/पी0पी0एस0/ए0सी0एस0-1/2024-25 दिनांक 21.10.2024 द्वारा प्रकरण में मांगी गयी आख्या जो इस कार्यालय के पत्रांक- को0के0-1346/6 ई-2(एन0जी0टी0) दिनांक 21.10.2024 से मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर मण्डल से मांगी गयी है पर सुस्पष्ट आख्या के सम्बन्ध में-
- अपेक्षित आख्या कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या-4419/मीरजापुर/10रिट दिनांक 21 अक्टूबर 2024 (संलग्नक-20) द्वारा मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसे उपरोक्त आख्याओं में समावेशित किया गया है।


अतः मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024** News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के समादर में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष के पत्र दिनांक 25 अक्टूबर 2024 के क्रम में अपेक्षित आख्या अग्रैत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।


संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(सदस्य)
मुख्य वन संरक्षक
ईको विकास
उत्तर प्रदेश, लखनऊ


(सदस्य/सचिव)
मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर मण्डल,
मीरजापुर


(सदस्य)
मुख्य वन संरक्षक
भू-अभिलेख एवं वन बन्दोबस्त
उत्तर प्रदेश, लखनऊ


(सदस्य) 2.1.2025
मुख्य वन संरक्षक
वन संरक्षण अधिनियम-1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ


(अध्यक्ष)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुश्रवण एवं कार्य योजना,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

FOREST DEPARTMENT

GAZETTE 617

MISCELLANEOUS

October 11, 1952

No. 617/XIV--In exercise of the powers conferred by section 117 of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (U. P. Act I of 1951), the Governor is pleased to declare that as from the first day of November 1952

all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprised in any holding or grove, and

(2) all forests within the village boundaries, situated in a circle, which have vested in the State under the said Act, shall, subject to the exceptions shown in Schedules I and II hereto, vest in the Gaon Samaj established for the Circle.

Schedule I

Particulars of uncultivated land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs

District	Tahsil	Pargana	Village	Extent to which the uncultivated land (to be demarcated) shall not vest
				Area in acres
Dun	Dehra Dun	Western Doon	1. Kalyankul Bhatta	2,087
			2. Bixani	110
			3. Chalang	251
			4. Khorawan	183
			5. Garhi Muchak	100
			6. Gumanwala	105
			7. Raiwala	302
			8. Badarna	201
			9. Gadul	4,208
			10. Nahi	140
			11. Slayari	212
			12. Billa	240
Rampur	Nakur	Gangoh	1. Ram Baikheri	165
			2. Rajpur Latipur	170
			3. Satara	515
			4. Bear Kheri Musalman	230
			5. Khairan	108
			6. Haidarpur	307
			7. Shitalpur	205
			8. Sheerpur	458
			9. Rampur Baral (Alluvial)	200
			10. Talpura	122
			11. Darya Baranad	111
			12. Jandheri	134
Meerut	Muzaffarnagar	Gordhanpur	1. Khanpur	380 (in Aiki)
			2. Idripur	232 (in Chakheri)
			3. Maru Bala	1,671 (in Baniwala)
			4. Farakhpur	287 (in Panohli)
			5. Farakhpur	229 (in Hastmauli)
			6. Abdipur	194
			7. Kharoli	204 (in Marakhpur)
			8. Kherki	252 (in Dekhantpur)
			9. Hussainpur	170
			10. Bhadauli	140 (in Doholpur)
			11. Kalaiya	244
			12. Jogawala	418 (in Udaiwali)
13. Barhiwala	146			
14. Barhiwala	320 (in Bhaindiwala)			
15. Almaswala	124			
16. Mohampur	131 (in Zhiawcheri)			
17. Dharampur	450			
18. Yahyapur	231			
19. Shahpur	283 (in Madarpur)			
20. Mohampur	186 (in Dhama)			
21. Farakhpur	331			
22. Shahpur	300 (in Rikallapur)			
23. Balawali	397 (in Shahpur Chadar)			
24. Badakhapur	706 (in Hussainpur Bala)			
25. Badakhapur	245 (in Rainsainwala)			
Kasganj	Jhinjhana	Bidauli	26. Rogara	173
			27. Bibipur Jalaypur	200
			28. Phawoti Kherd	473
			29. Chhichhuanom	325
			30. Gorhi Hussainpur	103
			31. Khodabha	449
			32. Sakauti	575
			33. Mansura	504
			34. Bahara	600
			35. Ghahat Ghat	402
36. Yashpur of Ghahat	1,484			

वामा प्रति प्रमाणित
 प्रभागीय वनाधिकारी
 मीरजापुर - दन प्रभाग
 मीरजापुर

SCHEDULE II

Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs.

District	Tahsil	Pargana	Village	Extent to which the forest to be demarcated shall not vest
1	2	3	4	5
Dehra Dun	Dehra	Pachhwa Dun (Western Dun)	1. Annfield Grant	130
			2. Ambari Tea Co. Jungle	414
			3. Danda Jungle	483
			4. Langha	260
			5. Tauli	130
			6. Blahat West	2,264
			7. Bathwa	140
			8. Sorna	1,624
			9. Rudarpur	588
			10. Kedarwala	143
			11. Dharta wala	200
			12. Chharba	1,517
			13. Pirthipur Jungle	2,327
			14. Ambari Jungle	203
			15. Shankarpur Hukumatpur	287
			16. Dhalani	383
			17. Harrawala	1,070
			18. Chandpur	71
			19. Dhoomnager	208
			20. Tilwari	288
			21. Jagatpur	245
			22. Birani	245
			23. Kotra Kalanpur	174
			24. Kunja	106
			25. Kunja Grani	125
			26. Aduwala	14
			27. Motak Majci	80
			28. Timil	08
			29. Khushalpur	74
			30. Fatehpur	51
			31. Parthipur Kalyanpur	51
			32. West Hope Town	100
			33. Atak Farni	1,230
			34. Bakhtawarpur Grant	30
			35. Rajawala	70
			36. Jakhani	80
			37. Central Hope Town	600
			38. Rampur Bhairawala	100
			39. Chak Nangam	75
			40. Mandhuwala	440
			41. Nangam	45
			42. Sudhonwala	17
			43. Dhulkot Khalsi	77
			44. Bansiwala	48
			45. Dhulkot Mafi	30
			46. Thajra	108
			47. Kundhoul	2,600
			48. Kalhipari	177
			49. Kotra Snator	116
			50. Pondha	580
			51. Amwala	155
			52. Philsini	36
			53. Majhnon	483
			54. Kanawali Kotri	200
			55. Bidholi	317
			56. Mieras Patti	35
			57. Thani Gaun	88
			58. Kharakhet	200
			59. Khara Pachhwa	148
			60. Hariawala Kalan	195
			61. Dhenber	440
			62. Chawki	673
			63. Rikholi	3,234
			64. Bhitari	2,120
			65. Gangol Panditwari	703
			66. Golewari	1,500
			67. Purohitwala	130
			68. Chhangora	70
			69. Khara Gopiwala	275
			70. Chandrotli	85
			71. Johri	40
			72. Sanaula	252
			73. Moisi	131
			74. Dhak Patti	245
			75. Makreli	07
			76. Dhum Gson	111
			77. Karkuli Bhatia	540
			78. Bhoripani	260
			79. Bhandat Gaon	72
			80. Ichala Gaon	150
			81. Singli	75
			82. Gama Gaun	07
			83. Saloniwala	38
			84. Hariawala	172
			85. Bhat Gaon	140
			86. Bishanpur	54
			87. Denton-ka-Danda	103

1952

[Part 1]

Area in acres	Dist.	Block	Kantat	No.	Name	Area in acres		
300 ✓	Aligarh	Kantat	215.	Patluki	146			
250 ✓			216.	Somra Pratap Singh	185			
150 ✓			217.	Tulsi	371			
300 ✓			218.	Rali	393			
300 ✓			219.	Mendi	189			
200 ✓			220.	Pandaria Khurd	116			
3,000 ✓			221.	Sonari	988			
150 ✓			222.	Amoi	824			
2,000 ✓			223.	Sherua	1,458			
500			224.	Marhasa	300			
200			225.	Deori Kalan	218			
100			226.	Khachhga	410			
500			227.	Kyari Pabheri	708			
100			228.	Karonda	313			
200			229.	Pathror	317			
500			230.	Raikara	721			
1,000			231.	Piprad	302			
1,000			232.	Hardi Kalan	1,381			
500			233.	Banki	161			
100			234.	Hardi Misar	148			
200			235.	Kuhanki	160			
500			236.	Amoi	281			
100			237.	Patewar	229			
200			238.	Neemdi	196			
500			239.	Deori Duwar	225			
100			240.	Khawwar Midhan	144			
1,000			241.	Deori Uttar	1,196			
1,000			242.	Hinauti Raja	334			
500			243.	Bedeuli	374			
275			244.	Dadri Khurd	800			
275			245.	Chandlewa Khurd	230			
125 ✓			246.	Gahra	208			
150 ✓			247.	Hinauti	1,224			
600 ✓			248.	Dadri Khurd	843			
800 ✓			249.	Umariya Sardar	631			
175 ✓			250.	Tonga	461			
80 ✓			251.	Garaha	681			
125 ✓			252.	Paliapur	159			
90 ✓			253.	Sagar Samar	122			
130 ✓			254.	Somari Magarda	103			
95 ✓			255.	Gopalpur	3,121			
125 ✓			Chunar	Ahraur	256.	Beghoar		
100 ✓						257.	Beghoeri	853
180 ✓							Kotilpur	
195 ✓							Gaurahi	684
200 ✓					Madhapur	910		
200 ✓					Negharharaiya	60		
1,000 ✓					258.	Bantara	3,382 ✓	
2,000 ✓					259.	Chhoti Hinauti	1,431 ✓	
100					260.	Jamalyatpur, Siur	1,515 ✓	
4,000 ✓					261.	Rempur Dheol	2,194 ✓	
2,000 ✓	Saketgirh	Kantat	262.	Lalitpur, Manikpur	2,194 ✓			
1,000 ✓			263.	Lalaura, Gagadara	210			
500			264.	Rajapur Dhekwah	3,887			
1,000 ✓			265.	Naudha Lalpur	50			
500			266.	Dadhia, Bishampur, Motihari	2,090			
3,000 ✓			267.	Dadraia	448			
50			268.	Bahura	65			
100 ✓			269.	Chavchata	210			
150 ✓			270.	Saro	1,350			
200 ✓			271.	Somri	1,450			
800 ✓			272.	Nikarika	2,120			
200 ✓			273.	Bijapur	509			
2,000 ✓			274.	Tilwa	140			
100			275.	Kooba Khurd, Kooba Kalan	1,288			
434			276.	Saketgirh, Khamwa Jayati	7,280			
773	277.	Marpha	350					
3,441	278.	Bhendji	700					
114	279.	Dhorihara	400					
632	280.	Deopur	130					
1,263	281.	Kalwari Mafi	1,163					
111	282.	Dhurka	400					
1,508	283.	Dhauraha	66					
206	284.	Kundi	150					
384	(obtegan) Bara	Kantat	285.	Khivhata	110			
413			286.	Damkhari	395			
192			287.	Basahi	128			
1,109			288.	Trali Pokhar	311			
1,021			289.	Dholi	320			
364			290.	Bubhani	301			
682			291.	Kandari	2,470			
264			292.	Maurohi	184			
190			293.	Lali	220			
987			Dayara	Kantat	294.	Kirhula	236 ✓	
213	295.	Bichha Gosa			148			
240	296.	Pipri			165			
313	297.	Charkowa			150			
5,020	298.	Ketar			250 ✓			
687			299.	Dharmdaspur	183 ✓			
1,324			300.					
401								
1,248								
250								
124								
120								

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

संख्या-357 /जि0मि0व्यव0लि0/वेतरपन एनर्जी-वन भूमि/2019

दिनांक 21 दिसंबर 2019

विषय- वेतरपन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा लखनऊ मीरजापुर के काम दहरी सुरें में स्थापित किये जाने वाले 1320मेगावाट धर्मत पावर प्लांट के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रमिसिपि वेतरपन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 19.06.2019 पर प्रकाशित अपने आदेश दिनांक 19.06.2019 का सर्वप्रथम महत्व करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रकरण के संबंध में संबंधित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

प्रकरण के संबंध में लखनऊ आगत पत्रका है जलसेवा के आदेश दिनांक 19.06.2019 के क्रम में जल विभागाधिकारी लखनऊ मीरजापुर एवं प्रभागीय जलविभागी, मीरजापुर एवं प्रभाग मीरजापुर से आगत आदेश कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उप जिलाधिकारी लखनऊ ने अपने कार्यवाही के पत्रांक 6975/एनपी0/19 दिनांक 29.06.2019 द्वारा आदेश प्रेषित करने के अलावा पत्रका द्वारा कि काम दहरी सुरें लखनऊ लखनऊ मीरजापुर के वर्तमान रकबा 14225-1431 परसल के काम का कुल रकबा 435.76280 है जिसमें से 104.85 हे0 भूमि संकेत वन रकबा 2.18080 पर विभाग लखनऊ मीरजापुर के काम वाले है। इसके अतिरिक्त 337.99280 भूमि वेतरपन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 के काम लखनऊ प्रभागीय भूमिगत सेवा-1(क) के क्रम में वर्त है। लखनऊ 1359 परसली के अनुसंधान काम दहरी सुरें का कुल रकबा 1923 बीघा 10 बिस्वा है। उपरान्त लखनऊ, जल विभाग के कष्ट दिनांक 18.10.1952 के विज्ञापि संख्या 617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा काम दहरी सुरें में काम संख्या 244 पर 800 एकड़ वन संख्या 240 पर 843 एकड़ भूमि के विज्ञापित हुआ है। जिसके संबंध भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्वयान्त 800 एकड़ भूमि विज्ञापि संख्या 55647 दिनांक 27.12.1955 का प्रकाशित हुयी। पुन विज्ञापि संख्या 35647 दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करने हुये उपरान्त संख्या के अन्त संख्या 23(2)36(र)/14-र-07 दिनांक 04.11.1967 द्वारा काम दहरी सुरें के 7 कष्ट रकबा 423 बीघा 12 बिस्वा भूमि वन भूमि के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित हुयी। कष्ट दिनांक 04.11.1967 के क्रम में कष्ट दिनांक 14.01.1970 द्वारा अधिसूचना संख्या 4646/14-2-20(11)-77 दिनांक 20.07.1977 में काम दहरी सुरें के कुल 86 कष्ट रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा भूमि के संबंध में धारा-20 के अधीन सविनयों का प्रयोग करने हुये प्रकाशित वन अधिनियम किया गया है। सर्वप्रथम प्रपत्र-15 में भी संकेत वन का कुल क्षेत्रफल 104.85280 वर्ग है जो वर्तमान रकबा में भी अंकित है।

प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 846/एनपी0-मि0 दिनांक 29.06.2019 द्वारा प्रभागीय जलविभागी, मीरजापुर एवं प्रभाग, मीरजापुर से तीन दिवस के अन्दर आगत आदेश कराये जाने की

107
86

अपेक्षा की गयी। उसके द्वारा किया गिया तब आठवा उपलब्ध न करने जाने के कारण इस कार्यालय के अनुमोदन पर संख्या 352/वि0मू0मव0सि0/भूमि/2019 दिनांक 27.06.2019 द्वारा दिनांक 20.06.2019 तक सूचना प्रकाशित करने की अपेक्षा की गयी। उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 5041/भीरजापुर दिनांक 28.06.2019 द्वारा आठवा प्रेषित किया गया जिसमें उप जिलाधिकारी राधर भीरजापुर के पत्र दिनांक 26.06.2019 में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुये यह उल्लिखित किया गया कि प्रस्तावित परियोजना आम दली खुर्द तहसील राधर भीरजापुर के सीमा से जुड़े दक्षिण में दली आरंभित वन (आरंभित वन 7895.00 एकड़), उत्तर में सुकलई आरंभित वन तथा पूरब में चाहीराग आरंभित वन (क्षेत्रफल 9309.52 एकड़) स्थित है। उक्त परियोजना तीस ओर से राधर आरंभित वन से घिरी हुयी है। परियोजना की स्थापना के संबंध में Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plant (including wildlife) के अनुमोदन के संबंध में प्रमुख पत्र संख्या, वन्य जीव उत्तर प्रदेश सहायक के पत्रांक 309/26-11(वितरण एवजी) लखनऊ दिनांक 15.10.2014 द्वारा सरत अनुमोदित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्णय दिनांक 21.12.2016 का उल्लेख करते हुये अद्यतन बताया गया कि परियोजना का आन्वयिक प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुक्रम विद्यमान है। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश में विभाग के राधर से लेव की पर्यावरणीय मूल्य के कम में स्थिति स्पष्ट करते हुये आठवा प्रेषित किया गया है। परियोजना की स्थापना हेतु भूमिगत वन्य जीव संरक्षण एवं संयोजक वन निर्माण हेतु प्रस्तावित रीरंभ वन से पहले वाली 0.3501 हे0 वन भूमि एवं वृक्षों के वन्य जीव अनुमोदन के संबंध में उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट की गयी है।

उप जिलाधिकारी राधर एवं प्रभागीय वन्यजीवारी भीरजापुर वन प्रभाग भीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आठवा से स्पष्ट है कि आम दली खुर्द में निर्धारित संख्या 617 द्वारा कुल 1643 एकड़ भूमि का प्रकाशन किया गया है जबकि गांव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिघा) है। इस प्रकार 617 की विस्तार के अन्तर्गत वन के क्षेत्रफल में 440.50 एकड़ अतिरिक्त भूमि का प्रकाशन हुआ है। वन अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत मजद दिनांक 27.12.1955 द्वारा 800 एकड़ भूमि की विस्तार प्रकाशित हुयी है और मजद दिनांक 27.12.1955 का अतिरिक्त परिवार करते हुये मजद दिनांक 04.11.1967 द्वारा वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 264.75 एकड़ (423 बीघा 12 बिघा) की विस्तार प्रकाशित हुयी जिसके समेत वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिघा) भूमि वन भूमि घोषित हुयी है।

प्रभागीय वन्यजीवारी, भीरजापुर वन प्रभाग, भीरजापुर से अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4599/भीरजापुर/15 दिनांक 25.05.2019 द्वारा अधोस्तरावरी से इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाये हेतु अनुमोदित किया गया है कि परियोजना हेतु कम की गयी भूमि विस्तार संख्या 617 के अन्तर्गत विस्तारित भूमि से अपेक्षित की गयी है। इस संबंध में राधर अद्यतन बताया है कि श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रतिनिधि केन्द्र एवजी नू0पी0 प्रा0सि0 से अपने पत्र दिनांक 19.06.2017 के साथ संलग्न किये गये प्रभागीय वन्यजीवारी भीरजापुर के पत्र संख्या 698/भीरजापुर/33 दिनांक 16.08.2013 के प्रिन्ट (न) से श्री एडवांस क्लियर

प्रभागीय वनाधिकारी, भीरजापुर वन प्रभाग, भीरजापुर द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया है कि वेतनपत्र द्वारा उपयोग हेतु जो जमीन ली गयी है या राज्य सरकार से मांगी गयी है वह अपरिचित/संरक्षित या विपरीत नहीं है जबकि वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी भीरजापुर श्री रामेश चौधरी द्वारा वेतनपत्र एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा कय की गयी भूमि के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी एवं वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी के कथन में अंतर है जिसमें से किसी एक अधिकारी का कथन ही स्पष्ट हो सकता है। इस प्रकार वेतनपत्र एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा कय की गयी 337.762 हे० भूमि, वन भूमि है अथवा नहीं इसे सिद्ध करने का दायित्व वन विभाग का है।

उपर्युक्त आख्या के आधार पर प्रकरण में निम्न तथ्य विचारणीय है :-

1. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी है जबकि गाँव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिरवा) है।
2. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 में विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिरवा) भूमि विज्ञापित हुयी शेष 1380.04 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुयी है।
3. वेतनपत्र एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा राम दत्तरी जुद में 834.60 एकड़ (337.792 हे०) भूमि कय की गयी है जो तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी भीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 16.08.2013 के अन्तर्गत वन भूमि नहीं है।
4. राम दत्तरी जुद तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.04 एकड़ भूमि अवशेष वन नहीं है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उरो विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर भीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, भीरजापुर वन प्रभाग भीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक क्रमशः 26.06.2019 एवं 28.06.2019 की छायाप्रति संलग्न कर उपर्युक्तानुसार आख्या इस अनुसंधान के साथ प्रेषित है कि वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि संख्या 1643 एकड़ व वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिरवा) के मध्य जो 1380.04 एकड़ भूमि अवशेष भूमि तब रही है वह राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के संबंध में यथोचित मार्ग-दर्शन निर्गत कराये का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराज पटेल)
जिलाधिकारी
भीरजापुर।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव वन,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

संख्या-381

/जि0भू0व्य0लि0/वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019

दिनांक: 15 जुलाई 2019

विषय:-

महोदय,

वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा जनपद मीरजापुर के ग्राम ददरी खुर्द में स्थापित किये जाने वाले 1320मेगावाट थर्मल पावर प्लाण्ट के संबंध में ।

कृपया उपर्युक्त विषयक श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के पत्र दिनांक 19.06.2019 पर पृष्ठांकित मुख्य सचिव महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा प्रकरण के संबंध में यथोचित कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है जिसके संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 357/जि0भू0व्य0लि0/वेलस्पन एनर्जी-वन भूमि/2019 दिनांक 01.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आख्या प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के संबंध में सादर अवगत कराना है महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2019 के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर से आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्रांक 6975/एस0टी0/19 दिनांक 26.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित करते हुये अवगत कराया गया कि ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के वर्तमान खतौनी 1425-1431 फसली के ग्राम का कुल रकबा 495.762 हे० है जिसमें से 104.85 हे० भूमि रक्षित वन तथा 2.180 हे० वन विभाग उत्तर मीरजापुर के नाम दर्ज है। इसके अतिरिक्त 337.792 हे० भूमि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 के नाम बतौर संकमणीय भूमिधर श्रेणी-1(क)- के रूप में दर्ज है। खसरा 1359 फसली के अनुसार ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1923 बीघा 19 बिस्या है। उप सरकार, वन विभाग के गजट दिनांक 18.10.1952 के विज्ञापित संख्या 617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में क्रम संख्या 244 पर 800 एकड़ तथा क्रमांक 248 पर 843 एकड़ भूमि के विज्ञापित हुआ है। जिसके सापेक्ष भारतीय वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 800 एकड़ भूमि विज्ञापित संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 द्वारा प्रकाशित हुयी। पुनः विज्ञापित संख्या 5564/ दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये उप सरकार के गजट संख्या 23(2)36(ब)/14-ख-67 दिनांक 04.11.1967 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द के 7 गाटा रकबा 423 बीघा 12 बिस्या रक्षित वन भूमि के संबंध में अधिसूचना प्रकाशित हुयी। गजट दिनांक 04.11.1967 के क्रम में गजट दिनांक 14.01.1978 द्वारा अधिसूचना संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांक 20.07.1977 से ग्राम ददरी खुर्द के कुल 06 गाटा रकबा 419 बीघा 09 बिस्या भूमि के संबंध में धारा-20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये आरक्षित वन घोषित किया गया है। सर्वेक्षण प्रपत्र-15 में भी रक्षित वन का कुल क्षेत्रफल 104.85 हे० दर्ज है जो वर्तमान खतौनी में भी अंकित है।

प्रकरण के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 846/एस0टी-शि0 दिनांक 26.06.2019 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर से तीन दिवस के अन्दर आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। उनके द्वारा नियत तिथि तक आख्या उपलब्ध न कराये जाने के कारण इस कार्यालय के अनुस्मारक पत्र संख्या 352/जि0भू0व्य0लि0/भूमि/2018 दिनांक 27.06.2019 द्वारा दिनांक 28.06.2019 तक सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी । उन्होने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 5041/मीरजापुर दिनांक 28.06.2019 द्वारा आख्या प्रेषित किया गया जिसमें उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर के पत्र दिनांक 26.06.2019 में उल्लिखित तथ्यों का उल्लेख करते हुये यह उल्लिखित किया गया

के प्रस्तावित परियोजना ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर मीरजापुर के सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन (आरक्षित वन 7895.00 एकड़), उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में दाद्रीराम आरक्षित वन (क्षेत्रफल 9309.52 एकड़) स्थित है। उक्त परियोजना तीन ओर से सघन आरक्षित वन से घिरी हुयी है। परियोजना की स्थापना के संबंध में Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plant (including wildlife) के अनुमोदन के संबंध में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 389/26-11 (वेलस्पन एनर्जी) लखनऊ दिनांक 15.10.2014 द्वारा सशर्त अनुमोदित किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के निर्णय दिनांक 21.12.2016 का उल्लेख करते हुये अवगत कराया गया कि परियोजना का आगलाईन प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्रकिया के अनुरूप विधाराधीन है। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आलोक में विभाग के स्तर से क्षेत्र की पर्यावरणीय महत्व के कम में स्थिति स्पष्ट करते हुये आख्या प्रेषित किया जाना है। परियोजना की स्थापना हेतु भूमिगत वाटर पाईप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित संरेखण मार्ग में पड़ने वाली 8.3581 हे0 वन भूमि एवं वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में उनके द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है।

उप जिलाधिकारी सदर एवं प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम ददरी खुर्द में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा कुल 1643 एकड़ भूमि का प्रकाशन किया गया है जबकि गाँव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है। इस प्रकार 617 की विज्ञप्ति के अन्तर्गत ग्राम के क्षेत्रफल से 440.50 एकड़ अधिक भूमि का प्रकाशन हुआ है। वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत गजट दिनांक 27.12.1955 द्वारा 800 एकड़ भूमि की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी है और गजट दिनांक 27.12.1955 का आंशिक परिष्कार करते हुये गजट दिनांक 04.11.1967 द्वारा वन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत 264.75 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) की विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी जिसके सापेक्ष वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि वन भूमि घोषित हुयी है।

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4599/मीरजापुर/15 दिनांक 25.05.2019 द्वारा अधोहस्ताक्षरी से इस आशय का प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है कि परियोजना हेतु कय की गयी भूमि विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत विज्ञापित भूमि से आच्छादित तो नहीं है। इस संबंध में सादर अवगत कराना है कि श्री सुधीर कुमार श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 ने अपने पत्र दिनांक 19.06.2017 के साथ संलग्न किये गये प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 698/मीरजापुर/33 दिनांक 16.08.2013 के बिन्दु (क) में श्री एस0एन मिश्रा तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया है कि वेलस्पन द्वारा उपयोग हेतु जो जमीन ली गयी है या राज्य सरकार से मांगी गयी है वह आरक्षित/संरक्षित या निजी वन नहीं है जबकि वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर श्री राकेश चौधरी द्वारा वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा कय की गयी भूमि के संबंध में प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की जा रही है। तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी एवं वर्तमान प्रभागीय वनाधिकारी के कथन में अन्तर है जिसमें से किसी एक अधिकारी का कथन ही सत्य हो सकता है। इस प्रकार वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा कय की गयी 337.762 हे0 भूमि, वन भूमि है अथवा नहीं इसे सिद्ध करने का दायित्व वन विभाग का है।

उपर्युक्त आख्या के आधार पर प्रकरण में निम्न तथ्य विचारणीय है :-

1. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी है जबकि गाँव का कुल क्षेत्रफल 1202.50 एकड़ (1923 बीघा 19 बिस्वा) है।
2. वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 में विज्ञापित 1643 एकड़ भूमि में से वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) भूमि विज्ञापित हुयी शेष 1380.84 एकड़ भूमि विज्ञापित नहीं हुयी है।

3. वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द में 834.68 एकड़ (337.792हे0) भूमि कय की गयी है जो तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्र दिनांक 16.08.2013 के अन्तर्गत वन भूमि नहीं है।
4. ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर में विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि व धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि के मध्य 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष बच रही है और इसी अवशेष भूमि को विज्ञप्ति संख्या 617 के अन्तर्गत प्रकाशित होने का आधार लेते हुये वन विभाग द्वारा उसे विज्ञप्ति 617 से आच्छादित वन भूमि होना बताया जा रहा है।

अतः उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर एवं प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक क्रमशः 26.06.2019 एवं 28.06.2019 की छायाप्रति संलग्न कर उपर्युक्तानुसार आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वन विभाग की विज्ञप्ति संख्या 617 द्वारा विज्ञापित भूमि रकबा 1643 एकड़ व वन अधिनियम की धारा-20 द्वारा विज्ञापित भूमि 262.16 एकड़ (419 बीघा 09 बिस्वा) के मध्य जो 1380.84 एकड़ भूमि अवशेष भूमि बच रही है वह ग्राम सभा की भूमि है अथवा वन विभाग की, के संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।


भवदीय,

(अनुराग पटेल)
जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

पत्र प्रसंक्रमांक संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव राजस्व, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सूचनार्थ इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रकरण के संबंध में यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें ।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उनके कार्यालय के पत्र संख्या 4599/मीरजापुर दिनांक 25.05.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


जिलाधिकारी
मीरजापुर ।

90

संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016

महत्वपूर्ण/सामयिक

प्रेषक, आशीष तिवारी, विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।
सेवा में, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 26 अगस्त, 2019

विषय- वेलरफन एनर्जी ग्रुपिंग प्रा०लि० द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील-रावर, जगद-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति वायव्य भूमिगत वाटर पाइपलाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वनभूमि के वैज्ञानिकी प्रयोग एवं वर्षक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं०-1674/81-2-2019-800(64)/2016, दिनांक 26.07.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र सं०-149/11-सी-एफपी/यूपी/थर्मल/14236/2016, दिनांक 19.07.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्याओं में अंकित है कि ग्राम-ददरी खुर्द, जगद-मीरजापुर में विद्युत सं०-617, दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालांतर में पारा-20 के अंतर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के संबंध में अभिलेखों की विभिन्न जांच कर प्रभागीय कनाधिकारी, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर से आसनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित गयी प्रकियानुसार परीक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ये वेलरफन द्वारा कय की गयी भूमि 834.68 एकड़ में वन भूमि निर्दिष्ट तो नहीं है ?

कृपया उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या/टिप्पणी अपनी संस्तुति सहित शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 390/11-सी-एफ/UP/Thermal/14236/2015, लखनऊ, दिनांक: अगस्त 27, 2019

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, यू-अभिलेख एवं वनबंदोबस्त, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित विन्दुवार सूचना/सुरपट आख्या अभिलेखों सहित मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को प्रेषित करते हुये इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित विन्दुवार सूचना/सुरपट आख्या अभिलेखों एवं संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय कनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को उपरोक्त पत्र इस आशय से प्रेषित कि विषयगत प्रकरण में शासन द्वारा वांछित विन्दुवार सूचना/सुरपट आख्या अभिलेखों एवं संस्तुति सहित इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिकृत प्रतिनिधि, वेलरफन एनर्जी, ग्रुपिंग प्रा०लि०, मिर्जापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अप्रेषित

पत्र सं० 990 दिनांक 23 अगस्त 2019

प्रतिलिपि प्र० प्र० म० मीरजापुर को लखनऊ को प्रेषित हेतु प्रेषित।

27/8
(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक

/मीरजापुर/

दिनांक, मीरजापुर, सितम्बर 03

2019

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

विषय:-

वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में

संदर्भ-

उत्तर प्रदेश शासन, भ्रम्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-20-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019।

संदर्भ-

वेलस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र (छाया प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम ददरी खुर्द जनपद मीरजापुर में विज्ञप्ति संख्या-617/दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी एवं कालान्तर में धारा-20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक-वी0आई0पी0-23 / 14-2-2019-190जी0/2018, दिनांक 28.06.2019 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया अनुसार परीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है ताकि यह समाधान हो सके कि वेलस्पन एनर्जी द्वारा कय की गयी 8.13.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

1417
33
4-9-19

संख्या

924

अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि श्री सुधीर श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि, वेलस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 प्लाट नम्बर - 242/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रह्मपुरी कालोनी मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर शासनादेशानुसार उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राकेश चौधरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

प्रेमक,

राजय सिंह,
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक
और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- सगरत जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक: 28 जून, 2019

विषय- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अनुसार वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग के बदले क्षतिपूर्ति वनीकरण (Compensatory Afforestation) हेतु चिन्हित/चयनित समतुल्य गैर वनभूमि के प्रकारों के सम्यन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्यन्ध में अवगत कराना है कि शासन को प्रेषित किये जाने वाले फॉरेस्ट क्लियरेंस हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की व्यवस्थानुसार गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के बदले प्राप्त होने वाली वनीकरण हेतु गैर वनभूमि के प्रकारों में गंभीर त्रुटियां शासन के संज्ञान में आयी हैं, जिससे प्रकरण का सम्यक निस्तारण किये जाने में कठिनाई होती है एवं प्रकरण का समयबद्ध रूप से निस्तारण सम्भव नहीं हो पाता है। इससे जहाँ एक ओर फॉरेस्ट क्लियरेंस को सुन्दर शासन स्तर पर लक्षित प्रदर्शित होते हैं वहीं दूसरी ओर प्रस्ताव के त्रुटिपूर्ण होने के कारण भविष्य में विवाद की सम्भावनायें भी बनी रहती हैं।

2- अतः उक्त वर्णित स्थितियों के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन को प्रेषित किये जाने वाले ऐसे प्रस्तावों के संबंध में संबंधित उप जिलाधिकारी/वन वन्दोवस्त अधिकारी द्वारा निम्न विन्दुओं पर परीक्षण कर गैर वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव प्रमाण-पत्र पर अंकित कर प्रभागीय वनाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय तथा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी उक्त का अपने कार्यालय अभिलेखों व यथा आवश्यक राजस्व अभिलेखों से परीक्षण कराते हुए प्रस्ताव को प्रमाणित करने के उपरान्त ही सुसंगत त्रुटिरहित प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करेंगे :-

- (1) प्रस्तावित गैर वनभूमि की गाटा संख्या का सत्यापन आधार वर्ष (1359 फसली) की खतीनी एवं क्रमागत अगले फसली वर्षों की खतीनी से मिलान इस प्रकार कर लिया जाय कि प्रश्नगत गाटा संख्या वन विभाग के प्रत्येक में सी.गयी अथवा श्रेणी-5(ख)(1) की भूमि नहीं थी तथा भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4/धारा-20 में विज्ञापित नहीं है। यह भी परीक्षण कर सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत भूमि किसी प्रकार से वन के पक्ष में निर्णीत हुई हो या वन को प्राप्त हुई हो किन्तु कतिपय कारणों से राजस्व अभिलेखों में वन के खाते में इन्द्रराज न हुआ हो और वह वर्तमान में राजस्व अभिलेखों में किसी अन्य खाते में दर्शित हो रहा हो, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत वन भूमि गैर वन भूमि के रूप में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित न की जाय।
- (2) प्रस्तावित गैर वनभूमि जिस गाँव में प्रस्तावित है यदि उक्त ग्राम में चक्रवर्ती की प्रक्रिया चल रही हो वा हो चुकी हो तो प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित जोत चक्रवर्ती आकार-पत्र 41 (खसरा पुताविकात/तुलनात्मक खसरा) एवं जोत चक्रवर्ती आकार-पत्र 45 की प्रविष्टियों का मिलान कर लिया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि निर्दिष्ट रूप से गैर वनभूमि है। यदि

गाँव में चकबन्दी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तो प्रस्तावित गाटे के सापेक्ष पुराने गाटे की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।


- (3) प्रस्तावित गैर वनभूमि जिस गाँव में प्रस्तावित है यदि उक्त ग्राम में सर्वे की प्रक्रिया चला रही हो या हो चुकी हो तो प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित सर्वेक्षण प्रपत्र-7 (फर्द मुताबिकात), सर्वेक्षण प्रपत्र-8 (खसरा मुताबिकात), सर्वेक्षण प्रपत्र-14 (पुनरीक्षित खसरा) एवं सर्वेक्षण प्रपत्र-15 (पुनरीक्षित खतौनी) की प्रविष्टियों का मिलान कर लिया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित भूमि निर्विवाद रूप से गैर वनभूमि है। यदि गाँव में सर्वे प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है तो प्रस्तावित गाटे के सापेक्ष पुराने गाटे की संख्या स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय।

- 3- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/वन बन्दोबस्त अधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी गैर वन भूमि से संबंधित प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से शासन को निम्न प्रमाण-पत्र के साथ उपलब्ध करावेंगे :-

“प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी भूमि निर्विवाद रूप से गैर वन भूमि है एवं इसका शासनादेश संख्या-VIP-21 /14-2-2019-190 जी/2018, दिनांक 28 जून, 2019 के प्रस्तर-2 में वर्णित बिन्दुओं के अनुसार परीक्षण कर लिया गया है।”

कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

गवदीय,


(संजय सिंह)
सचिव।

संख्या- VIP-23 (1)/14-2-2019 एवं तददिनांक
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।

आज्ञा से,


(संजय सिंह)
सचिव।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।

पत्रांक /मीरजापुर/ 15 दिनांक, मीरजापुर, जनवरी 10, 2020

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मीरजापुर ।

विषय:-

बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-20-800(84)/2018 दिनांक 26.08.2019 इस कार्यालय का पत्रांक-924/मीरजापुर/15 दिनांक 03.09.2019।

महोदय,

विषयक के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के सम्बन्ध में उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया था कि ग्राम ददरी खुर्द जनपद मीरजापुर में विज्ञापित संख्या-817, दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी एवं कालान्तर में धारा-20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.18 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक-वी0आई0पी0-23/14-2-2019-190जी0/2018, दिनांक 28.08.2018 द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया अनुसार परीक्षण आख्या की अपेक्षा की गयी है ताकि यह समाधान हो सके कि बेलेस्पन एनर्जी द्वारा कय की गयी 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं।

मवदीय

(राकेश घौघरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

जापान

संख्या 2505 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रतिलिपि श्री सुधीर श्रीवास्तव, अधिकृत प्रतिनिधि, बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0प्रा0लि0 प्लॉट नम्बर- 242/1 प्रथम तल, यबुआ का पोखरा, ब्रहमपुरी कालोनी मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर शासनादेशानुसार उपरोक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

408

33

20-1-2020

(राकेश घौघरी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-II, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2326696
Email: roc2.lko@mef.gov.in, gohna.fro@ko.nic.in



122

101

File No.: SB/UP/08/38/2016/FC/4/01

Date: 20.01.2022

Subject: Diversion of 8.3581 ha. Reserve Forest land for Water Pipeline corridor & Approach road for Mirzapur 1320 MW Thermal Power Project (FP/UP/THE/14236/2015).

Minutes of Meeting dated 17-01-2022

दिनांक 17.01.2022 को अपराह्न 3:30 बजे उप महानिदेशक(वन) भारत सरकार, लखनऊ की अध्यक्षता में मिर्जापुर जनपद में 1320 MW शर्मल पॉवर प्लांट के लिए वाटर पाईप लाईन तथा एप्रोच रोड हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग विभागीय परियोजना की भूमि के वैधानिक स्थिति पर स्पष्टता हेतु आयोजित की गई है। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

1. श्री सुनील दुबे, मुख्य वन संरक्षक, भूमि अभिलेख एवं वंदोवरता, लखनऊ।
2. श्री रमेश चन्द्र झा, मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर।
3. श्री पी०एस० त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर।
4. श्री पी०के० शुक्ला, उप प्रभागीय वनाधिकारी, चुनार।

बैठक में प्रवक्ता अभिकरण के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

1. उप प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर में उ०प्र० जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117 के अन्तर्गत विज्ञप्ति सं०-617 दिनांकित 11 अक्टूबर 1952 के तहत वन विभाग को पृष्ठ सं०-1225 के कम सं०-244 पर 800 एकड़ एवं पृष्ठ सं०-1225 के कम सं०-248 पर 843 एकड़ भूमि शेड्यूल-II में विज्ञापित की गई है तथा शेड्यूल-II में निम्न उल्लिखित है "Particulars of Forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs."
2. यह भी अवगत कराया कि ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला-मिर्जापुर एक गैर चिरामी ग्राम है तथा आकार वर्ष अर्थात् 1359 फराली खास के मुताबिक कुल 185 बीघा 03 बिस्वा में मात्र दो सीरदार है। धारा-4 उप धारा-1(सी) विज्ञप्ति सं०-5564 दिनांक 27 दिसम्बर 1955 द्वारा उक्त ग्राम की मात्र 800 एकड़ भूमि धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत उ०प्र० गजट में विज्ञापित एवं प्रकाशित की गई। पुनः आंशिक परिवर्तन करते हुए विज्ञप्ति सं०-23(2)30(ब)/14-ख-67 दिनांक 24 जुलाई 1967 द्वारा मात्र 423 बीघा 12 बिस्वा (264.88 एकड़) रक्षित वन धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विज्ञापित एवं

प्रकाशित की गई है। विज्ञप्ति सं०-4646/14-2-20(41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा 419 बीघा 9 बिरवा (262.29 एकड़) अन्तर्गत धारा-20 भारतीय वन अधिनियम 1927 आरक्षित वन विज्ञापित किया गया।

3. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी, मिर्जापुर के पत्रांक-361/जि०गू०व्य०लि०/वेलरपेन एन्जर्जी, दिनांक 15.07.2019, उप जिलाधिकारी, सदर, जिला-मिर्जापुर के पत्रांक-6957/एस०टी०-उप जि०सं०/19 दिनांक 26.06.2019 में उल्लेख है कि खासना 1359 फसली वर्ष के अनुसार गाम-ददरी खुर्द का कुल रकबा 1923 बीघा 19 बिरवा है परन्तु उ०प्र० जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत विज्ञप्ति-617-XIV वन विभाग (विविध) दिनांक 11.10.1952 में शेड्यूल-II में वर्णित कमांक-244 पर 800 एकड़ व कमांक-248 पर 843 एकड़ वन के रूप में अधिसूचित है।

उपरोक्त अधिसूचित रकबे 1643 एकड़ के सापेक्ष धारा-4 भारतीय वन अधिनियम अन्तर्गत प्रारम्भ में 800 एकड़ पुनः परिष्कृत रूप में 264.88 एकड़ तथा धारा-20 भारतीय वन अधिनियम अन्तर्गत 262.29 एकड़ विज्ञापित एवं प्रकाशित की गई है। इस प्रकार 1643 एकड़ के सापेक्ष पूर्ण रूपेण अनुपातन अंगी भी शेष है।

Specific

4. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिजिल अपील सं०-7017/2009 में दिए गए निर्णय दिनांक 05.10.2021 के अन्तर्गत कि-

"16- ...therefore the land comprising in notification dated 11-10-1952 unequivocally vests with the state.

27-... the revenue record is not a document of title. Therefore even in the name of the lessee finds mention in the revenue record but such entry without any supporting documents of create any right title of interest....

28-.... the land vests in the forest department by virtue of notification published under a statute...."

Final!!

5. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल तीन ओर से संघन आरक्षित वन से घिरा हुआ है तथा जैव-विविधता से परिपूर्ण है।

6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी, विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम-1950 के अनुसार धारा-4 में विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त धारा-117 में विज्ञप्ति प्रकाशित किए जाने की प्रक्रिया की जाती है। उक्त प्रकरण में अधिसूचना सं०-617 का प्रकाशन बिना धारा चार की प्रक्रिया अपनाए किया गया है। प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि उनके द्वारा उक्त भूमि का कय उत्तर प्रदेश लेण्ड रीजिंग एक्ट के अन्तर्गत विधिक रूप से पूर्ण कार्यवाई करते हुए किया गया है।

7. मुख्य वन संरक्षक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा पुनः इस बात पर जोर दिया गया कि क्योंकि उक्त भूमि 103 (124) ग्राम-दरदी खुर्द में स्थित है जो कि अधिसूचना सं०-617 के दिनांक 11.10.1952 के शेड्यूल-II में इंगित है, जो वन के रूप में अधिसूचित है। अतः भूमि की वैधानिक स्थिति निःसंदेह वन है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि क्योंकि Mutation does not entitle to title, अतः भले ही प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त भूमि का कय विधिक रूप से किया गया है, परन्तु उक्त भूमि वन भूमि होने के कारण कय-विकय नहीं की जा सकती थी, अतः उनका उक्त भूमि पर कोई विधिक दावा नहीं बनता है।
8. सनस्त विन्दुओं से अवगत होते हुए सम्यक विचारोपसंत निर्णय लिया गया कि वन भूमि राज्य का विषय है तथा उस पर राजस्व विभाग का विधिक मत आवश्यक है, अतः आवश्यकतानुसार अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ०प्र० की अध्यक्षता में यह प्रकरण तथा इस तरह के कई प्रकरणों जिराका बैठक में उल्लेख किया गया, एक बैठक आयोजित हों जिसमें राजस्व विभाग, वन विभाग, स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण तथा इस कार्यालय को सम्मिलित करते हुए अनुरोध किया जाए ताकि भूमि की वैधानिक स्थिति स्पष्ट की जा सके।

बैठक धन्यवाद सहित सम्पन्न हुई।

P. S.
20/01/2012
(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित आवश्यक को सूचनार्थ-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक, भूमि अभिलेख एवं बंदोबस्त, लखनऊ।
3. मुख्य वन संरक्षक, मिर्जापुर मण्डल, मिर्जापुर।
4. जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर।
6. श्री नवनीत चड्ढा, प्रतिनिधि, वेलेस्पन एनर्जी, यू०पी० प्रा० लि०, मिर्जापुर, उ० प्र०।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

शीर्ष प्राथमिकता/आवश्यक/तत्काल

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर ।

पत्रांक:- १११६ /जि०भू०व्य०लि०-२०२३/थर्मलए०यू०पी०प्रा०लि०

दिनांक: २१ .०२.२०२४

विषय:- वेलस्पन एनर्जी यू०पी०प्रा०लि० द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जनपद मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइपलाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरव्यवहारीक प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में ।

प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुरवन प्रभाग, मीरजापुर ।

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ०प्र०शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अनुसार ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु बावत भूमिगत वाटर पाइप लाईन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे० आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन के संबंध में विज्ञापित संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा-20 के अंतर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई । अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के संबंध में शासन के पत्रांक-VIP-23/14-2019-190जी/2018 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया अनुसार वेलस्पन एनर्जी द्वारा कय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में आख्या की अपेक्षा की गई है ।

विशेष सचिव, उ०प्र०शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के पत्र संख्या-3123/मीरजापुर/5 दिनांक 10 फरवरी 2020 व अधिकृत प्रतिनिधि/हस्ताक्षरकर्ता, मीरजापुर थर्मल एनर्जी यू०पी०प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट केन्द्र 242/1 प्रथम तल, बबुआ का पोखरा, ब्रह्मपुरी कालोनी मीरजापुर के पत्र दिनांक 08.02.2024 के क्रम में वेलस्पन एनर्जी द्वारा कय की गई 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जॉचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा किया गया ।

उपरोक्त के क्रम में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 प्राप्त की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अंतर्गत ग्राम ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गई थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना संभव नहीं था एवं वर्तमान में भी संभव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलस्पन के द्वारा कय की गई भूमि सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है एवं वन से आच्छादित नहीं है ।

अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में अपने पत्र संख्या-924/मीरजापुर/दिनांक 03 सितम्बर 2019 के साथ संलग्न विशेष सचिव, उ०प्र०शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ के पत्र संख्या- 1705/81-2-2019-800(64)/2016 दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में कार्यालय के पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट दिनांक 28.02.2024 के क्रम में नियमानुसार अग्रोतर आवश्यक कार्यवाही कराने कष्ट करें ।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार ।

जिलाधिकारी
मीरजापुर।

शासन के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 दिनांक 26 अगस्त, 2019 में की गयी प्रेक्षा-प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं जिलाधिकारी मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे० वेलस्पन द्वारा कय की गयी भूमि 834.68 एकड़ में वन भूमि निहित तो नहीं है के कम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्र संख्या 2585/मीरजापुर/15 दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके कम में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 1869/जि०भू०व्य० लि०/गैर वन भूमि-टीम गठन/2024 दिनांक 12 फरवरी, 2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, अपर जिलाधिकारी (भू०/रा०) मीरजापुर, उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर, उपप्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर, मीरजापुर की संयुक्त टीम गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में राजस्व व वन विभाग के विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये -

1. दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द ग्राम में तथाकथित वन भूमि का उल्लेख मिलता है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.10.1952 का प्रारम्भ इस प्रकार है-"In exercise of the power conferred by section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land 1950 (U.P. Act I of 1951), the Governess is pleased to declare that as from the first day of November 1952, all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprising in any holdingand all forest within the village boundries, site in a circles, which have vested in state under the said Act, shall subject to the exceptions shown in schedule and hereto. vest in Gaon Samaj established for the circle.


उपर्युक्त नोटिफिकेशन दो भागों में विभाजित है-

Schedule-1 :- Particulars of uncultivated Land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs - परन्तु इस सूची में ददरी खुर्द का नाम नहीं है।

Schedule-2 :- Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs.

इस सूची के पृष्ठ संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के संदर्भ में कमशः 800 व 843 एकड़ क्षेत्रफल दर्ज है। दिनांक 18.10.1952 का वन विभाग का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक-1 है।

2. तत्पश्चात् वन विभाग की धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर, 1955 में जारी हुआ, जिसमें ग्राम ददरी खुर्द का उल्लेख नहीं है। दिनांक 26 नवम्बर 1955 का नोटिफिकेशन संलग्नक-2 है।
3. वन विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर 1955 के धारा 4 के संबंध में जारी नोटिफिकेशन के कम में विज्ञप्ति 5564/XIV



दिनांक 27 दिसम्बर 1955 में पुनः धारा 4 का अग्रिम नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिसके कम संख्या 57 पर ग्राम ददरी खुर्द के संबंध में मात्र 800 एकड़ भूमि का नोटिफिकेशन है, जिसकी सीमा दक्षिण दांती वन पश्चिम ददरी खुर्द व ददरी गहिरा की कृषिक भूमि व उत्तर सुखनई वन व पूरव दाढीराम वन है। दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का धारा-4 का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक-3 है।

4. पुनः वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14-ख-67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दिनांक 24 जुलाई 1967 के जारी नोटिफिकेशन में ग्राम ददरी खुर्द के गाटों का विवरण दिया गया जो निम्नवत् है:-

शेड्यूल-2 की परिभाषा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	1359फ0 खसरा के अनुसार नवैयत
Particulars of forests and the extant to which they shall not vest in Gaon Samajs	01	151 बीघा 01 विस्वा	पथरैल
	24	131 बीघा 10 विस्वा	पथरैल
	68	03 बीघा 02 विस्वा	नाला
	73/1	14 बीघा 15 विस्वा	* पथरैल
	74मि0	04 बीघा 00 विस्वा	नदी
	184	105 बीघा 12 विस्वा	पहाड़
	185	13 बीघा 12 विस्वा	पहाड़
	योग	423 बीघा 12 बिस्वा या	264.88 एकड़

इस प्रकार वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के शेड्यूल-2 की परिभाषा एवं 1967 में धारा-4 में प्रकाशित ददरी खुर्द के वन भूमि का विवरण एवं 1359फसली खसरा (वर्ष 1952) में भूमि की प्रकृति से स्पष्ट है कि 1359 फसली खसरे में पथरैल, नदी, पहाड़ व नाला की भूमि ही वन भूमि के रूप में प्रकाशित की गयी थी। जो तत्समय में वन भूमि के रूप में थी। दिनांक 24 जुलाई 1967 का नोटिफिकेशन संलग्नक-4 है।

5. दिनांक 24 जुलाई 1967 का जारी विज्ञप्ति धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप ही विज्ञप्ति संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटों-01मि0, 24मि0, 73/1, 74मि, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 विस्वा अर्थात् 262.29 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशन हुआ। विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 संलग्नक-5 है। इसी धारा 20 के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी में 264.23 एकड़ अर्थात् 107.030 हे0 रकबा वन विभाग के नाम दर्ज है। वर्तमान खतौनी संलग्नक-6 है।

जहाँ तक वन विभाग द्वारा जारी 1952 की विज्ञप्ति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में वन विभाग व राजस्व विभाग में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य प्रकटित हुए :-

(Handwritten signatures and marks)

- (क) वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के पृष्ठ संख्या 1225 के क्रमांक 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में क्रमशः 800 एकड़ व 843 एकड़ क्षेत्रफल का उल्लेख है। जो कि कुल मिलाकर 1643 एकड़ हो जाता है।
राजस्व विभाग के उपलब्ध अभिलेख 1306फ0 के खेवट में भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

भूमि का प्रकार	कुल रकवा
परती जजीद व परती कदीम	432.84 एकड़
तालाब	1.18 एकड़
नदी नाला	16.93 एकड़
पथरैल	196 एकड़
जंगल	107.40 एकड़
पहाड़	77.15 एकड़
काश्तकारी भूमि	347.38 एकड़

इस प्रकार 1306फसली खेवट में तालाब, नदी, नाला, पथरैल व पहाड़ की भूमि का कुल 291.26 एकड़ है। इसी प्रकार 1334फ0 के खसरा में ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1202.5 एकड़ है, जिसमें 229.375 एकड़ भूमिधरो के नाम तथा 179.375 एकड़ सीरदारो के नाम भूमि है। तहसील अभिलेखागार में 1359 फसली की खतौनी नहीं मिली परन्तु अभिलेखागार में उपलब्ध 1359फ0 के खसरा में ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1209.562 एकड़ है। जिसमें सीर काश्तकार 118.025 एकड़, बजरं 803.718 एकड़, पथरैल 193.062 एकड़, बाध 1.5 एकड़ व रास्ता 0.25 एकड़ व तालाब 1.187 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व पहाड़ 74.5 एकड़ भूमि है। 1359फ0 खसरा में ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकवा 1209.562 एकड़ है। अतः राजस्व अभिलेख 1306फसली खेवट, 1334फसली खसरा व 1359फसली खसरा से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन में उल्लिखित वन भूमि का कुल रकवा 1643 एकड़ त्रुटिपूर्ण है। यह किसी भी स्थिति में राजस्व ग्राम के कुल रकवा 1209.562 एकड़ से अधिक नहीं हो सकता।

- ख. जिला अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेख 1362फ0 की खतौनी का परीक्षण किया गया जो जीर्ण-शीर्ण है। जिसमें कुछ खातो का विवरण उपलब्ध है। इस खतौनी में श्रेणी-02 - जो सीरदारो के अधिकार में है, कुल 168 गाटा कुल रकवा 901.875 एकड़ पर सीरदारो का नाम अंकित है। जिसपर भौमिक वर्ष 01वर्ष लिखा गया है। जिसका अर्थ यह है कि 1362फ0 खतौनी के निर्माण वर्ष 1955 से 01वर्ष पूर्व 1954 से ही उक्त भूमि 901.875 एकड़ सीरदारो के अधिकार में थी। अतः स्पष्ट है कि तत्समय नदी, नाला, पहाड़ व पथरैल की भूमि जो 1952 नोटिफिकेशन के सेड्यूल-2 Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. के रूप में परिभाषित है जिसका रकवा मात्र 264 एकड़ ही है।
- ग. वन विभाग के दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकवा क्रमशः 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ को सेड्यूल 02 में रखा गया है तथा सेड्यूल 02 को परिभाषित

L   

करते हुए कहा गया है कि - Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. अर्थात् उस भूमि का विवरण जो ग्राम सभा में नहीं है तथा तत्समय वन के रूप में है। राजस्व विभाग का 1359फ0 खसरा जमींदारी विनाश अधिनियम के समय तैयार किया गया आधार वर्ष खसरा है खसरा वह राजस्व दस्तावेज है जो प्रति कृषि वर्ष भूमि की प्रकृति, उसपर लगी फसल, भूमि का स्वामित्व आदि प्रदर्शित करता है। 1359फ0 के खसरा में 803.718 एकड़ बजर भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बजर भूमि रकवा 803.718 एकड़ वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के सेड्यूल-2 के अन्तर्गत नहीं है। 1359फ0 खसरा में 803.718 एकड़ रकवा बजर भूमि होना यह प्रदर्शित करता है कि तत्समय उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया था। किन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि उक्त भूमि तत्समय किसी स्वामित्व के अन्तर्गत नहीं थी। 1359फ0 खसरा में पथरैल भूमि का रकवा 193.162 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व नाला 6.375 एकड़ व पहाड़ 74.5 एकड़ कुल रकवा 284.599 एकड़ था।

घ. वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14-ख-67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये गाटा संख्या 1, 24, 68, 73/1, 74, मि, 184, 185 कुल रकवा मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1366 से 1368 फसली खतौनी में उक्त गाटों का विवरण व नवैयत निम्नवत् है-

गाटा संख्या	क्षेत्रफल	नवैयत
1	151 बीघा 1 बिस्वा	पथरैल
24	131 बीघा 10 बिस्वा	पथरैल
68	3 बीघा 2 बिस्वा	नाला
73/1	14 बीघा 15 बिस्वा	पथरैल
74 मि 0	9 बीघा 14 बिस्वा	नदी
184	105 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
185	13 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
योग-	429 बीघा 6 बिस्वा या 268.31 एकड़	

उपरोक्त गाटों में से गाटा संख्या 1, 24, 73/1, 74, 184 व 185 कुल रकवा 423 बीघा 12 बिस्वा अर्थात् 264.88 एकड़ की विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 विज्ञप्ति संख्या 4646/14-02-20 (41)-77 भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ। जिससे स्पष्ट है कि वन विभाग के 1977 के धारा-20 के प्रकाशन में केवल पथरैल व नदी व पहाड़ की ही भूमि का प्रकाशन किया गया था। जिसमें पूर्व की किसी भी बजर भूमि या सीरदारों की भूमि का प्रकाशन नहीं था। वन विभाग की धारा-20 की विज्ञप्ति के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी में भी भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

(Handwritten signatures and marks)

वर्तमान गाटा संख्या	क्षेत्रफल. हेक्टर मे	पुराना नम्बर
1	13.800हे0	1मि
2	13.380हे0	1मि
3	4.750हे0	1मि
4क	6.000हे0	1मि
4ख	0.250हे0	1मि
5	16.700हे0	24मि
6	10.400हे0	25मि
23छ	2.010हे0	73मि
30	1.750हे0	73मि
31ख	1.010हे0	74मि
32	0.170हे0	68मि
53	6.150हे0	24मि
74	0.450हे0	68मि
198छ	1.310हे0	131मि
219	9.050हे0	184मि
232	9.000हे0	184मि
233	8.000हे0	184मि
234	2.850हे0	185
योग	107.030हे0 अर्थात 423 बीघा 3विस्वा 3धूर अर्थात 264.23 एकड़	

उक्त से स्पष्ट है कि धारा-20 के प्रकाशन के समय मात्र 264.88 एकड़ भूमि ही वन भूमि थी। जो 1952 के नोटिफिकेशन में प्रकाशित कुल रकवा 1643एकड़ की सत्यता को संदिग्ध करता है।

च. जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117- कुछ भूमि आदि का ग्रामसभाओं तथा अन्य स्थानिक अधिकारियों में निहित होना-धारा-01, धारा-04 में उल्लेखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय, राजस्व सकार, (सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा) यह प्रख्यापित कर सकती है कि तदर्थ विनिर्दिष्ट किये जाने के दिनांक से निम्न लिखित सभी या कोई वस्तु अर्थात्-

L   


- (1) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़कर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं,
- (2) जंगल,
- (3) स्रोत में अथवा जोत की मेड़ पर या बाग अथवा आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर सभी पेड़,
- (4) मीनाशय
- (5) ऐसी भूमि जिनपर धारा-18 की उपधारा 1 के खण्ड क से ग के उपबन्ध लागू होते हैं अथवा धारा-9 में उल्लेखित स्थलों तथा क्षेत्रों पर लगने वाले हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेलें,
- (6) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालियाँ, रास्ते व आबादी के स्थल

जो इस अधिनियम में अधीन राज्य में निहित हो गये हों, उस सम्पूर्ण गाँव या उसके भाग के लिए जिसमें उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित ग्राम सभा या किसी अन्य अधिकारिकी में अथवा एक ऐसे स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा भी है), और अंशतः दूसरे में निहित हो जायेंगे।

उक्त से स्पष्ट है कि धारा-117 की उपधारा-2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियों पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके क्रम में वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा-20 के अन्तर्गत श्रेणी-6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकवा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकवा 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज०वि०अधि० की धारा-117 में निहित/प्रदत्त शाक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा-117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।


अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा कय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।


तहसीलदार सदर,
मीरजापुर


उप जिलाधिकारी सदर,
मीरजापुर


उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुनार, मीरजापुर


अपर जिलाधिकारी (भू/रा०)
मीरजापुर
23/08/2024


प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक- 3056 / मीरजापुर / 15 दिनांक मीरजापुर मार्च 5, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय- वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ-1- विशेष सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 लखनऊ दिनांक 26.08.2019।
2- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या-398/11-सी-FP/UP/THERMAL/14236/2015, दिनांक 27.08.2019।
3- आपका पत्रांक- 990/मी0/33 दिनांक 29.08.2019।

महोदय,

वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बावत भूमिगत वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, जनपद-मीरजापुर में विज्ञापित सं0-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुई एवं कालान्तर में धारा-20 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में अभिलेखों की विधिवत जांच कर प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर एवं जिलाधिकारी, मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलेस्पन द्वारा क्रय की गयी भूमि 834.68 एकड़ में वन भूमि निहित तो नहीं है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में शासन द्वारा विस्तृत आख्या/टिप्पणी की अपेक्षा की गयी। उक्त के क्रम में उपरोक्तानुसार विस्तृत आख्या/टिप्पणी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 924/मी0/15 दिनांक 03.09.2019 एवं पत्रांक 2585/मी0/15 दिनांक 10.01.2020 द्वारा जिलाधिकारी, मीरजापुर से अनुरोध किया गया। उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक 1869 दिनांक 12.02.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर की अध्यक्षता में अपर जिलाधिकारी (भू-राजस्व), उप जिलाधिकारी सदर, उप प्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर को सदस्य रूप में नामित कर जांचोपरान्त स्पष्ट आख्या मय अभिलेख उपलब्ध कराये जाने हेतु संयुक्त टीम का गठन किया गया।

कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 1916/जि0भू0व्य0लि0-2023/थर्मल ए0 यू0 पी0 प्रा0 लि0/दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक-1) द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट/विस्तृत

आख्या/टिप्पणी उपलब्ध करायी गयी, जिसमें उल्लिखित है कि "धारा-117 की उपधारा-2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियों पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके क्रम में वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा-20 के अन्तर्गत श्रेणी-6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम-ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकबा 800 व 843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज०वि०अधि० की धारा-117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा-117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनदेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

जिलाधिकारी, मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्नकर संस्तुति सहित मय संलग्न को संलग्नकर 04 प्रतियों में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

संख्या 3056 अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि-जिलाधिकारी, महोदया मीरजापुर को उनके पत्र संख्या-1916/जि०भू० व्य०लि०-2023/थर्मल ए०यू०पी०प्रा०लि०/दिनांक 29.02.2024 एवं पत्रांक-1917/जि०भू० व्य० लि०-2023/थर्मल ए० यू० पी० प्रा०लि०/दिनांक 29.02.2024 के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।।

(अरविन्द राज मिश्रा)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक- 4457 / मी0क्षे0 / 33 / मीरजापुर, दिनांक, मई, 15- 2024
सेवा में,

विषय- प्रधान मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।
बेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0 लि0 द्वारा ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद-मीरजापुर
में प्रस्तावित 1320 मेगावाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति वाहत भूमिगत
वाटर पाइप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर
वानिकी प्रयोग एवं वायक 296 वृक्षां क पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ- 1-विशेष सचिव उ0प्र0 शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ
का पत्रांक-1705/81-2-2019-800(64)/2016 लखनऊ दिनांक 26.08.2019
2-आपका पत्रांक-398/11-सी- FP/UP/Thermal/14236/2015 दिनांक 27.08.2019
3-प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर का पत्र संख्या-3056/मीरजापुर/15 दिनांक 05.03.
2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 26.08.
2019 द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर ने अपने कार्यालय के पत्र
संख्या-3056/मीरजापुर/15 दिनांक 05.03.2024 (छाया प्रति संलग्न) है, द्वारा आख्या मय अभिलेखीय
साक्ष्य सहित संलग्न कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा प्रेषित किये गये प्रश्नगत प्रकरण आख्या एतद
सह संलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(गनीप गितल)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

संख्या- 4457/अ/संदिनांक।

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ को उ0प्र0, शासन के
सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रश्नगत प्रकरण
की आख्या एतद सह संलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-मुख्य वन संरक्षक, भू-अभिलेख एवं वन्दोवस्त, उ0प्र0, लखनऊ को उ0प्र0, शासन के
सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रश्नगत प्रकरण
की आख्या एतद सह संलग्न कर आवश्यक अग्रतर कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को सन्दर्भित पत्र क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(गनीप गितल)

मुख्य वन संरक्षक

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

१८२६

उत्तर प्रदेश गजट, २६ नवम्बर, १९५५

[भाग १

क्रम संख्या	तहसील	परगना	गांव	खलाक नं०	खलाक की सीमाएँ	क्षेत्रफल एकड़ों में	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
११	शाहदो, लखन	विजैना	बकिया	११	उत्तर—काश्तकारी खेतों के किनारे नालियों तथा तारकोल बंदिस्त चिह्न चूकों पर। पूर्व—पिपरी जंगल तथा देवरी जंगल मिला। दक्षिण—पिपरी जंगल मिला। पश्चिम—पिपरी जंगल तथा जेगी मीठ की काश्त। नं० ८५, ८०, २०६, २७६, २८०, २८१, २८२, ५०।	८८७	
१२	"	विजैना	बकिया	१२	उत्तर—कमतावा नदी। पूर्व—जंगल तथा काश्तकारी खेतों के किनारे नालियों तथा चूकों पर तारकोल से अंकित चिह्न। दक्षिण—सिवाहट जंगल मिला हुआ। पश्चिम—केदार व पनिकप का जंगल। नं० १ से २४, १२४, १५६, १६१, १६२, १६३, १६५, १७४ से २०६ तक १६६ से १६६/१, १७० से १७२, ५५, ६८, ७०, ७१, ७३, १२६/२१३, १६३/२०६, १६५/२०८।	२४५५९	
१३	"	"	"	१३	उत्तर—पिपरी जंगल। पूर्व—पिपरी जंगल। दक्षिण—पिपरी जंगल। पश्चिम—काश्तकारी खेतों के किनारों नालियों तथा चूकों में तारकोल द्वारा अंकित चिह्न। नं० ५२, ६०, ५७, ५६, ६१, ६३, ६४, ६५, ६६, ७५, ८०, ८१, ८४, ८५, १०७, १०८, १०६, १११, ११६, ११८, ११९, १२०, १२१, १२२, १२३, १२४।	१४०	
१४	"	"	मलहट	१४	उत्तर—काश्तकारी खेत जो तारकोल से चूकों में ५६२६४ तथा नालियों द्वारा अंकित व देवरी व पिपरी जंगल मिला है। पूर्व—असहिया माला व जंगल नमया मिला। दक्षिण—कमटांड जंगल मिला हुआ। पश्चिम—काश्तकारी खेत जो चूकों में तारकोल तथा नालियों द्वारा अंकित चिह्न। नं० १०७/४-ब, १०८/१-ब, १११, १२०/३, १२२/३, १२०/१, १३३/५, ११८/१, ११६, १२३/६, १२९, १३४/१, १३७, १४२, १४३, १४४/१, १४५, १४४, २, ६६ अ, १०६, १३२, १३६।	५६२६४	
१५	"	देवरी अथ देवरा	देवरी	१५	उत्तर—काश्तकारी खेतों के किनारे नालियों तथा चूकों पर तारकोल द्वारा अंकित चिह्न। पूर्व—मकवानपुर तथा आशाभीड़ जंगल। दक्षिण—मलहट तथा नमया जंगल। पश्चिम—पिपरी तथा बकिया जंगल से मिला है। नं० ५२८, ५२९, ५३३, ५५०, ५५७/१-ब, ५६०, ५६१, ५६/५५४, ५५९, ५६३, ५९५/१, ६०६, ४९३/२, ५४२, ३११, ६३१, ६३२, ६३३, २८६, २८७, २९०, २९१, २९२, ६०६, २९८, २९९, २९८, ३००, २९७, २९८, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०५, ३०६, ३०७, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१२, ३१३, ३१४, ३१५, ३१६, ३१७, ३१८, ३१९, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३२४, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३०, ३३१, ३३२, ३३३, ३३४, ३३५, ३३६, ३३७, ३३८, ३३९, ३४०, ३४१, ३४२, ३४३, ३४४, ३४५, ३४६, ३४७, ३४८, ३४९, ३५०, ३५१, ३५२, ३५३, ३५४, ३५५, ३५६, ३५७, ३५८, ३५९, ३६०, ३६१, ३६२, ३६३, ३६४, ३६५, ३६६, ३६७, ३६८, ३६९, ३७०, ३७१, ३७२, ३७३, ३७४, ३७५, ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८८, ३८९, ३९०, ३९१, ३९२, ३९३, ३९४, ३९५, ३९६, ३९७, ३९८, ३९९, ४००, ४०१, ४०२, ४०३, ४०४, ४०५, ४०६, ४०७, ४०८, ४०९, ४१०, ४११, ४१२, ४१३, ४१४, ४१५, ४१६, ४१७, ४१८, ४१९, ४२०, ४२१, ४२२, ४२३, ४२४, ४२५, ४२६, ४२७, ४२८, ४२९, ४३०, ४३१, ४३२, ४३३, ४३४, ४३५, ४३६, ४३७, ४३८, ४३९, ४४०, ४४१, ४४२, ४४३, ४४४, ४४५, ४४६, ४४७, ४४८, ४४९, ४५०, ४५१, ४५२, ४५३, ४५४, ४५५, ४५६, ४५७, ४५८, ४५९, ४६०, ४६१, ४६२, ४६३, ४६४, ४६५, ४६६, ४६७, ४६८, ४६९, ४७०, ४७१, ४७२, ४७३, ४७४, ४७५, ४७६, ४७७, ४७८, ४७९, ४८०, ४८१, ४८२, ४८३, ४८४, ४८५, ४८६, ४८७, ४८८, ४८९, ४९०, ४९१, ४९२, ४९३, ४९४, ४९५, ४९६, ४९७, ४९८, ४९९, ५००, ५०१, ५०२, ५०३, ५०४, ५०५, ५०६, ५०७, ५०८, ५०९, ५१०, ५११, ५१२, ५१३, ५१४, ५१५, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५, ५२६, ५२७, ५२८, ५२९, ५३०, ५३१, ५३२, ५३३, ५३४, ५३५, ५३६, ५३७, ५३८, ५३९, ५४०, ५४१, ५४२, ५४३, ५४४, ५४५, ५४६, ५४७, ५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२, ५५३, ५५४, ५५५, ५५६, ५५७, ५५८, ५५९, ५६०, ५६१, ५६२, ५६३, ५६४, ५६५, ५६६, ५६७, ५६८, ५६९, ५७०, ५७१, ५७२, ५७३, ५७४, ५७५, ५७६, ५७७, ५७८, ५७९, ५८०, ५८१, ५८२, ५८३, ५८४, ५८५, ५८६, ५८७, ५८८, ५८९, ५९०, ५९१, ५९२, ५९३, ५९४, ५९५, ५९६, ५९७, ५९८, ५९९, ६००, ६०१, ६०२, ६०३, ६०४, ६०५, ६०६, ६०७, ६०८, ६०९, ६१०, ६११, ६१२, ६१३, ६१४, ६१५, ६१६, ६१७, ६१८, ६१९, ६२०, ६२१, ६२२, ६२३, ६२४, ६२५, ६२६, ६२७, ६२८, ६२९, ६३०, ६३१, ६३२, ६३३, ६३४, ६३५, ६३६, ६३७, ६३८, ६३९, ६४०, ६४१, ६४२, ६४३, ६४४, ६४५, ६४६, ६४७, ६४८, ६४९, ६५०, ६५१, ६५२, ६५३, ६५४, ६५५, ६५६, ६५७, ६५८, ६५९, ६६०, ६६१, ६६२, ६६३, ६६४, ६६५, ६६६, ६६७, ६६८, ६६९, ६७०, ६७१, ६७२, ६७३, ६७४, ६७५, ६७६, ६७७, ६७८, ६७९, ६८०, ६८१, ६८२, ६८३, ६८४, ६८५, ६८६, ६८७, ६८८, ६८९, ६९०, ६९१, ६९२, ६९३, ६९४, ६९५, ६९६, ६९७, ६९८, ६९९, ७००, ७०१, ७०२, ७०३, ७०४, ७०५, ७०६, ७०७, ७०८, ७०९, ७१०, ७११, ७१२, ७१३, ७१४, ७१५, ७१६, ७१७, ७१८, ७१९, ७२०, ७२१, ७२२, ७२३, ७२४, ७२५, ७२६, ७२७, ७२८, ७२९, ७३०, ७३१, ७३२, ७३३, ७३४, ७३५, ७३६, ७३७, ७३८, ७३९, ७४०, ७४१, ७४२, ७४३, ७४४, ७४५, ७४६, ७४७, ७४८, ७४९, ७५०, ७५१, ७५२, ७५३, ७५४, ७५५, ७५६, ७५७, ७५८, ७५९, ७६०, ७६१, ७६२, ७६३, ७६४, ७६५, ७६६, ७६७, ७६८, ७६९, ७७०, ७७१, ७७२, ७७३, ७७४, ७७५, ७७६, ७७७, ७७८, ७७९, ७८०, ७८१, ७८२, ७८३, ७८४, ७८५, ७८६, ७८७, ७८८, ७८९, ७९०, ७९१, ७९२, ७९३, ७९४, ७९५, ७९६, ७९७, ७९८, ७९९, ८००, ८०१, ८०२, ८०३, ८०४, ८०५, ८०६, ८०७, ८०८, ८०९, ८१०, ८११, ८१२, ८१३, ८१४, ८१५, ८१६, ८१७, ८१८, ८१९, ८२०, ८२१, ८२२, ८२३, ८२४, ८२५, ८२६, ८२७, ८२८, ८२९, ८३०, ८३१, ८३२, ८३३, ८३४, ८३५, ८३६, ८३७, ८३८, ८३९, ८४०, ८४१, ८४२, ८४३, ८४४, ८४५, ८४६, ८४७, ८४८, ८४९, ८५०, ८५१, ८५२, ८५३, ८५४, ८५५, ८५६, ८५७, ८५८, ८५९, ८६०, ८६१, ८६२, ८६३, ८६४, ८६५, ८६६, ८६७, ८६८, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७४, ८७५, ८७६, ८७७, ८७८, ८७९, ८८०, ८८१, ८८२, ८८३, ८८४, ८८५, ८८६, ८८७, ८८८, ८८९, ८९०, ८९१, ८९२, ८९३, ८९४, ८९५, ८९६, ८९७, ८९८, ८९९, ९००, ९०१, ९०२, ९०३, ९०४, ९०५, ९०६, ९०७, ९०८, ९०९, ९१०, ९११, ९१२, ९१३, ९१४, ९१५, ९१६, ९१७, ९१८, ९१९, ९२०, ९२१, ९२२, ९२३, ९२४, ९२५, ९२६, ९२७, ९२८, ९२९, ९३०, ९३१, ९३२, ९३३, ९३४, ९३५, ९३६, ९३७, ९३८, ९३९, ९४०, ९४१, ९४२, ९४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५०, ९५१, ९५२, ९५३, ९५४, ९५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९५९, ९६०, ९६१, ९६२, ९६३, ९६४, ९६५, ९६६, ९६७, ९६८, ९६९, ९७०, ९७१, ९७२, ९७३, ९७४, ९७५, ९७६, ९७७, ९७८, ९७९, ९८०, ९८१, ९८२, ९८३, ९८४, ९८५, ९८६, ९८७, ९८८, ९८९, ९९०, ९९१, ९९२, ९९३, ९९४, ९९५, ९९६, ९९७, ९९८, ९९९, १०००।	३५१४४	

भाग १]

उत्तर प्रदेश गणक, २१ नवम्बर, १९५५

१०२९

क्रमा-संख्या	सहस्रीका	परमना	ग्राम	अंशक नं०	अंशक की सीमा	अंशकल एकड़ों में	विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
३३	राजेंद्र नगण	विजयनगर	पोखरी	३३	उत्तर—अकरीर अंशक । पूर्व—समता अंशक । दक्षिण—श्रीधरा अंशक । पश्चिम—मकरीवारी ।	—	
३४	"	"	विरनधुषी	३४	उत्तर—अंशक अंशक । पूर्व—परमना अंशक । दक्षिण—अंशक पोखरी । पश्चिम—मुरही ।	—	
३५	"	"	मुरही	३५	उत्तर—अंशक अंशक । पूर्व—मज अंशक । दक्षिण—बैरही अंशक । पश्चिम—लवणा अंशक । नं० २ से ५ तक, १७, ४६, ४७, १०३, १०६ से ११० तक, ११३, ११४, ११५, ११६, ११८ से १२४ तक, १४०, १४१, १४५, १४४, १६०, १६२, १६९ से १६४ तक, २०६, २०७	५४.३	
३६	"	"	श्रीधरा	३६	उत्तर—पोखरी अंशक । पूर्व—मुरही अंशक । दक्षिण—अंशक अंशक । पश्चिम—अगोही अंशक । १, २, १६, ४९, ५६, ८९	७.५	
३७	"	"	मरकुड़ी	३७	उत्तर—अंशक अंशक । पूर्व—बैरही अंशक । दक्षिण—अंशक अंशक । पश्चिम—अंशक अंशक । नं० ३३ से ३८ तक, ८५, ८६, ८७, ११३, ११४, ११५, ११६, ११७, ११८, १२२, १२३	३२.५	
३८	"	"	मकरीवारी	३८	उत्तर—अगोही अंशक । पूर्व—पोखरी अंशक । दक्षिण—मगोही अंशक । पश्चिम—अगोही अंशक ।	—	
३९	"	"	बैरही	३९	उत्तर—श्रीधरा अंशक । पूर्व—अंशक अंशक । दक्षिण—मरकुड़ी अंशक । पश्चिम—मगोही अंशक । नं० ६६४, ६७७ से ६८६ तक, ६०६, ६०७, ६०८, ६६५, ५६६, ५६८, ५६९, ६००, ६०१, २२६, २७२ से २८८ तक, २००, २२६ से २३४ तक	४०.६	
४०	"	"	मज	४०	उत्तर—कासत व महर विभाग सरहद । पूर्व—अंशक अंशक । दक्षिण—अंशक मुरही । पश्चिम—अंशक अंशक । नं० ६० से ६४ तक, १४२ ।	२०	
४१	राजेंद्र नगण	"	मचवा	४१	उत्तर—अंशक बैरही । पूर्व—अंशक बैरही । दक्षिण—कासत मरकुड़ी भांज पश्चिम—मरकुड़ी अंशक ।	—	
४२	"	"	मोहरी	४२	उत्तर—कासत प्रांज दुपटिया । पूर्व—गाइवान अंशक । दक्षिण—अंशक अंशक । पश्चिम—मुरही का अंशक । नं० ४१, ४२, ४३, ४० से ४३ तक, १०४, २०३, २१६, २६०, २६४, २६७ ।	१०.७	

२५३ क

१८४६

उत्तर प्रदेश गजट, २६ नवम्बर, १९५२

शुद्धि-पत्र

२३ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० २१६७/१५-००८-५३-ता० २६ मार्च, १९५५ ई० के उत्तर प्रदेश के हिन्दी गजट में प्रकाशित विनियम सं० ५६४/१५-००८-५३, विनियम २१ मार्च, १९५५ के परिशिष्ट में निम्नलिखित संशोधन कर दिया जाय :-

क्रम-संख्या	प्राप्त संख्या	के स्थान पर	पड़ा जाय
१	२	३	४
१	४	परतपपुर	परतपपुर
२	४	कानिबगीतराई	कानिबगीतराई
३	४	बनसगाँव	बेलेगाँव
१५	४	सोखरपुर	मुधाननपुर
१६	४	सिकरवा	शोपत
१७	४	गरिया अलिक गाँ	गढ़ी अलिक गाँ
२६	४	तेधाना	गाईनाला
३४	४	हुमानवासीपुर धर्मा	हुमान असीपुर धर्मा
४८	४	दुकारिया	दुकारिया
५०	४	गुमाल खाला	कुशलखाला
५२	४	नगकरा	नगकारा

आज्ञा से,
जुहल हुसैन,
सेक्रेटरी।

शिक्षा विभाग

छुटी

२१ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० ए-७३१६/१५-२-५५-कुमारी जी० चारुदे, बालिका विद्यालय निरीक्षिका, द्वितीय मंडल, बरेली की शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश द्वारा डाक्टरों प्रमाण-पत्र पर शीघ्र वेधन पर स्वीकृत २१ दिन की छुट्टी के क्रम में दिनांक १ सितम्बर से ३० नवम्बर, १९५५ ई० तक ३ मास की छुट्टी प्रदान की गयी।

नियुक्ति

२२ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० ए-७५००/१५-५-५५-कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से निम्नलिखित अधिकारियों को ए० ए० ए० (गजेट) वेतन-क्रम में उनके सम्बन्धित जिले में विद्यालय में प्रधान अध्यापक के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया :-

नाम तथा पद	विद्यालय का नाम	रिमांक
१- श्री गंगाप्रसाद मिश्र, सहायक अध्यापक, राजकीय कबली इंटर कालेज, नारायण	राजकीय नार्मल स्कूल, गलरामपुर, तांडा	श्री जयन्ता सरन के पदोन्नत होने पर।
२- श्री चम्पलपति उपाध्याय, उप-विद्यालय निरीक्षक, फंजाबाद	राजकीय नार्मल स्कूल, मुरादाबाद	श्री ए० पी० गुप्ता के सेवा-निवृत्त होने पर।
३- श्री केदारनाथ मिश्र, उप-विद्यालय निरीक्षक, चारवाँ	राजकीय नार्मल स्कूल, रायबरेली	श्री राधेश्याम श्री-बाबत के सेवा-निवृत्त होने पर।

१९ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० ए-७२४/१५(क)-५५-कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से योंच आफ हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के स्थानापन्न अतिरिक्त सचिव श्री रघुनाथ सरन जोहरी को, जो ए० पी० ए० ए० ए० सीनियर वेतन-क्रम में हैं, बौडे आफ हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की उसी सेवा में सचिव के पद पर श्री नारायण बंसल गोडी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रतिनिधायक पर जाने पर, स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया गया।

२१ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० ए-७४३३/१५-३ (१)-५५-विनियम २ सितम्बर, १९५५ से कुमारी विद्या अग्रवाल, प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इंटर कालेज, बरेली की, जो ए० ए० ए० ए० सीनियर वेतन-क्रम में हैं, कुमारी जी० चारुदे के छुट्टी पर रहने पर उनके स्थान पर उषा वेतन-क्रम में बालिका विद्यालय निरीक्षिका, द्वितीय मंडल, बरेली के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्ति की गई है।

सं० ए-७४३३/१५-३ (१)-५५-दिनांक २ सितम्बर, १९५५ से श्रीमती आई० सी० सिंह, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इंटर कालेज, बरेली की, उसी कालेज में कुमारी विद्या अग्रवाल के स्थान पर प्रधानाचार्या के पद पर ए० ए० ए० सीनियर वेतन-क्रम में स्थानापन्न रूप से नियुक्ति की गई है।

सं० ए-७५४६/१५-६-ए-५५-श्रीमती पी० जी० सक्सेना, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका नार्मल स्कूल, बवायू में कुमारी ए० जी० सिंघान के स्थान पर, उसी स्कूल की प्रधानाध्यापिका के पद पर ए० ए० ए० ए० (गजेट) में दिनांक २ सितम्बर, १९५५ ई० से १२ अगस्त, १९५५ ई० तक स्थानापन्न रूप से कार्य किया।

सं० ए-७६३०/१५-१२०-५५-पिप्पित सं० ए-६१४७/१५-३-५४, दिनांक २१ जून, १९५४ ई० के अवक्रमण में श्री ससोकरव, प्रधानाचार्या, राजकीय इंटर कालेज, अल्मोड़ा ने श्री ए० जेपी के स्थानापन्न पर तारीख २६ जनवरी से २४ मार्च, १९५४ ई० तक अपने कार्य के अतिरिक्त जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्मोड़ा के पद का भार भी धारण किया।

विधि

२३ नवम्बर, १९५५ ई०

सं० ए-७७७५ (ए) (क)/१५-६०८ (४१)-५५-यह प्रतिज्ञा-पत्र, जो नीचे छापा गया है और जिसे देवनागरी पाठशाळा अतिरिक्त स्कूल, हल्दी (बिजनौर) ने लैण्ड एक्वीजिशन ऐक्ट, १८६४ ई० के भाग ७-क (सन् १८६४ ई० की ऐक्ट संख्या १), जैसा कि वह लैण्ड एक्वीजिशन अधिनियम ऐक्ट, १९२३ ई० (१९२३ ई० की ऐक्ट सं० ३८) द्वारा संशोधित हुआ है, के प्रावधानों के अनुसार लिखा है, उक्त ऐक्ट की धारा ४२ के अधीन सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

प्रतिज्ञा-पत्र

एक प्रतिज्ञा-पत्र, जो २३ नवम्बर, १९५५ ई० को गवर्नर महोदय, उत्तर प्रदेश (जो इसके पश्चात् "गवर्नर महोदय" लिये जानेंगे) प्रस्तावित और देवनागरी पाठशाळा अतिरिक्त स्कूल, हल्दी (बिजनौर) एक संस्था, जिसकी रजिस्ट्री सीताहटियों की रजिस्ट्री के ऐक्ट (संख्या २१, १८६० ई०), जो इसके पश्चात् "संस्था" लिये जानेंगी, के अधीन हुई है, इसके पक्ष के मध्य में लिखा गया।

FOREST DEPARTMENT

ADJUTANT COMMISSIONER

December 27, 1955

Advisory Board on page no. 6 S.No. 57

No. 5564/XIV.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Indian Forest Act (1927) and in continuation of notification no. 5056/XIV, dated November 12, 1955, the Governor is pleased to declare that it has been decided to constitute the land shown in the subjoined Schedule in Mirzapur District reserved forests.

Under section 1(c) of section 4 of the said Act, the Sub-Divisional Officers of the sub-division concerned are hereby appointed Forest Settlement Officer and under section 17 of the said Act, the Additional Commissioner, Bawaras Division, is empowered to hear appeals from the orders of the Forest Settlement Officers.

Schedule

	Tahsil	Pargana	Village	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks
	3	3	4	5	6	7	8
District Mirzapur							
1,460	Mirzapur	Kantik	Rampur Machwa	24	South—Uttar Darsi Forest. West—Fields of Uttar Darsi. North—Cultivated area of Rampur Machwa village. East—Rampur Thakurdayal village boundary.	119	
153	Do.	Do.	Santi Magardha	25	South—Santi village boundary. West—Dillo. North—Rambhari Forest. East—Cultivated area of Santi Magardha.	153	
248	Do.	Do.	Gahara	26	South—Village boundaries of Gahara and Magardha Kalan and Kharul. West—Dullurwa village boundary. North—Agnajpandaypur village boundary. East—Cultivated area of Karampana.	248	
303	Do.	Do.	Kothi	27	South—Kothi village boundary. West—Majhyar Forest. North—Belahi village boundary. East—Belahi and Kothi villages.	303	
280	Do.	Do.	Deori Dubar Klaus	28	South—Agricultural fields of Deori Dubar Klaus. West—Purva and Amoi village boundary. North—Deori Uttar Forest. East—Puthaur Forest.	280	
3,005	Do.	Do.	Barkachha Kalan	29	South—Gurtotwa village boundary. West—Barkachha Klaus Forest and Bahura Forest. North—Agricultural fields of Barkachha Kalan. East—Chajuri Nali.	3,005	
1,392	Do.	Do.	Belahi	30	South—Common boundaries of Belahi, Kothi and Kothli villages. West—Village boundaries of Kothi and Gungahar village. North—Village boundary of Bahura Klaus. East—Chitang village boundary.	1,392	

हाशा मान सत्यापित
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रशासक
मीरजापुर

By order,
ZAMMURUL HASAN, Secretary

Dist.	Pargana	Village	Block no.	Boundary of the block	Area in acres	Remarks	Tahsil	Pargana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					15,371			
✓	Mirzapur	Kanbih	Bela	55 South—Sikahi River and Forest West—Common boundary of Kotwa and Bela villages. North—Danti Forest. East—Danti and Sourai Forest.	1,133		Mirzapur	Kanbih
	Do.	Do.	Danti	56 South—Bela and Sourai Forest. West—Kotwa village boundary and Khajuri River. North—Gaura Bessia Forest and Jhinga Barkachha Forest. East—Uchhdand and Dadi Gairab Forest.	738			
	Do.	Do.	Dadi Khurd	57 South—Danti Forest West—Agricultural fields of Dadi Khurd and Dadi Ashra. North—Sukhni Forest. East—Darhiam Forest.	300	✓		
	Do.	Do.	Marihan	58 South—Cultivated area of Marihan village and Panswar Forest. West—Dadi Kalan fields. North—Darhiam Forest. East—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	309			
	Do.	Do.	Rakesh Kalan	59 South—Dadi Rama Forest West—Dadi Rama village boundary. North—Agricultural fields of Rakesh Kalan village. East—Dadi Rama forest and Pashokha fields.	239	✓	Do.	Do.
	Do.	Do.	Sukhni	60 South—Dadi Khurd and Dadi Ram Forest. West—Uchhdand Forest. North—Agricultural fields of Sukhni and Umeria villages. East—Dadi Ram village boundary.	314		Do.	Do.
	Do.	Do.	Dadi Ram	61 South—Common boundary of Machau and Darhiam villages and then Dadi Ram and Dadi Kalan. West—Common boundary of Dadi Khurd and Darhiam villages and then Darhiam and Sukhni villages. North—Agricultural fields of Darhiam village, Rakesh Kalan forest and then Pashokha fields. East—Forest boundary of Umeria Sardar and then Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	3,056		Do.	Do.
	Do.	Do.	Umeria Sardar	62 North—Dadi Ram forest West— Ditto. South— Ditto East—Tahsil boundary of Mirzapur and Chunar Tahsils.	744			
	Do.	Do.	Karanpura	63 South—Common boundary of Karanpura and Rajapur villages and then Karanpur Kalwari villages. West—Boundary of Barni and Magedah forests. East—Boundary of Pahar and Panswar forests. North—Agricultural fields of Karanpura and Harad forest.	1,263			

हाया प्राप्त
सत्यापित
प्रमाणीय वनाधिकारी
मीरजापुर - वन प्रभाग
मीरजापुर

29,711

१	२	३	४	५	६	७	८
मिर्जापुर	मिर्जापुर	कतित	नं०	उमरिया/सुरदार			वी० दि० दि०
				७५			१० १२ ०
				७६			३ १० ०
				७७			१४ ५ ०
				७८			७८ १२ ०
				७९			७९ ११ ०
				८०			७९ ५ ०
				८१			१ १७ ०
				८२			१५० १० ०
				८३			४४ १ ०
				८४			३६ ७ ०
				८५	६ मडिहान		१ १६ ०
				८६			० ५ ०
				८७			११२ १२ ०
				८८			२७ १२ ०
				८९	२०-मि०		३ ० ०
				९०			१४५ १३ ०
				९१			४१ १ ०
				९२	४६-मि०		१ ० ०
				९३	७ पटेवर		१ १५ ०
				९४			४० ११ ०
				९५			१ १० ०
				९६			१ १७ ०
				९७			४ १४ ०
				९८			११ १६ ०
				९९			३ ५ ०
				१००			४७ ५ ०
				१०१			४७ ४ ०
				१०२			० १० ०
				१०३			४ १२ ०
				१०४			४ १५ ०
				१०५			४ ० ०
				१०६			५ ० ०
				१०७			४ ५ ०
				१०८			० ४ ०
				१०९			४३ १२ ०
				११०	४५-मि०		० २ ०
				१११			० ११ ०
				११२			३० १३ ०
				११३			५ १ ०
				११४	४६-मि०		१७ ० ०
				११५	५०-मि०		५ ० ०
				११६	८ ददरी खुर्व		१५१ १ ०
				११७			१५१ १० ०
				११८			३ २ ०
				११९			१४ १५ ०
				१२०	७४-मि०		४ ० ०
				१२१			१०५ १२ ०
				१२२			१३ १२ ०
				१२३			१५ ० ०
				१२४			१५ ० ०
				१२५			१५ ० ०
				१२६			१५ ० ०
				१२७			१५ ० ०
				१२८			१५ ० ०
				१२९			१५ ० ०
				१३०			१५ ० ०
				१३१			१५ ० ०
				१३२			१५ ० ०
				१३३			१५ ० ०
				१३४			१५ ० ०
				१३५			१५ ० ०
				१३६			१५ ० ०
				१३७			१५ ० ०
				१३८			१५ ० ०
				१३९			१५ ० ०
				१४०			१५ ० ०
				१४१			१५ ० ०
				१४२			१५ ० ०
				१४३			१५ ० ०
				१४४			१५ ० ०
				१४५			१५ ० ०
				१४६			१५ ० ०
				१४७			१५ ० ०
				१४८			१५ ० ०
				१४९			१५ ० ०
				१५०			१५ ० ०
				१५१			१५ ० ०
				१५२			१५ ० ०
				१५३			१५ ० ०
				१५४			१५ ० ०
				१५५			१५ ० ०
				१५६			१५ ० ०
				१५७			१५ ० ०
				१५८			१५ ० ०
				१५९			१५ ० ०
				१६०			१५ ० ०
				१६१			१५ ० ०
				१६२			१५ ० ०
				१६३			१५ ० ०
				१६४			१५ ० ०
				१६५			१५ ० ०
				१६६			१५ ० ०
				१६७			१५ ० ०
				१६८			१५ ० ०
				१६९			१५ ० ०
				१७०			१५ ० ०
				१७१			१५ ० ०
				१७२			१५ ० ०
				१७३			१५ ० ०
				१७४			१५ ० ०
				१७५			१५ ० ०
				१७६			१५ ० ०
				१७७			१५ ० ०
				१७८			१५ ० ०
				१७९			१५ ० ०
				१८०			१५ ० ०
				१८१			१५ ० ०
				१८२			१५ ० ०
				१८३			१५ ० ०
				१८४			१५ ० ०
				१८५			१५ ० ०
				१८६			१५ ० ०
				१८७			१५ ० ०
				१८८			१५ ० ०
				१८९			१५ ० ०
				१९०			१५ ० ०
				१९१			१५ ० ०
				१९२			१५ ० ०
				१९३			१५ ० ०
				१९४			१५ ० ०
				१९५			१५ ० ०
				१९६			१५ ० ०
				१९७			१५ ० ०
				१९८			१५ ० ०
				१९९			१५ ० ०
				२००			१५ ० ०
				२०१			१५ ० ०
				२०२			१५ ० ०
				२०३			१५ ० ०
				२०४			१५ ० ०
				२०५			१५ ० ०
				२०६			१५ ० ०
				२०७			१५ ० ०
				२०८			१५ ० ०
				२०९			१५ ० ०
				२१०			१५ ० ०
				२११			१५ ० ०
				२१२			१५ ० ०
				२१३			१५ ० ०
				२१४			१५ ० ०
				२१५			१५ ० ०
				२१६			१५ ० ०
				२१७			१५ ० ०
				२१८			१५ ० ०
				२१९			१५ ० ०
				२२०			१५ ० ०
				२२१			१५ ० ०
				२२२			१५ ० ०
				२२३			१५ ० ०
				२२४			१५ ० ०
				२२५			१५ ० ०
				२२६			१५ ० ०
				२२७			१५ ० ०
				२२८			१५ ० ०
				२२९			१५ ० ०
				२३०			१५ ० ०
				२३१			१५ ० ०
				२३२			१५ ० ०
				२३३			१५ ० ०
				२३४			१५ ० ०
				२३५			१५ ० ०
				२३६			१५ ० ०
				२३७			१५ ० ०
				२३८			१५ ० ०
				२३९			१५ ० ०
				२४०			१५ ० ०
				२४१			१५ ० ०
				२४२			१५ ० ०
				२४३			१५ ० ०
				२४४			१५ ० ०
				२४५			१५ ० ०
				२४६			१५ ० ०
				२४७			१५ ० ०
				२४८			१५ ० ०
				२४९			१५ ० ०
				२५०			१५ ० ०
				२५१			१५ ० ०
				२५२			१५ ० ०
				२५३			१५ ० ०
				२५४			१५ ० ०
				२५५			१५ ० ०
				२५६			१५ ० ०
				२५७			१५ ० ०
				२५८			१५ ० ०
				२५९			१५ ० ०
				२६०			१५ ० ०
				२६१			१५ ० ०
				२६२			१५ ० ०
				२६३			१५ ० ०
				२६४			१५ ० ०
				२६५			१५ ० ०
				२६६			१५ ० ०
				२६७			१५ ० ०
				२६८			१५ ० ०
				२६९			१५ ० ०
				२७०			१५ ० ०
				२७१			१५ ० ०
				२७२			१५ ० ०
				२७३			१५ ० ०
				२७४			१५ ० ०
				२७५			१५ ० ०
				२७६			१५ ० ०
				२७७			१५ ० ०
				२७८			१५ ० ०
				२७९			१५ ० ०
				२८०			१५ ० ०
				२८१			१५ ० ०
				२८२			१५ ० ०
				२८३			१५ ० ०
				२८४			१५ ० ०
				२८५			१५ ० ०
				२८६			१५ ० ०
				२८७			१५ ० ०
				२८८			१५ ० ०
				२८९			१५ ० ०
				२९०			१५ ० ०
				२९१			१५ ० ०
				२९२			१५ ० ०
				२९३			१५ ० ०

20 जुलाई, 1977 ई०

अनु.ग-2

अधिसूचना

सं० 4646/14-2-20(41)-77-अधिसूचना संख्या 23 (2)-36(ब)-14-ख-67, दिनांक 24 जुलाई, 1967 द्वारा अधोलिखित अनुसूची 'क' में निदिष्ट भूमि को, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) के अधीन, आरक्षित वन बनाने का प्रस्ताव किया गया था ;

और, उक्त भूमि में अधिकारों के दावों को प्रस्तुत करने के लिये उक्त अधिनियम द्वारा निदिष्ट अवधि समाप्त हो गयी है; और ऐसे कोई दावे स्वीकार नहीं किये गये हैं, किन्तु अनुसूची 'ख' में दी गयी सीमा तक रियायतें दी गयी हैं ;

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 20 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल दिनांक 30 जनवरी, 1978 से अनुसूची 'क' में उल्लिखित उक्त भूमि को आरक्षित वन घोषित करते हैं :

अनुसूची 'क'

ब्लाक बाढ़ी रामेश्वरि और क्षेत्रफल

1		2		1		2		1		2	
ग्राम-सुखनई		वी०बि०बि०		वी०बि०बि०		वी०बि०बि०		वी०बि०बि०		वी०बि०बि०	
		416	0 9								
		417	1 3 0	457	0 16 0	2509	1 12 0				
875	7 19 0	418	0 16 0	458	0 14 0	2510	892 14 0				
382 ✓	1 9 0	419	0 4 0	459	1 0 0	2511	72 6 0				
383	2 3 0	420	0 14 0	460	1 14 0	2512	1 6 0				
384	3 18 0	421	0 14 0	461	1 8 0	2513	20 7 0				
385	3 14 0	422	0 6 0	462	1 17 0	2514	1 11 0				
386	1 1 0	423	0 2 0	463	1 1 0	2515	4 19 0				
387	1 3 0	424	0 8 0	464	2 3 0	2516	3 14 0				
388	0 4 0	425	0 14 0	465	1 11 0	2517	23 19 0				
389	0 4 0	426	0 3 0	466	7 3 0	2518	0 16 0				
390	0 4 0	427	0 11 0	467	6 9 0	2519	6 4 0				
391	1 7 0	428	0 1 0	468	4 2 0	2520	4 0 0				
392	0 7 0	429	1 7 0	469	3 3 0	2521	340 1 0				
393	0 7 0	430	1 4 0	470	8 10 0	2522	176 12 0				
394	0 14 0	431	1 4 0	471	3 5 0	2523	0 18 0				
395	0 17 0	432	1 4 0	472	1 1 0	2524	39 10 0				
396	0 17 0	433	1 8 0	473	0 8 0	2525	3 8 0				
397	1 11 0	434	1 0 0	474	0 8 0	2526	43 13 0				
398	0 13 0	435	0 4 0	475	0 14 0	2527	0 16 0				
399	0 13 0	436	0 15 0	476	2 4 0	2528	169 4 0				
400	0 16 0	437	0 11 0	477	0 7 0	2529	0 14 0				
401	0 13 0	438	1 1 0	478	0 9 0	2542	134 16 0				
402	0 4 0	439	0 8 0	479	0 10 0	2543	66 8 0				
403	0 10 0	440	0 11 0	480	1 3 0	2544	115 19 0				
404	1 0 0	441	0 19 0	481	3 10 0	2545	1 8 0				
405	0 17 0	442	1 4 0	482	0 9 0	2546	74 4 0				
406	1 4 0	443	1 7 0	483	10 5 0	2547	68 14 0				
407	0 7 0	444	1 0 0	484	0 6 0	2548	161 0 0				
408	1 10 0	445	1 7 0	485	1 7 0	2549	0 8 0				
409	0 4 0	446	1 0 0	486	0 10 0	2550	70 17 0				
410	1 1 0	447	1 0 0	487-बि०	250 10 0	2551	3 11 0				
411	0 4 0	448	1 0 0	488	0 9 0	2552	2 2 0				
412	0 7 0	449	0 8 0			2553	1 11 0				
413	0 16 0	450	0 12 0	योग	394 4 10	2554	3 6 0				
414	1 16 0	451	0 10 0	2391-बी०	51 0 0	2555	0 6 0				
415	0 4 0	452	0 10 0	2506-बी०	90 0 0	2556	18 4 0				
416	1 10 0	453	0 19 0	932	236 16 0	2557	0 4 0				
417	0 12 0	454	1 0 0	2078-बी०	153 0 0	2558	2 11 0				
418	0 12 0	455	0 13 0	2507	2 3 0	2559	0 4 0				
419	0 10 0	456	2 5 0	2508	158 2 0	2560	0 12 0				

2			1			2			1			2														
बी० बि० बि०			गांव--पेटेवर			बी० बि० बि०			गांव--दवरी खुं			बी० बि० बि०														
82	150	10 0	1	1	18 0	33-मी०	1	19 15	1-मी०	150	1 0	83	44	1 0	2-मी०	40	9 0	34	1	0 0	24-मी०	131	9 0			
84	36	3 0	17-मी०	1	8 0	35-मी०	4	17 0	73/1	14	15 0	योग ..	1,108	11 0	18-मी०	2	15 0	36	2	8 0	74-मी०	4	0 0			
वि--मडिहान			19-मी०	4	12 0	42	0	3 0	184	105	12 0	वि			23-मी०	11	15 0	46	0	11 0	185	13	12 0			
1 19 0			24	3	6 0	47-मी०	30	9 0	योग ..			419	9 0	24	3	0 0	48	8	1 0	कुल घं. . .			14895	17 5		
0 8 0			25-मी०	47	7 0	49-मी०	17	0 0	या			9309.52	एकड़ या			26	37	4 0	50-मी०	5	0 0	3767.594			हेक्टर	
112 12 0			27	0	10 0	योग ..	298	3 15	हेक्टर						45	1	11 0									
4-मी० 27 8 0			28/1	4	11 0										46-मी०	1	0 0									
20-मी० 3 0 0			29	4	13 0										योग ..	292	19 0									
44-मी० 145 1 0			30	36	15 0																					
45 1 11 0																										
46-मी० 1 0 0																										
योग .. 292 19 0																										

सीमा का वर्णन

सुनारा संख्या	सुनारे की स्थिति	अगले सुनारे की लगभग दिशा	लगभग विवरण		अगले सुनारे की लगभग दूरी (जरीबों में)	अगले सुनारे की सीमा का प्रकार	विवरण
			अग्रिम	पारव			
1	2	3	4	5	6	7	8
फारेस्ट ब्लॉक नं० 1							
1	कृषि क्षेत्र सं० 546-598 एवं 551 के जोड़ पर				14.30	बेड़ी लाइन	ग्राम दादी राख व बहुली के दो-
2	कृषि क्षेत्र सं० 546-मी० के दक्षिणी उ०प०उ० मेंड पर		319.00	139.30	5.38	सीधी लाइन	हृदे से अ० सु० कोण 93.00
3	कृषि क्षेत्र सं० 546 एवं 545 के उ०पू०उ०, उभयनिष्ठ सीमा पर		12.00	192.00	10.25	"	पे० च० कोण 273.00 दूरी, 17 जरीब 25 कड़ी पर पी० नं० 1 प्रारम्भ
4	कृषि क्षेत्र सं० 546-मी० के पश्चिमी मेंड पर	प०उ०प०	313.00	133.00	6.50	"	
5	"	"	283.00	103.00	3.82	"	
6	कृषि क्षेत्र सं० 546 एवं 545 के उभयनिष्ठ सीमा पर	पू०उ०पू०	46.00	226.00	8.60	"	
7-क	कृषि क्षेत्र सं० 546 में	"	118.00	298.00	7.00	"	
8	कृषि क्षेत्र सं० 546 व 532 व 551 के जोड़ पर	पू०उ०पू०	118.00	298.00	7.00	"	
9	कृषि क्षेत्र सं० 532 एवं 551 के सीमा पर	प०उ०प०	18.00	198.00	19.60	"	
9-क	वन क्षेत्र सं० 532 में	उ०पू०उ०	18.00	198.00	3.60	"	
10	कृषि क्षेत्र सं० 510 के दक्षिणी मेंड पर	उ०प०उ०	197.00	17.00	12.00	"	
11	वन क्षेत्र सं० 532-मी० के पश्चिमी मेंड पर	"	198.00	18.00	3.80	"	
12	कृषि क्षेत्र सं० 533 के उ०पू० कोण पर	प०उ०प०	278.30	9.30	3.21	"	
13	वन क्षेत्र सं० 532-मी० के प० मेंड पर	उ०प०उ०	204.00	24.00	6.40	"	

कार्यालय 406 वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक- 275 / सी.ए. / ए.ए. - लखनऊ: दिनांक: दिसम्बर 20, 2007
1974 (वन संरक्षण)

सेवा में,

प्रमुख सचिव
उ०प्र० शासन,
वन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय :- मा० सर्वोच्च न्यायालय में आई०ए० संख्या-979 के क्रम में प्रदेश के समस्त जनपदों में वन स्वरूप क्षेत्रों का चिन्हीकरण।

सन्दर्भ :- उ०प्र० शासन का अर्द्ध शा० पत्रांक-3697/14-2-2007, दिनांक 19.12.07

महोदय,

उपरोक्त संदेश के अनुपालन में राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 19.12.2007 को आयोजित किया गया। समिति द्वारा "वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हीकरण" हेतु निम्नानुसार मानक निर्धारण करने की संस्तुति की गयी है:-

- वृक्षों की प्रति हेक्टर न्यूनतम संख्या निम्नानुसार होगी:-

भौगोलिक क्षेत्र	न्यूनतम क्षेत्रफल (हे०)	वृक्षों की न्यूनतम संख्या (प्रति हे०)
विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र	3	100
तराई एवं मैदानी क्षेत्र	2	50

- वृक्षों से तात्पर्य प्राकृतिक रूप से उगे बहुवर्षीय प्रजाति के वृक्षों से है।
- वृक्षों की संख्या की गणना में झाड़ी एवं रूटस्टाक सम्मिलित नहीं होगा।
- भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल का आधार गाटा संख्या वार होगा। परन्तु निजी भूमि के प्रकरण में जहाँ एक गाटा में कई व्यक्तियों के नाम मिंजूमूला के रूप में दर्ज है वहाँ प्रत्येक मिंजूमूला प्लॉट का क्षेत्रफल के मापदण्ड हेतु आधार माना जायेगा।
- निजी या सार्वजनिक भूमि पर किये गये वृक्षारोपण वन स्वरूप क्षेत्रों हेतु चिन्हीत नहीं किये जायेंगे। समिति के संस्तुतियों का कार्यवृत्त संलग्न है।

कृपया राज्य स्तरीय विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों का अवलोकन कर "वन स्वरूप क्षेत्र का चिन्हीकरण"

हेतु मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.12.2007 के क्रम में यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

Khalic

(बी०के० पटनायक)

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश
लखनऊ।

संख्या: (1)/14-2-2007-तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक काग वाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2- प्रमुख वन-संरक्षक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- प्रमुख निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, लखनऊ।
- 5- अपर प्रमुख वन संरक्षक, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- वन संरक्षक, नियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8- समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त उद्यान अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से.

(मदन कुमार)

विशेष सचिव।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर-वन प्रभाग
मीरजापुर

ध्यानाकर्षण श्री प्रबन्ध कुमार (आई०एफ०एस०) सचिव वन

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर
पत्रांक 301 / मीरजापुर / 33 वन स्वरूप / मीरजापुर दिनांक अगस्त 1, 2008
सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ ।

विषय - माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट पीटिशन संख्या 2002 / 95
टी०एन० गोडा वर्मन वनाम भारत सरकार व अन्य के कम में आई०ए०
संख्या 979 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के कम में
वन स्वरूप क्षेत्रों का चिन्हांकन किया जाना ।

सन्दर्भ - आपसे एव सचिव वन से हुई दूरभाष पर हुई वार्ता के कम में ।
महोदय,

उक्त विषयक के कम में उपरोक्त वाञ्छित संशोधित सूचना इस कार्यालय
के पत्रांक 4460 / 33 / मीरजापुर दिनांक 24 जून द्वारा पूर्व में प्रमुख वन संरक्षक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजी गयी थी । जो कि सम्भवतः आपको प्राप्त नहीं हो
सकी थी । उक्त संशोधित रिपोर्ट पुनः आपको भेजी जा रही है ।
सलगनक - उपरोक्तानुसार

भवदीय

(ए०के०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुरवन प्रभाग मीरजापुर

संख्या / अ समादिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1- सचिव वन, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ ।
- 2- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ।
- 3- जिलाधिकारी, मीरजापुर ।
- 4- प्रभागीय वनाधिकारी, कैमुर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर ।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुरवन प्रभाग
मीरजापुर


शासनादेश संख्या 120 / 14-2-2008 / 49 (एल) / 04 दिनांक 18-1-2008 के अनुपालन में चिन्हित की गयी वन स्वरूप क्षेत्र का विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तहसील / रेंज	गांव का नाम	मू-स्वामी का नाम	गाटा संख्या	भूमि कैटेगरी	क्षेत्रफल	कुल वृक्षों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वर्गो	42 घ	1-क सकम्पणीय भूमिधरी	8.8020	1200	-
2.	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वर्गो	54 ग	1-क सकम्पणीय भूमिधरी	6.3240	1887	-
3.	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रदीप कुमार वर्गो	58 ग	1-क सकम्पणीय भूमिधरी	55.000	7000	-
4.	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	कुशियरा	प्रवीण कुमार वर्गो	59 घ	1-क सकम्पणीय भूमिधरी	7.8260	848	खतोनी में क्षेत्रफल 12.6450 है अंकित है किन्तु 4.82 हे० वन विभाग के नाम अंकित हो चुका है। इसलिए कालम संख्या 8 में 7.8260 हे० दर्शाया गया है तथा इसी क्षेत्र में उपलब्ध वृक्षों की संख्या कालम संख्या 9 में दर्शाया गया है।


409

5.	मिर्जापुर	लालगंज / हलिया	सगरा	1-अजित नारायण वर्गो	28/6	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	22,1680	20500	-
				2-अशोक कुमार वर्गो	30/1	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	33,4060	4500	-
				3-विरेंद्र सिंह वर्गो	28/5	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	22,1680	20000	-
				4- लक्ष्मी देवी पत्नी मथुरा प्रसाद	33/3	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	6,4120	5000	-
				5- सतीश कुमार वर्गो	80/1	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	25,7160	18000	-
				6- बैकुण्ठ नाथ वर्गो	40/1	1-क संक्रमणीय भूमिधरी	25,2930	10887	-


 जिल्हाधिकारी
 अध्यक्ष/जिला समिति
 मिर्जापुर ।


 जिला उद्यान अधिकारी
 सदस्य
 मिर्जापुर


 प्रभागीय वनाधिकारी
 ईश्वर दत्त जीव क्त प्रभास
 मिर्जापुर


 उप कृषि निदेशक
 सदस्य
 मिर्जापुर ।


 अ. व. अ.
 जिल्हाधिकारी
 अ. व. अ.
 मिर्जापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक 266 / मीरजापुर / 23 दिनांक, मीरजापुर जुलाई, 16 2018.

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय -

SLOTH BEAR CONSERVATION RESERVE IN MARIHAN- SUKRIT- CHUNAR
LANDSCAPE OF MIRZAPUR FOREST DIVISION, UTTAR PRADESH.

महोदय,

मीरजापुर वन प्रभाग के मडिहान, सुकृत एवं चुनार रेंज अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण, अध्ययन
Vindhyan Ecology and Natural History Foudation, Station Road, Mirzapur के सहयोग से
कराया गया, अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को पुस्तक के रूप में संकलित कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु
आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय

(राकेश चौधरी)

प्रभागीय वनाधिकारी,
मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक:- 387 /26-11 (वेल्सपन एनर्जी) लखनऊ, दिनांक: अक्टूबर, 15 2014,
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, उ०प्र०
मीरजापुर।

विषय:- ग्राम ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद मीरजापुर में मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि० द्वारा 2X660 एम०डब्लू० सुपर क्रिटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan(including wildlife) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1-आपका पत्रांक 1151/मी० क्षे०/33 दिनांक 18-09-2014।
2-प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर का पत्रांक 995/33-वेल्सपन दिनांक 09-09-2014।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों से प्रेषित विषयक प्रस्ताव का अवलोकन करें। उल्लेखनीय है कि ग्राम ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जनपद मीरजापुर में, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी, प्राइवेट लि० द्वारा 2X660 एम० डब्लू० सुपर क्रिटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध इस कार्यालय के पत्रांक 272/26-11(वेल्सपन) दिनांक 24-06-2014 से वांछित आख्या के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा पत्रांक 995/33-वेल्सपन दिनांक 09-09-2014 से स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत परियोजना कैमूर वन्य जीव विहार, मीरजापुर की सीमा से लगभग 25 किमी० दूर मीरजापुर वन प्रभाग क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित है। परियोजना की स्थापना व कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा 10 वर्षों हेतु प्रभाग के पादप व जन्तु जगत के संरक्षण उनसे प्रासंगिक विषयों के सन्दर्भ में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में 184.15 लाख रूपये का प्राविधान किया गया है। उक्त के सम्बन्ध परीक्षण व वांछित आख्या के क्रम में आपके पत्रांक 1151/मी० क्षे०/33 दिनांक 18-09-2014 से प्रश्नगत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) से सहमति के साथ प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके पत्रांक 1151/मी० क्षे०/33 दिनांक 18-09-2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) निम्न शर्तों के अधीन अनुमोदित कर संलग्न किया जाता है।

1- उक्त Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्यों का कार्यान्वयन सुनिश्चित

करने हेतु उक्त प्रबन्ध योजना में उल्लिखित Monitoring Committee का गठन कर जिसका अनुमोदन मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर से प्राप्त करना होगा।

2- जनपद मिर्जापुर व सोनभद्र में कैमूर वन्य जीव विहार क्षेत्र में व सन्निकट आरक्षित वन क्षेत्रों में विचरण करने वाले काले हिरन (Black Buck) के विस्तृत अध्ययन व संरक्षण हेतु एक कार्ययोजना वन्य जीव संस्थान देहरादून से तैयार करवा कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ०प्र० को प्रस्तुत करना होगा।

भवदीय,

(डा० रूपक डे)

प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 389 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, (मध्य क्षेत्र), भारत सरकार केन्द्रीय भवन पॉचवा तल, सेक्टर एच अलीगंज, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव) पश्चिमी क्षेत्र उ०प्र०, कानपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
5. मुख्य प्रबन्धक, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि० मिर्जापुर।

(डा० रूपक डे)

प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

Fr-511

IAS

कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनमद्र
पत्रांक 221 /10-1, दिनांक, चुर्क, शिताम्बर 12, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
मिर्जापुर

विषय- मिर्जापुर रान प्रभाग अन्तर्गत गड़िहान रेंज के ददरीखुर्द ग्राम में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पुर्हंधाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्र संख्या-885/10-1, दिनांक, मिर्जापुर, अगस्त 29, 2024।
महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में गठित समिति की राध्यात्मक रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार,
चुर्क-सोनमद्र

"दाया प्रति समाहित"

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

No 512

गिर्जापुर वन प्रभाग के मडिहान रेंज अन्तर्गत ददरी खुर्द भ्राम में अछानी ग्रुप कम्पनी द्वारा अवैध रूप से थर्मल पावर की स्थापना हेतु व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुंचाने विषय में आस्था देने हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, गिर्जापुर को पत्र सं०-685/10-1, दिनांक, गिर्जापुर, अगस्त 29, 2024 द्वारा गठित समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट-

समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक-06.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मडिहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है-

- 1- प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग गिर्जापुर के वार्ड क्षेत्र के बाहर गिर्जापुर वन प्रभाग के मडिहान रेंज में अवस्थित है।
- 2- मौके पर मौजूद वन प्रभाग गिर्जापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।
- 3- प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेरावन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेरावन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।
- 4- निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।
- 5- प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने-जाने के लिए एक कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मडिहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।
- 6- निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ों की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।
- 7- प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं यहां पेड़ों का घनत्व काफी कम है।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

रामदीप आदिवासी (रामदीप आदिवासी) वन रक्षक हलिया रेंज /समिति के सदस्य	(सन्तोष कुमार) वन दरोगा घोरावल रेंज /समिति के सदस्य	(राम कैलाश आर्य) वन दरोगा गुर्गा रेंज /समिति के सदस्य	(शिवम सिंह) वन दरोगा रावर्डसगंज रेंज /समिति के सदस्य	(सूरज पाण्डेय) वन दरोगा का0व0जी0प्र0 चुर्क /समिति के सदस्य
---------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

(अवध नारायण मिश्रा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
हलिया रेंज
/समिति के सदस्य

(सुरजू प्रसाद)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
घोरावल रेंज
/समिति के सदस्य

(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
घुर्का-सोनभद्र
/समिति के अध्यक्ष

"दाया" प्रति हस्ताक्षर

क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

193
40573

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर।

पत्र संख्या-

/33-1 मीरजापुर, दिनांक, अक्टूबर 09, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर।विषय- मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए०सं०-883/2024 में मा० अधिकरण द्वारा पारित
आदेश दिनांक 23.07.2024सन्दर्भ- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ पत्रांक-388/10-1(कोर्ट केस) दिनांक-
08.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जो आपको सम्बोधित एवं अचोहरताक्षरी को पृष्ठांकित है, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक-03.07.2024 के संस्करण में प्रकाशित समाचार शीर्षक "Expert flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" का स्वतः संज्ञान लेते हुए मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ०ए०सं०-883/2024 के रूप में संस्थित किया गया है।

प्रश्नगत समाचार उत्तर प्रदेश राज्य के मीरजापुर जनपद के मीरजापुर वन प्रभाग के अन्तर्गत मड़िहान रेंज के ददरीखुर्द गाग में सन् 1952 में अधिसूचित कथित वन क्षेत्र में भारी मशीनों का उपयोग कर सड़क निर्माण कर क्षेत्र में वन अधिनियम 1980 या वन (संरक्षण एवं सम्बद्धी) अधिनियम 2023 का उल्लंघन कर क्षेत्र में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा अवैध रूप से थर्मल पावर की स्थापना हेतु व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुंचाने का उल्लेख है।

उक्त वाद में प्रारम्भिक स्तर पर मा० अधिकरण द्वारा दिनांक 23.07.2024 को सुनवाई कर आदेश पारित करते हुये मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक उत्तर प्रदेश को प्रतिवादी सं०-2 के रूप में Implead कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया है तथा वाद की सुनवाई हेतु 25.10.2024 की तिथि नियत है।

विषयक वाद में नोटिस में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर स्थलीय निरीक्षण कराकर जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त विषयक प्रकरण की जाँच वन्य जीव प्रतिपालक की अध्यक्षता में सम्पादित की गयी। संयुक्त जाँच आख्या रिपोर्ट संलग्न है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग के क्षेत्रान्तर्गत आता है तथा विषयक वाद भी उन्हीं से सम्बन्धित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में आवश्यक दिशा-निर्देश देने एवं अपने स्तर अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र०, लखनऊ का पत्र भयसंलग्नकों सहित।

2-शासन का पत्र सं०-2685(1)/14-4-93 दिनांक-18.10.1993

भवदीय

(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

संख्या- 1134 / 331 सामदिनांक।

प्रतिलिपि-1-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ०प्र० लखनऊ को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

रजिस्ट्रार संख्या 2358

फाईल संख्या 14-10-24

दिनांक 14-10-24

"दादा शक्ति समाधि"

(तापस मिहिर)

प्रभागीय वनाधिकारी

कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।

अ-दादा
कैमूर वन्य जीव प्रभाग
मिर्जापुर
दिनांक 14/10/24

क्षेत्रीय वन अधिकारी


मीरजापुर

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0सं0- 883/2024 News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में गठित काम्बिग टीमों की

संयुक्त काम्बिग रिपोर्ट

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0सं0- 883/2024 News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र महोदय के कार्यालय ओदेश दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जॉच समिति का गठन इस आशय से किया गया था कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार स्थलीय निरीक्षण एवं गूगल मैप व फोटोग्राफ संलग्न कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जॉच के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 689/मीरजापुर/एन0जी0टी दिनांक 23 अगस्त, 2024 द्वारा क्षेत्रीय वनाधिकारियों/उप क्षेत्रीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कुल 4 काम्बिग टीमों का गठन कर मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में प्रश्नगत स्थल व आस-पास के वन क्षेत्रों में सघन काम्बिग कर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार स्थलीय निरीक्षण/जॉच की अपेक्षा की गयी। जॉच के क्रम में समस्त टीमों द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2024 को मड़िहान रेंज अन्तर्गत ग्राम ददरी खुर्द में प्रश्नगत स्थल तथा आस-पास के वन क्षेत्रों में गठित टीमों द्वारा समग्र रूप से सघन काम्बिग की गयी। जिसकी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट बिन्दुवार महोदय के समक्ष प्रस्तुत है।

1. " सघन काम्बिग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा-टूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ-डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
2. सघन काम्बिग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस-पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान में अडानी पॉवर की सहायक कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा0लि0 (पूर्व में वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा0लि0 के नाम से) के स्व.मि.त्व मे है, द्वारा परियोजना भूमि को चारो ओर से घेर-बाड़ करने हेतु प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।
4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्टाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमि/वन क्षेत्रों











 31/08/24


से किसी भी प्रकार की लैण्डाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

5. जॉच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर-रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे वेल्स्पन एनर्जी द्वारा वर्ष 2011-12 में सुरक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु बनाया गया था।
6. प्रश्नगत स्थल पर पहुंचने के लिए मीरजापुर-रावर्टसगंज (सोनमद्र) मार्ग से 1.7 किमी० लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसों-कुनवियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग द्वारा आस-पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुंचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जॉच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में सुलभ आवा-गमन हेतु मार्ग पर गड़ढों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।

उपरोक्त काम्बिग ऑपरेशन/स्थलीय निरीक्षण से हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी लेख News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" में व्याख्याकित शिकायत प्रथमदृष्टया मनगढ़ंत एवं असत्य प्रतीत होता है। अतः संयुक्त काम्बिग रिपोर्ट महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक :- यथोपरि।

 महादेव मेर्य उप क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज	 राकेश कुमार सिंह क्षेत्रीय वनाधिकारी सुकृत रेंज	 रोजन्द्र प्रसाद क्षेत्रीय वनाधिकारी विण्डमफाल रेंज	 आनन्द शूक्ल क्षेत्रीय वनाधिकारी चुनार रेंज
 संजय गुप्ता वन रक्षक	 सतीश कुमार वन रक्षक	 प्रमोद कुमार वन दरोगा	 विनीत तिवारी उप क्षेत्रीय वनाधिकारी
 आशीष सिंह वन रक्षक	 मनोज कुमार वन रक्षक	 अभिषेक सिंह वन रक्षक	 सीताराम वन दरोगा


 R.O. Medhag

भा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0स0- 883/2024 News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में गठित जाँच समिति की

जाँच-रिपोर्ट

भा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में विचाराधीन ओ0ए0स0- 883/2024 News item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in के क्रम में मुख्य वन नरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र महोदय के कार्यालय आदेश दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन करते हुए भा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा परित आदेश दिनांक 23.07.2024 में दिये गये निर्देशानुसार स्थलगत निरीक्षण कर लब्धात्मक रिपोर्ट/जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत हेतु निर्देशित किया गया। जाँच के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर संख्या 669/मीरजापुर/एन0ए0स0/2024 दिनांक 23 अगस्त 2024 द्वारा तीन सदस्यीय जाँच समिति का गठन कर प्ररनगत स्थल व आस-पास के क्षेत्रों की सघन काम्बिंग करते हुए सयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गयी। गठित टीमों द्वारा दिनांक 31.08.2024 को काम्बिंग ऑपरेशन करते हुए दिनांक 10.09.2024 को सयुक्त रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। (संलग्नक-1) जिसका अंश विन्दु निम्नवत् है-

1. सघन काम्बिंग में प्ररनगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं गया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा-टूट (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सी-डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
2. सघन काम्बिंग के दौरान प्ररनगत स्थल के आस-पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
3. सयुक्त निरीक्षण के दौरान प्ररनगत स्थल जाँच के पतलम में आसने के लिए एक कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूनिट प्रा0लि0 (यूनिट में परलपन एनर्जी यूनिट प्रा0लि0 नाम से) के स्वामित्व में है, द्वारा परियोजना भूमि को चारों ओर से घेर-बाड करने हेतु प्रिकारस्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौकें पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।
4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लेण्टाना/वन तुलसी आदि झाडियों की सफाई करते हुए मौकें पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमे, वन क्षेत्र से किसी भी प्रकार की लेण्टाना/वन तुलसी आदि झाडियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

5. जौंच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकारस्टड सिमेन्ट-स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेयर-कम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे वेल्सपन एनर्जी द्वारा वर्ष 2011-12 में सुरक्षा कामों के उपलब्ध हेतु बनाया गया था।
6. प्रश्नगत स्थल पर पहुंचने के लिए नीरजापुर-रावर्टसगंज (शानभट्ट) मार्ग में 17 किमी लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसों-कुनवियार वन मार्ग) है। जिस वन किस्म का आस-पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुंचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जौंच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में सुलग आवा-गमन हेतु मार्ग पर गड़ढों को भरने के लिए मिट्टी डाल गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।

उपरोक्त कामिंग ऑपरेशन/स्थलीय निरीक्षण से हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी लेख New Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" - व्याख्यात्मक शिकायत प्रथमदृष्टया मनगढ़ंत एवं असत्य प्रतीत होता है।

उपरोक्त के दृष्टिगत जौंच समिति के सदस्यों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं प्रकरण के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी लेख का अवलोकन सहित अन्य अभिलेखों का परीक्षण किया गया। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये, जिनका विन्दुवार विवरण निम्नवत् है-

1. प्रश्नगत स्थल नखिहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में स्थित है, जिसे वेल्सपन एनर्जी यूपी, प्रा०लि० द्वारा वर्ष 2011 से 2013 के नव्य विभिन्न वास्तुकारों से क्रय किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 834.68 एकड़ है।
2. अगस्त 2019 में उक्त कम्पनी का विधिवत हस्तान्तरण करते हुए अडानी इन्फ्रस्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा समग्र रूप से अधिग्रहित कर लिया गया, जो वर्तमान में नीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा०लि० के नाम पंजीकृत हो गया है।
3. कम्पनी द्वारा क्रय की गयी समस्त भूमि (834.68 एकड़) को हस्तान्तरण के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया। स्पष्ट है कि वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा क्रय की गयी भूमि (परियोजना भूमि) में आरक्षित/संरक्षित/विहिता वन सम्भिलित नहीं है।
4. कामिंग ऑपरेशन में आरक्षित वन क्षेत्र से कहीं भी वृक्षों के कटान की पुष्टि नहीं हुयी है।
5. कम्पनी द्वारा प्रिकारस्टड सिमेन्ट-स्लैब का उपयोग कर मौके पर जो भी बालू कार्य कराया गया है वह परियोजना भूमि में स्थित है। आरक्षित/वन भूमि में इस प्रकार का कोई कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।

6. कतिपय स्थलों पर वाण्टेडी काय के दौरान लैण्डिंग/वन तुलसी प्रतिरक्षात्मक कार्य सफलतापूर्वक एकत्रित किया हुआ पाया गया, आरक्षित भूमि से लैण्डिंग आदि क कटान की पुष्टि नहीं हुई।
7. एप्रोच वन मार्ग पर लगभग 250 मीटर लम्बाई में गिरती अड़ाने का कार्य किया गया था जो वर्षों के कारण लगभग बंद हो चुका है।
8. कम्पनी द्वारा परियोजना भूमि में पूर्व में निर्मित एक कमरा सुरक्षा गार्ड तथा वर्तमान में प्रिकारटेड रिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर रूम पाया गया। आरक्षित/वन भूमि में कम्पनी द्वारा कोई अवसंरचनात्मक कार्य किया जाना नहीं पाया गया।

जांच समिति सदस्यों द्वारा प्ररनगत प्रकरण के समस्त पहलुओं से जांच की गयी, जिसमें आरक्षित/वन भूमि से कटान अथवा अन्य कोई अवसंरचनात्मक कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं हुई। काश्मिर ऑपरेशन/स्थलीय निरीक्षण से हिन्दुस्तान टाइम्स में छपी लेख News Item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" में व्याख्याकित शिकायत प्रथमदृष्टया भ्रमपूर्ण एवं असत्य प्रतीत होता है।

रिपोर्ट महोदय की सेवा में आपस्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:- यथोपरि।

(सदस्य)
शंख मुञ्जम
उप प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर

(सदस्य)
कपिल कुमार
उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुनार

(अध्यक्ष)
अरविन्द राज मिश्रा
प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
पत्रांक- 4419 / मीरजापुर / 10रिट, दिनांक मीरजापुर अक्टूबर 21, 2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024** News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के सम्बन्ध में गठित 3 सदस्यीय जाँच समिति की जाँच रिपोर्ट पर आख्या।

- सन्दर्भ-1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के शासकीय पत्र संख्या-417/पीपीएस/एसीएफ-वन/2024-25, दिनांक 21.10.2024।
- 2- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-को०के०-1346/6ई-2 (एन०जी०टी०) 21.10.2024।
- 3- आपका पत्रांक-1832/मी०क्षे०/10रिट दिनांक 21.10.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि हिन्दुस्तान टाइम्स के दिनांक 03.07.2024 के संस्करण में प्रकाशित समाचार "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" का स्वतः संज्ञान लेते हुए मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ०ए० संख्या-883/2024 के रूप में संस्थित किया गया है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा **Original Application No. 883/2024 NEWS ITEM TITLED "EXPERTS FLAG LARGE-SCALE CLEARING OF VEGETATION IN MIRZAPUR FOREST" APPEARING IN THE HINDUSTAN TIMES DATED 03.07.2024** के आधार पर मा० न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 23.07.2024 को सुनवाई के क्रम में आदेश पारित किया गया, जो निम्नवत् है:-

ORDER

1. This Original Application is registered suo-motu on the basis of the news item titled "Experts flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" appearing in The Hindustan Times dated 03.07.2024.
2. The matter relates to the large scale clearing of a deemed forest area in Mirzapur, Uttar Pradesh for a thermal power project being developed by the Adani Group. As per the article, environmentalists have highlighted large-scale clearing of vegetation using heavy machinery, and construction of roads and other structures in a forested area adjoining Dadri Khurd in Marihan Range of Mirzapur Forest Division of Uttar Pradesh.
3. The article states that the area was to be notified a forest in 1952, but wasn't, and now risks being developed under the terms of The Forest Conservation Amendment Act or the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam 2023 which exempts unrecorded deemed forests altogether from its purview, paving way for their diversion for various infrastructure and other projects.

197

4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kaimoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory.
5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition. Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP).
6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified Reserve Forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur Division. This area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site. 2
7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980.
8. The news item raises substantial issue relating to compliance of the environmental norms and implementation of the provisions of scheduled enactment.
9. Power of the Tribunal to take up the matter suo-motu has been recognized by the Hon'ble Supreme Court in the matter of "Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha & Ors." reported in 2021 SCC Online SC 897.
10. Hence, we implead following as respondents in this matter:
 - (i) Principal Chief Conservator of Forest, Uttar Pradesh, Principal Chief Conservator of Forests, Govt. of Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow, (Uttar Pradesh) 226001.
 - (ii) Chief Wildlife Warden, Uttar Pradesh, 17, Rana Pratap Marg, Lucknow 226001, Uttar Pradesh.
 - (iii) Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Through its Regional Office, Integrated Regional Office, Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector "H", Aliganj, Lucknow - 226020.
 - (iv) District Magistrate, Mirzapur, Rambagh Rd, Ramaipatti, Mirzapur, Uttar Pradesh 231001.
11. Issue notice to the above Respondents for filing their response atleast one week before the next date of hearing.
12. List on 25.10.2024.
मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के क्रम में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-793/मी०/10रिट, दिनांक 16.08.2024 (संलग्नक-1) से प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग की अध्यक्षता में तीन सदस्यी समिति का गठन किया गया। जिसकी

192

रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-1107/मी0/एन0जी0टी0, दिनांक 25.09.2024 (संलग्नक-2) उपलब्ध करायी गयी। साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा अपने स्तर से कार्यालय पत्रांक-689/मीरजापुर/एन0जी0टी0, दिनांक 23.08.2024 द्वारा 03 सदस्यी कुल 04 काम्बिंग टीमो का गठन किया गया, जिसके कम में रिपोर्ट दिनांक 23.09.2024 को उपलब्ध करायी गयी। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखो एवं गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :-

- 1- वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2x660) मेगा वाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाईप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 (भूमिगत वाटर पाईप लाइन हेतु 5.8162 हे0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं विभिन्न प्रजाति के 296 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/THE/14236/ 2015 द्वारा आनलाइन एवं आफलाइन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे परीक्षणोपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 2635/मीरजापुर/15 दिनांक 07.03.2016 द्वारा संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। उपरोक्त के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8वी/यू0पी0/ 08/38/2016/एफ0सी0/125 दिनांक 17.09.2024 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों में उल्लिखित बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि-प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-272/26-11 (वेलेस्पन) दिनांक 24.06.2014 द्वारा वेलेस्पन एनर्जी प्रा0लि0 परियोजना से सम्बन्धित बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं पर परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को प्रतिहस्ताक्षरित आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी। जिसपर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-703/मी0/33 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से उपरोक्त के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी। प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-995/मी0/33 दिनांक 09.09.2014 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-1151/मी0/33 दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया।

उक्त के क्रम में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-389/26-11 (वेलेस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (Including wildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया।

- 2- जनपद-मीरजापुर के मीरजापुर वन प्रभाग अन्तर्गत मडिहान रेंज में ग्राम-ददरी खुर्द, तहसील-सदर में विज्ञप्ति संख्या-617 दिनांक 11.10.1952 द्वारा 1643 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा-4 के विज्ञप्ति संख्या-23(2)36(ब)/14-ख-67 दिनांक 24.07.1967 264.75 एकड़ वन भूमि मा0 महामहिम

राज्यपाल महोदय द्वारा वन भूमि घोषित हुयी। वन वन्दोबस्त अधिकारी, मीरजापुर द्वारा समस्त विधिक प्रक्रिया को पूर्ण करते हुये भा०व०अ० 1927 की धारा-20 का प्रस्ताव बनाकर शासन/उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर विज्ञप्ति संख्या-4646/14-2-20 (41)-77 दिनांक 20.07.1967 के अन्तर्गत वर्ष 1977 में 262.16 एकड़ भूमि विज्ञापित हुयी। अवशेष 1380.84 एकड़ भूमि के सम्बन्ध में उ०प्र० शासन के पत्रांक-VIP-23/14-2019-190जी०/2018 दिनांक 28.06.2019 द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रिया अनुसार वेलस्पन एनर्जी द्वारा कय की गयी 843.68 एकड़ में वन भूमि निहित है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में आख्या की अपेक्षा की गयी। इस सम्बन्ध में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक-1869/जि०भू०व्य०लि०/गैर वन भूमि-टीम गठन-2024, दिनांक 12.02.2024 द्वारा गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट/विस्तृत आख्या/टिप्पणी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-1916/जि०भू०व्य०लि०-2023/थर्मल ए० यू०पी० प्रा०लि०, दिनांक 29.02.2024 के साथ संलग्न गठित संयुक्त टीम की रिपोर्ट (संलग्नक-3) के अनुसार, "1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग के 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम संख्या-244 व 248 पर रकबा 800 व 843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है जो कि ज०वि०अधि० की धारा-117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा-117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।"

3- मा० न्यायालय के उपरोक्त आदेश के समादर में, प्रश्नगत प्रकरण के स्थलीय/अभिलेखीय जाँच हेतु कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-689/मीरजापुर/एन०जी०टी०, दिनांक 23.08.2024 को 03 सदस्यी कुल 04 टीम का गठन किया गया। गठित समस्त चारों टीमों द्वारा दिनांक 31.08.2024 को मडिहान रेंज अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में प्रश्नगत तथा आस-पास के वन क्षेत्रों में गठित टीमों द्वारा समग्र रूप से काम्बिंग की गयी, जिसकी संयुक्त निरीक्षण/काम्बिंग रिपोर्ट में स्थलीय/अभिलेखीय आधार पर जाँच रिपोर्ट (संलग्नक-4) प्रस्तुत की गयी, जिसका मुख्य अंश निम्न प्रकार है :-

1. "सघन काम्बिंग में प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वृक्षों का कटान नहीं पाया गया और न ही वृक्षों के कटान सम्बन्धी कोई साक्ष्य यथा-टूठ (स्टम्प) व लकड़ी के बुरादे (सॉ-डस्ट) आदि की पुष्टि हुयी।
2. सघन काम्बिंग के दौरान प्रश्नगत स्थल के आस-पास के वन क्षेत्रों में भी वृक्षों के कटान सम्बन्धी किसी भी साक्ष्य की पुष्टि नहीं हुयी।
3. संयुक्त निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल जो कि वर्तमान में अडानी पॉवर की सहायक कम्पनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा०लि० (पूर्व में वेलस्पन एनर्जी यूपी प्रा०लि० के नाम से) के स्वामित्व में है, द्वारा परियोजना भूमि को चारों ओर से घेर-बाड़ करने हेतु

- प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब मौके पर रखे पाये गये व लगभग 1100 मीटर लम्बाई में बाउण्ड्री कार्य भी किया जाना पाया गया।
4. कम्पनी द्वारा बाउण्ड्री कार्य के दौरान कतिपय स्थलों पर लैण्डाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई करते हुए मौके पर ही एकत्रित किया गया है। वन भूमि/वन क्षेत्रों से किसी भी प्रकार की लैण्डाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई किये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।
 5. जॉच के दौरान पाया गया कि परियोजना भूमि में एक अस्थाई प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर-रूम तथा एक कमरा बना हुआ है, जिसे वेल्सपन एनर्जी द्वारा वर्ष 2011-12 में सुरक्षा कर्मियों के उपयोग हेतु बनाया गया था।
 6. प्रश्नगत स्थल पर पहुचने के लिए मीरजापुर-रावर्टसगंज (सोनभद्र) मार्ग से 1.7 किमी० लम्बाई का सम्पर्क मार्ग (सरसों-कुनवियार वन मार्ग) है। जिसे वन विभाग द्वारा आस-पास के वन क्षेत्रों/वृक्षारोपण स्थलों पर पहुचने हेतु भी उपयोग किया जाता है। जॉच के दौरान पाया गया कि उक्त वन मार्ग की लगभग 250 मीटर लम्बाई में वर्षाकाल में सुलभ आवा-गमन हेतु मार्ग पर गड़दों को भरने के लिए मिट्टी डाली गयी थी जो मौके पर वर्षा के कारण लगभग बह गयी है।"

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर की अध्यक्षता में गठित 03 सदस्यी समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण /अभिलेखीय परीक्षण किया गया, जिसके कम में तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 23.09.2024 को प्रेषित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है:-

1. प्रश्नगत स्थल मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में स्थित है, जिसे वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा वर्ष 2011 से 2013 के मध्य विभिन्न कास्तकारों से क्रय किया गया है, जिसका कुल क्षेत्रफल 834.68 एकड़ है।
2. अगस्त 2019 में उक्त कम्पनी का विधिवत हस्तान्तरण करते हुए अडानी इन्फ्रा इण्डिया लिमिटेड द्वारा समग्र रूप से अधिग्रहित कर लिया गया, जो वर्तमान में मीरजापुर थर्मल एनर्जी यूपी प्रा०लि० के नाम पंजीकृत हो गया है।
3. कम्पनी द्वारा क्रय की गयी समस्त भूमि (834.68 एकड़) को नामांतरण के उपरान्त राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लिया गया। स्पष्ट है कि वेल्सपन एनर्जी यूपी प्रा०लि० द्वारा क्रय की गयी भूमि (परियोजना भूमि) में आरक्षित/संरक्षित/निहित वन सम्मिलित नहीं है।
4. काम्बिग आपरेशन्स में आरक्षित वन क्षेत्र से कही भी वृक्षों के कटान की पुष्टि नहीं हुयी है।
5. कम्पनी द्वारा प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब का उपयोग कर मौके पर जो भी बाउण्ड्री कार्य कराया गया है वह परियोजना भूमि में स्थित है। आरक्षित/वन भूमि में इस प्रकार का कोई कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुयी।
6. कतिपय स्थलों पर बाउण्ड्री कार्य के दौरान लैण्डाना/वन तुलसी आदि झाड़ियों की सफाई कर एकत्रित किया हुआ पाया गया, आरक्षित भूमि से लैण्डाना आदि के कटान की पुष्टि नहीं हुयी।
7. एप्रोच वन मार्ग पर लगभग 250 मीटर लम्बाई में मिट्टी डालने का कार्य किया गया था जो वर्षा के कारण लगभग बह गये है।
8. कम्पनी द्वारा परियोजना भूमि में पूर्व में निर्मित एक कमरा सुरक्षा गार्ड तथा वर्तमान में प्रिकास्टेड सिमेन्टेड स्लैब द्वारा अर्धनिर्मित लेबर रूम पाया गया। आरक्षित/वन भूमि में कम्पनी द्वारा कोई अवसंरचनात्मक कार्य किया जाना नहीं पाया गया।

(13)

उपरोक्तानुसार गठित कांभिंग टीम द्वारा प्रेषित संयुक्त रिपोर्ट में मड़िहान रेंज के ग्राम ददरी खुर्द में प्रश्नगत स्थल के आस-पास आरक्षित वन भूमि/वन भूमि से वृक्षों का कटान अथवा बड़े पैमाने पर वनस्पतियों की सफाई नहीं हुई है और न ही वन क्षेत्र में कोई नया सड़क/मार्ग निर्माण कार्य अथवा अवसरचनात्मक कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं हुई है, अपितु जो भी कार्य किये गये वह कम्पनी द्वारा क्रय की गयी परियोजना भूमि में किया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अरविन्द राज मिश्रा)

प्रभागीय वनाधिकारी,

मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर

महत्त्वपूर्ण/ई-मेल

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 2054 / 10-1 (कोर्ट केस) लखनऊ, दिनांक 03/ जनवरी, 2025

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,

कोर्ट केस,

उ0प्र0 लखनऊ।

विषय:- मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03.07.2024 के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में।

संदर्भ:- 1.कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-2191/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 15.01.2025

2.मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 कानपुर के पत्रांक-1360/10-1 (कोर्ट केस) दिनांक 28.01.2025

3.मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-3184/मीरजापुर/10रिट/दिनांक 31.01.2025


महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र दिनांक 28.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा विषयक प्रकरण में मुख्यालय स्तर पर गठित जांच समिति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं कार्ययोजना, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक-187/एन0जी0टी0 दिनांक 09.01.2025 की आख्या संलग्न कर प्रेषित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0-883/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा 4,5,6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय स्तर से की गयी पृच्छा के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा पत्रांक-2473/10-1 दिनांक 28.01.2025 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी आख्या के संदर्भगत मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर संदर्भित पत्र दिनांक 28.01.2025 द्वारा प्रेषित आख्या तथा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-2520/(एन0जी0टी0)/मीरजापुर दिनांक 31.01.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या को मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर ने संदर्भित पत्र दिनांक 31.01.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या को संस्तुति सहित संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,



(अनुराधा वेमूरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर
पत्रांक:- 3184/मीरजापुर/10रिट/दिनांक, मीरजापुर, जनवरी 31, 2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
वन्य जीव, उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in the Hindustan Times Dated 03.07.2024 के क्रम में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में।

सन्दर्भ:- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ०प्र० लखनऊ का पत्रांक-2009/10-1 (को०के०) लखनऊ दिनांक 29.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० नम्बर-883/224 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा-4, 5, 6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक-2520/एन०जी०टी०/मीरजापुर/दिनांक 31.01.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा पैरा-4, 5, 6 व 7 के सापेक्ष आख्या उपलब्ध करायी आख्या संस्तुति सहित आपके अवलोकनार्थ अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

Dy. C. S. / श्री शिने
31/1/25

Pr. C. S. (W)
31/1/25

भवदीय

(मनीष मित्तल)

मुख्य वन संरक्षक,

मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषय:- मा0 न्यायालय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Item Titled "Experts Flag Large-Scale Clearing of Vegetation in Mirzapur Forest" Appearing in the Hindustan Times Dated 03.07.2024 के क्रम में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के अनुपालन में।

सन्दर्भ:- कार्यालय प्रधान मुख्य संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2191/6ई-2 (एन0जी0टी0) दिनांक 15.01.2025 तथा कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-2009/10-1 (को0क0) लखनऊ दिनांक 29.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में विषयक प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर-883/224 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा-4, 5, 6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुए आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में अपेक्षित प्रस्तरवार आख्या निम्नवत् है-

पैरा-4 The article highlights..... endemic, threatened, and migratory. के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या-

1. मा0 न्यायाधिकरण के उक्त आदेश दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु-4 में उल्लिखित बिन्दु का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि पर्यावरणविद् श्री देबादित्यो सिन्हा, मैनेजिंग ट्रस्टी, विन्ध्यन इकोलॉजी एण्ड नैचुरल हिस्ट्री फाउण्डेशन को मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मडिहान रेंजों के कतिपय क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप व अन्य सर्वेक्षण हेतु प्राप्त अनुमति के क्रम में द्वारा जुलाई 2018 में मीरजापुर वन प्रभाग के सुकृत, चुनार एवं मडिहान रेंज के कतिपय क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर Sloth Bear Conservation Reserve का प्रस्ताव बनाकर प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर को उपलब्ध कराया गया था, तत्पश्चात कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग के कार्यालय पत्रांक-266/मीरजापुर/ 23 दिनांक 16.07.2018 (संलग्नक-1) द्वारा मीरजापुर वन प्रभाग के मडिहान, सुकृत एवं चुनार रेंजों के अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र को प्रेषित किया गया। परन्तु वर्तमान में प्रश्नगत ग्राम ददरी खुर्द व आस-पास के वन क्षेत्रों को Sloth Bear Conservation Reserve घोषित करने विषयक प्रस्ताव वन एवं वन्य जीव विभाग में विचाराधीन नहीं है।
2. वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 द्वारा ग्राम ददरी खुर्द तहसील सदर, जिला मीरजापुर में प्रस्तावित 1320 (2X660) मेगा वाट ताप विद्युत गृह की स्थापना हेतु जलापूर्ति बाबत भूमिगत वाटर पाईप लाइन एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 8.3581 हे0 (भूमिगत वाटर पाईप लाइन हेतु 5.8162 हे0 एवं सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 2.5419 हे0) आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग

विभिन्न प्रजाति के 296 वृक्षों के पातन का अनुमति के सम्बन्ध में आनलाइन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/THE/14236/ 2015 द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे परीक्षणोपरान्त कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर के पत्रांक 2635/मीरजापुर /15 दिनांक 07.03.2016 द्वारा संस्तुति सहित मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के माध्यम से उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। वर्तमान में उक्त प्रस्ताव भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के स्तर पर विचाराधीन है। उपरोक्त के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत वेलेस्पन एनर्जी यू0पी0 प्रा0लि0 का प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू0पी0/08/38/2016/एफ0सी0/125 दिनांक 17.09.2014 द्वारा अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित पत्र से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों में उल्लिखित बायोडायवर्सिटी कन्जर्वेशन के सम्बन्ध में उल्लेख करना है कि-प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-272/26-11 (वेलेस्पन) दिनांक 24.06.2014 द्वारा वेलेस्पन एनर्जी प्रा0लि0 परियोजना से सम्बन्धित बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान में उल्लिखित बिन्दुओं पर परीक्षण कर मुख्य वन संरक्षक, विन्ध्य वृत्त, मीरजापुर को प्रतिहस्ताक्षरित आख्या उपलब्ध कराने हेतु अपेक्षा की गयी। जिसपर मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-703/मी0/33 दिनांक 21.08.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर से उपरोक्त के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर के पत्रांक-995/मी0/33 दिनांक 09.09.2014 द्वारा उक्त के सम्बन्ध में सुस्पष्ट आख्या उपलब्ध करायी गयी, तत्पश्चात मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्रांक-1151/मी0/33 दिनांक 18.09.2014 द्वारा प्रश्नगत परियोजना के बायोडायवर्सिटी वाइल्ड लाइफ कन्जर्वेशन एण्ड मैनेजमेन्ट प्लान पर सहमति व्यक्त करते हुये प्रतिहस्ताक्षरित कर मूल में प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0 लखनऊ को प्रेषित किया गया। उक्त के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-389/26-11 (वेलेस्पन एनर्जी) दिनांक 15.10.2014 द्वारा Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (Including wildlife) सशर्त अनुमोदित किया गया। (संलग्नक-2)

- कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर के पत्रांक 685/एन-1 दिनांक 29 अगस्त 2024 द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार चुर्क-सोनभद्र की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट की अपेक्षा की गयी। उपरोक्त के क्रम में कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र के कार्यालय पत्रांक 221/10-1 दिनांक 12 सितम्बर 2024 (संलग्नक-3) के द्वारा जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् है-

“समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक 06.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मडिहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है-

- प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मीरजापुर के कार्य क्षेत्र के बाहर मीरजापुर वन प्रभाग के मडिहान रेंज में अवस्थित है।
- मौके पर मौजूद वन प्रभाग मीरजापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।
- प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेराबन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेराबन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।
- निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।

5. प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने-जाने के लिए कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मड़िहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।
6. निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ों की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।
7. प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं वहां पेड़ों का घनत्व काफी कम है।”

पैरा-5 The article also brings.....Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TSP). के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या-

1. मा0 न्यायाधिकरण द्वारा पैरा-5 में उल्लेख करते हुए कहा है कि वेलस्पन एनर्जी यूपी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1320 मेगावाट का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट प्रस्तावित किया गया था, जिसे बाद में मिर्जापुर एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड को स्थानांतरित कर दिया गया था। जब परियोजना अभी भी वेलस्पन एनर्जी के पास थी, तब 21 दिसंबर 2016 को देवादित्यो सिन्हा बनाम भारत संघ में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ ने इसकी पर्यावरणीय मंजूरी को खारिज कर दिया था, साथ ही इस स्थल को मूल स्थिति में बहाल करने का निर्देश दिया था। अडानी पावर लिमिटेड की एक सहायक कंपनी मिर्जापुर थर्मल एनर्जी (यूपी) प्राइवेट लिमिटेड (एमटीईयूपीपीएल) ने अब नए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के लिए आवेदन किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यह 2X800 मेगावाट कोयला आधारित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट (टीपीपी) के लिए है। पर्यावरणीय अनुमति सम्बन्धित कार्यवाही वन विभाग के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नहीं आता है अतः सम्बन्धित विभाग से ही इस पर प्रतिक्रिया लेना उचित होगा।

पैरा-6 It is further stated..... right inside the project site. के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या-

1. शासन के पत्र दिनांक 26.08.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी मीरजापुर के कार्यालय पत्रांक-1869 दिनांक 12 फरवरी 2024 द्वारा राजस्व विभाग व वन विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया। सम्यक जॉचोपरान्त विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी मीरजापुर ने अपने पत्र दिनांक 29.02.2024 (संलग्नक-4) द्वारा उपलब्ध करायी, जिसमें कम्पनी द्वारा क्रय की गयी निजी भूमि में वन भूमि है अथवा नहीं के सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है, जिसका उद्धृत अंश-

“.....1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकबा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खतौनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग के 1952 के विज्ञापित में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या-1225 के क्रम संख्या-244 व 248 पर रकबा 800 व 843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ का प्रकाशन है जो कि ज0वि0अधि0 की धारा-117 में निहित/प्रदत्त शक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा-117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलस्पन के द्वारा क्रय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।”

2. कथित क्रय की गयी परियोजना भूमि ग्राम ददरी खुर्द, तहसील-सदर, जिला मीरजापुर की सीमा से जुड़े दक्षिण में दांती आरक्षित वन, उत्तर में सुखनई आरक्षित वन तथा पूरब में

कन्याश्रीय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर
 संज्ञांक १६६ / मीरजापुर / 23 दिनांक, मीरजापुर जुलाई, 16 2018.

मुख्य मंत्र सचिव,
 मीरजापुर क्षेत्र,
 मीरजापुर।

SLOTH BEAR CONSERVATION RESERVE IN MARIHAN- SUKRIT- CHUNAR
 LANDSCAPE OF MIRZAPUR FOREST DIVISION, UTTAR PRADESH.

मीरजापुर वन प्रभाग के मडिहान, सुकृत एवं चुनार रेंज अन्तर्गत भालू सर्वेक्षण, अध्ययन
 Vindhyan Ecology and Natural History Foudation, Station Road, Mirzapur के सहयोग से
 किया गया अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों को पुस्तक के रूप में संकलित कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु
 आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक- प्रतिलिपि।

भवदीय
 (राकेश चौधरी)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर।

पर्यावरण प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक 3219/26-11 (वेल्सपन एनर्जी) लखनऊ, दिनांक अक्टूबर, 15

2014.

96

✓ मूल्य वन संरक्षण,
मीरजापुर वन, 30940
मीरजापुर।

विषय- ग्राम बदरी सुर्दा, तहसील-सादर, जगमद गीर्जापुर में मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि0 द्वारा 2X660 एम0 डब्लू0 सुपर क्रिटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

- सन्दर्भ:-
- 1-आपका पत्रांक 1151/मी0 धे0/33 दिनांक 18-09-2014।
 - 2-प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, गीर्जापुर का पत्रांक 995/33-वेल्सपन दिनांक 09-09-2014।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों से प्रेषित विषयक प्रस्ताव का अवलोकन करें। उल्लेखनीय है कि ग्राम बदरी सुर्दा, तहसील-सादर, जगमद गीर्जापुर में, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी, प्राइवेट लि0 द्वारा 2X660 एम0 डब्लू0 सुपर क्रिटिकल कोल आधारित थर्मल पावर प्लान्ट की स्थापना के सम्बन्ध इस कार्यालय के पत्रांक 272/26-11(वेल्सपन) दिनांक 24-06-2014 से वांछित आख्या के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर द्वारा पत्रांक 995/33-वेल्सपन दिनांक 09-09-2014 से स्पष्ट विद्या गया है कि प्रश्नगत परियोजना कैम्पूर वन्य जीव विहार, गीर्जापुर वन सीमा से लगभग 25 कि.मी0 दूर मीरजापुर वन प्रभाग क्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित है। परियोजना की स्थापना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा 10 वर्षों हेतु प्रभाग के पादप व जन्तु जगत के संरक्षण जनशो प्रासंगिक विषयों के सन्दर्भ में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में 184.15 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। उक्त के सम्बन्ध परीक्षण व वांछित आख्या के क्रम में आपके पत्रांक 1151/मी0 धे0/33 दिनांक 18-09-2014 से प्रश्नगत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) से सहमति के साथ प्रतिहरताक्षरित कर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः आपके पत्रांक 1151/मी0 धे0/33 दिनांक 18-09-2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में प्रस्तुत Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) निम्न शर्तों के अधीन अनुमोदित कर सत्कर्म किया जाता है।


- 1- उक्त Biodiversity Assessment and Preparation of Conservation Management Plan (including wildlife) में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रस्तावित कार्यो का कार्यान्वयन सुनिश्चित

कृष्य क्षेत्र वन्य जन्तु संरक्षण में स्थापित Monitoring Committee को गठन कर जिसका अध्यक्ष मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव परिचारी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर से प्राप्त करना होगा।

३- सोनभद्र, मिर्जापुर व सोनभद्र में केंचूर वन्य जीव निहार क्षेत्र में च शनिघट आरक्षित वन क्षेत्रों में विघटन करने वाले काले दिहन (black back) को निस्तृत आश्रयन व संरक्षण हेतु एक कार्ययोजना बना जीव संस्थान देहरादून से तैयार करवा कर मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उ०प्र० को प्रस्तुत करना होगा।

संरक्षक- मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि० मिर्जापुर

भवदीय,



(डा० रूपक डे)

प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्राक्षर / उचितदिनांकित।

प्रतिलिपि-भिन्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक, (मध्य क्षेत्र), भारत सरकार केन्द्रीय भवन पॉचवा तल, सेक्टर एच अलीगंज, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक, (वन्य जीव) परिचारी क्षेत्र उ०प्र०, कानपुर।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मिर्जापुर वन प्रभाग, मिर्जापुर।
4. प्रभागीय वनाधिकारी, केमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
5. मुख्य प्रबन्धक, मेसर्स वेल्सपन एनर्जी यूपी प्राइवेट लि० मिर्जापुर।

(डा० रूपक डे)

प्रमुख वन संरक्षक, वन्य जीव,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कार्यालय वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनभद्र
पत्रांक 221 /10-1, दिनांक. चुर्क, सितम्बर 12, 2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
कैमूर वन्य जीव प्रभाग,
भिर्जापुर

विषय- भिर्जापुर वन प्रभाग अन्तर्गत गड्डिहान रेंज के दक्षिणपूर्व प्राग में अदानी ग्रुप कम्पनी द्वारा व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पुहचाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका पत्र संख्या-605/10-1, दिनांक, भिर्जापुर, अगस्त 29, 2024।

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में गठित समिति की राध्यात्मक रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार,
चुर्क-सोनभद्र

"दाया प्रति प्रभागीय"





क्षेत्रीय वन अधिकारी
भीरजापुर रेंज

मिर्जापुर वन प्रभाग के मडिहान रेंज अन्तर्गत बरसी खुर्द ग्राम में अडानी ग्रुप कम्पनी द्वारा अवैध रूप से थर्मल पावर की स्थापना हेतु व्यापक पैमाने पर वनों एवं वन्य जीवों की क्षति पहुंचाने विषय में आस्था देने हेतु प्रभागीय घनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर के पत्र सं०-685/10-1, दिनांक मिर्जापुर, अगस्त 29, 2024 द्वारा गठित समिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट-

समिति के अध्यक्ष/सदस्यगण द्वारा दिनांक-08.09.2024 को प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मडिहान रेंज के क्षेत्रीय वन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह नेगी एवं उनके रेंज के अन्य वन कर्मी भी साथ थे। तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नानुसार है-


- 1- प्रश्नगत स्थल कैमूर वन्य जीव प्रभाग मिर्जापुर के कार्य क्षेत्र के बाहर मिर्जापुर वन प्रभाग के मडिहान रेंज में अवस्थित है।
- 2- मौके पर भोजपुर वन प्रभाग मिर्जापुर के कर्मियों ने बताया कि प्रश्नगत स्थल पर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना प्रस्तावित है।
- 3- प्रश्नगत स्थल पर पत्थरों की घेरावन्दी पाई गई। कुछ स्थानों पर घेरावन्दी क्षतिग्रस्त पाया गया।
- 4- निरीक्षण के समय प्रश्नगत स्थल पर कहीं भी वन्य जीवों का पग मार्क नहीं मिला।
- 5- प्रश्नगत स्थल पर मुख्य मार्ग से आने-जाने के लिए एक कच्चा मार्ग है, जिसे क्षेत्रीय वन अधिकारी मडिहान द्वारा वन मार्ग बताया गया।
- 6- निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर पेड़ों की कटाई किए जाने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला।
- 7- प्रश्नगत स्थल का अधिकांश भाग पथरीला है एवं यहां पेड़ों का घनत्व काफी कम है।

अतः उपरोक्तानुसार रिपोर्ट आपकी सेवा में सादर प्रेषित है।


 (रामदास शर्मा/शर्मा) वन रक्षक हलिया रेंज /समिति के सदस्य	 (सन्तोष कुमार) वन दरोगा घोरावल रेंज /समिति के सदस्य	 (राम कैलाश आर्य) वन दरोगा गुर्मा रेंज /समिति के सदस्य	 (शिवम सिंह) वन दरोगा रावदसांग रेंज /समिति के सदस्य	 (सुरज चाण्डेय) वन दरोगा काठोजीपुर चुर्क /समिति के सदस्य
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(अवध नारायण मिश्रा)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
हलिया रेंज
/समिति के सदस्य


(सुरज प्रसाद)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
घोरावल रेंज
/समिति के सदस्य


(अरविन्द कुमार)
वन्य जीव प्रतिपालक
कैमूर वन्य जीव विहार
चुर्क-सोनभद्र
/समिति के अध्यक्ष

"दाया" प्रति स्तम्भायित


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मीरजापुर रेंज

Scanned with CamScanner

शासन के पत्र संख्या-1705/81-2-2019-800(64)/2016 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 दिनांक 26 अगस्त, 2019 में की गयी प्रेक्षा-प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर एवं जिलाधिकारी मीरजापुर से शासनादेश दिनांक 28.06.2019 के द्वारा निर्धारित की गयी प्रक्रियानुसार परिक्षण आख्या प्राप्त किया जाय ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मे0 वेलस्पन द्वारा कय की गयी भूमि 834.68 एकड मे वन भूमि निहित तो नहीं है के कम में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के पत्र संख्या 2585/मीरजापुर/15 दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा राजस्व विभाग से स्थिति स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है, जिसके कम में कार्यालय जिलाधिकारी मीरजापुर के पत्र संख्या 1869/जि0भू0व्य0 लि0/गैर वन भूमि-टीम गठन/2024 दिनांक 12 फरवरी, 2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर, अपर जिलाधिकारी (भू0/रा0) मीरजापुर, उप जिलाधिकारी सदर मीरजापुर, उपप्रभागीय वनाधिकारी चुनार व तहसीलदार सदर, मीरजापुर की संयुक्त टीम गठित की गयी। समिति द्वारा विभिन्न तिथियों में राजस्व व वन विभाग के विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया। परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये -

1. दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द ग्राम में तथाकथित वन भूमि का उल्लेख मिलता है। वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 18.10.1952 का प्रारम्भ इस प्रकार है-"In exercise of the power conferred by section 117 of the U.P. Zamindari Abolition and Land 1950 (U.P. Act I of 1951), the Governess is pleased to declare that as from the first day of November 1952, all land whether cultivable or otherwise except land for the time being comprising in any holdingand all forest within the village boundries, site in a circles, which have vested in state under the said Act, shall subject to the exceptions shown in schedule and hereto. vest in Gaon Samaj established for the circle.

उपर्युक्त नोटिफिकेशन दो भागों में विभाजित है-

Schedule-1 :- Particulars of uncultivated Land and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs - परन्तु इस सूची में ददरी खुर्द का नाम नहीं है।

Schedule-2 :- Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs.

इस सूची के पृष्ठ संख्या 1225 के कम संख्या 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के संदर्भ में क्रमशः 800 व 843 एकड क्षेत्रफल दर्ज है। दिनांक 18.10.1952 का वन विभाग का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक-1 है।

2. तत्पश्चात् वन विभाग की धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर, 1955 में जारी हुआ, जिसमें ग्राम ददरी खुर्द का उल्लेख नहीं है। दिनांक 26 नवम्बर 1955 का नोटिफिकेशन संलग्नक-2 है।
3. वन विभाग के नोटिफिकेशन संख्या 5056/XIV दिनांक 26 नवम्बर 1955 के धारा 4 के संबंध में जारी नोटिफिकेशन के कम में विज्ञप्ति 5564/XIV



दिनांक 27 दिसम्बर 1955 में पुनः धारा 4 का अग्रिम नोटिफिकेशन जारी हुआ। जिसके क्रम संख्या 57 पर ग्राम ददरी खुर्द के संबंध में मात्र 800 एकड़ भूमि का नोटिफिकेशन है, जिसकी सीमा दक्षिण दांती वन पश्चिम ददरी खुर्द व ददरी गहिरा की कृषिक भूमि व उत्तर सुखनई वन व पूरव दाढीराम वन है। दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का धारा-4 का गजट नोटिफिकेशन संलग्नक-3 है।

4. पुनः वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14-ख-67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। दिनांक 24 जुलाई 1967 के जारी नोटिफिकेशन में ग्राम ददरी खुर्द के गाटों का विवरण दिया गया जो निम्नवत् है:-

शेड्यूल-2 की परिभाषा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	1359फ0 खसरा के अनुसार नवैयत
Particulars of forests and the extant to which they shall not vest in Gaon Samajs	01	151 बीघा 01 बिस्वा	पथरैल
	24	131 बीघा 10 बिस्वा	पथरैल
	68	03 बीघा 02 बिस्वा	नाला
	73/1	14 बीघा 15 बिस्वा	पथरैल
	74मि0	04 बीघा 00 बिस्वा	नदी
	184	105 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	185	13 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
	योग	423 बीघा 12 बिस्वा या 264.88 एकड़	

इस प्रकार वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के शेड्यूल-2 की परिभाषा एवं 1967 में धारा-4 में प्रकाशित ददरी खुर्द के वन भूमि का विवरण एवं 1359फसली खसरा (वर्ष 1952) में भूमि की प्रकृति से स्पष्ट है कि 1359 फसली खसरे में पथरैल, नदी, पहाड़ व नाला की भूमि ही वन भूमि के रूप में प्रकाशित की गयी थी। जो तत्समय में वन भूमि के रूप में थी। दिनांक 24 जुलाई 1967 का नोटिफिकेशन संलग्नक-4 है।

5. दिनांक 24 जुलाई 1967 का जारी विज्ञप्ति धारा-4 भारतीय वन अधिनियम 1927 के अनुरूप ही विज्ञप्ति संख्या 4646/14-2-20(41)-77 दिनांकित 20.07.1977 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 20 के अन्तर्गत कुल 06 गाटों-01मि0, 24मि0, 73/1, 74मि, 184 एवं 185 कुल रकबा 419 बीघा 09 बिस्वा अर्थात् 262.29 एकड़ का आरक्षित वन के रूप में प्रकाशन हुआ। विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 संलग्नक-5 है। इसी धारा 20 के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी में 264.23 एकड़ अर्थात् 107.030 हे0 रकबा वन विभाग के नाम दर्ज है। वर्तमान खतौनी संलग्नक-6 है।

जहाँ तक वन विभाग द्वारा जारी 1952 की विज्ञप्ति का प्रश्न है इस सम्बन्ध में वन विभाग व राजस्व विभाग में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण किया गया, जिसमें निम्नलिखित तथ्य प्रकटित हुए :-

(Handwritten signatures and marks)

(क) वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के पृष्ठ संख्या 1225 के क्रमांक 244 व 248 पर ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में क्रमशः 800 एकड़ व 843 एकड़ क्षेत्रफल का उल्लेख है। जो कि कुल मिलाकर 1643 एकड़ हो जाता है।

राजस्व विभाग के उपलब्ध अभिलेख 1306फ0 के खेवट में भूमि का विवरण निम्नवत् है:-

भूमि का प्रकार	कुल रकबा
परती जजीद व परती कदीम	432.84 एकड़
तालाब	1.18 एकड़
नदी नाला	16.93 एकड़
पथरैल	196 एकड़
जंगल	107.40 एकड़
पहाड़	77.15 एकड़
काश्तकारी भूमि	347.38 एकड़

इस प्रकार 1306फसली खेवट में तालाब, नदी, नाला, पथरैल व पहाड़ की भूमि का कुल 291.26 एकड़ है। इसी प्रकार 1334फ0 के खसरा में ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1202.5 एकड़ है, जिसमें 229.375 एकड़ भूमिधरो के नाम तथा 179.375 एकड़ सीरदारो के नाम भूमि है। तहसील अभिलेखागार में 1359 फसली की खतौनी नहीं मिली परन्तु अभिलेखागार में उपलब्ध 1359फ0 के खसरा में ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1209.562 एकड़ है। जिसमें सीर काश्तकार 118.025 एकड़, बजर 803.718 एकड़, पथरैल 193.062 एकड़, बाध 1.5 एकड़ व रास्ता 0.25 एकड़ व तालाब 1.187 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व पहाड़ 74.5 एकड़ भूमि है। 1359फ0 खसरा में ग्राम ददरी खुर्द का कुल रकबा 1209.562 एकड़ है। अतः राजस्व अभिलेख 1306फसली खेवट, 1334फसली खसरा व 1359फसली खसरा से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन में उल्लिखित वन भूमि का कुल रकबा 1643 एकड़ त्रुटिपूर्ण है। यह किसी भी स्थिति में राजस्व ग्राम के कुल रकबा 1209.562 एकड़ से अधिक नहीं हो सकता।

ख. जिला अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेख 1362फ0 की खतौनी का परीक्षण किया गया जो जीर्ण-शीर्ण है। जिसमें कुछ खातो का विवरण उपलब्ध है। इस खतौनी में श्रेणी-02 - जो सीरदारो के अधिकार में है, कुल 168गाटा कुल रकबा 901.875 एकड़ पर सीरदारो का नाम अंकित है। जिसपर भौतिक वर्ष 01वर्ष लिखा गया है। जिसका अर्थ यह है कि 1362फ0 खतौनी के निर्माण वर्ष 1955 से 01वर्ष पूर्व 1954 से ही उक्त भूमि 901.875 एकड़ सीरदारो के अधिकार में थी। अतः स्पष्ट है कि तत्समय नदी, नाला, पहाड़ व पथरैल की भूमि जो 1952 नोटिफिकेशन के सेड्यूल-2 Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. के रूप में परिभाषित है जिसका रकबा मात्र 264 एकड़ ही है।

ग. वन विभाग के दिनांक 18.10.1952 को वन विभाग के गजट नोटिफिकेशन संख्या 617 में जिला मीरजापुर के ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकबा क्रमशः 800 व 843 एकड़ कुल रकबा 1643 एकड़ को सेड्यूल 02 में रखा गया है तथा सेड्यूल 02 को परिभाषित

[Handwritten signatures and initials]

करते हुए कहा गया है कि - Particulars of forests and the extent to which they shall not vest in Gaon Samajs. अर्थात् उस भूमि का विवरण जो ग्राम सभा में नहीं है तथा तत्समय वन के रूप में है। राजस्व विभाग का 1359फ0 खसरा जमींदारी विनाश अधिनियम के समय तैयार किया गया आधार वर्ष खसरा है खसरा वह राजस्व दस्तावेज है जो प्रति कृषि वर्ष भूमि की प्रकृति, उसपर लगी फसल, भूमि का स्वामित्व आदि प्रदर्शित करता है। 1359फ0 के खसरा में 803.718 एकड़ बजर भूमि दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बजर भूमि रकवा 803.718 एकड़ वन विभाग के 1952 के नोटिफिकेशन के सेड्यूल-2 के अन्तर्गत नहीं है। 1359फ0 खसरा में 803.718 एकड़ रकवा बजर भूमि होना यह प्रदर्शित करता है कि तत्समय उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया था। किन्तु इस का अर्थ यह नहीं है कि उक्त भूमि तत्समय किसी स्वामित्व के अन्तर्गत नहीं थी। 1359फ0 खसरा में पथरैल भूमि का रकवा 193.162 एकड़ व नदी 10.562 एकड़ व नाला 6.375 एकड़ व पहाड़ 74.5 एकड़ कुल रकवा 284.599 एकड़ था।

घ. वन विभाग द्वारा दिनांक 24 जुलाई 1967 को विज्ञप्ति संख्या 23(2)36(ब)/14-ख-67 का धारा 4 के संबंध में नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें दिनांक 27 दिसम्बर 1955 का जारी नोटिफिकेशन में आंशिक परिष्कार करते हुये गाटा संख्या 1, 24, 68, 73/1, 74, मि, 184, 185 कुल रकवा मात्र 264.88 एकड़ (423 बीघा 12 बिस्वा) का नोटिफिकेशन जारी हुआ। 1366 से 1368 फसली खतौनी में उक्त गाटों का विवरण व नवैयत निम्नवत् है-

गाटा संख्या	क्षेत्रफल	नवैयत
1	151 बीघा 1 बिस्वा	पथरैल
24	131 बीघा 10 बिस्वा	पथरैल
68	3 बीघा 2 बिस्वा	नाला
73/1	14 बीघा 15 बिस्वा	पथरैल
74 मि 0	9 बीघा 14 बिस्वा	नदी
184	105 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
185	13 बीघा 12 बिस्वा	पहाड़
योग-	429 बीघा 6 बिस्वा या 268.31 एकड़	

उपरोक्त गाटों में से गाटा संख्या 1, 24, 73/1, 74, 184 व 185 कुल रकवा 423 बीघा 12 बिस्वा अर्थात् 264.88 एकड़ की विज्ञप्ति दिनांक 20.07.1977 विज्ञप्ति संख्या 4646/14-02-20 (41)-77 भारतीय वन अधिनियम की धारा-20 के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ। जिससे स्पष्ट है कि वन विभाग के 1977 के धारा-20 के प्रकाशन में केवल पथरैल व नदी व पहाड़ की ही भूमि का प्रकाशन किया गया था। जिसमें पूर्व की किररी भी बजर भूमि या सीरदारों की भूमि का प्रकाशन नहीं था। वन विभाग की धारा-20 की विज्ञप्ति के अनुरूप ही वर्तमान खतौनी में भी भूमि वन विभाग के नाम दर्ज है। जिसका विवरण निम्नवत् है-

[Handwritten signatures and marks]

वर्तमान गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	पुराना नम्बर
1	13.800हे०	1मि
2	13.380हे०	1मि
3	4.750हे०	1मि
4क	6.000हे०	1मि
4ख	0.250हे०	1मि
5	16.700हे०	24मि
6	10.400हे०	25मि
23छ	2.010हे०	73मि
30	1.750हे०	73मि
31ख	1.010हे०	74मि
32	0.170हे०	68मि
53	6.150हे०	24मि
74	0.450हे०	68मि
198छ	1.310हे०	131मि
219	9.050हे०	184मि
232	9.000हे०	184मि
233	8.000हे०	184मि
234	2.850हे०	185
योग	107.030हे० अर्थात् 423 बीघा 3विस्वा 3धूर अर्थात् 264.23 एकड़	

उक्त से स्पष्ट है कि धारा-20 के प्रकाशन के समय मात्र 264.88 एकड़ भूमि ही वन भूमि थी। जो 1952 के नोटिफिकेशन में प्रकाशित कुल रकवा 1643एकड़ की सत्यता को संदिग्ध करता है।

च. जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा-117- कुछ भूमि आदि का ग्रामसभाओं तथा अन्य स्थानिक अधिकारियों में निहित होना-धारा-01, धारा-04 में उल्लेखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय, राजस्य सकार, (सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिसे नियत रीति से प्रकाशित किया जायेगा) यह प्रख्यापित कर सकती है कि तदर्थ विनिर्दिष्ट किये जाने के दिनांक से निम्न लिखित सभी या कोई वस्तु अर्थात्-

५

५

५

५


- (1) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़कर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं,
- (2) जंगल,
- (3) स्रोत में अथवा जोत की मेड़ पर या बाग अथवा आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर सभी पेड़,
- (4) मीनाशय
- (5) ऐसी भूमि जिनपर धारा-18 की उपधारा 1 के खण्ड क से ग के उपबन्ध लागू होते हैं अथवा धारा-9 में उल्लेखित स्थलों तथा क्षेत्रों पर लगाने वाले हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेलें,
- (6) तालाब, पोखर, निजी नाव घाट, जल प्रणालियां, रास्ते व आबादी के स्थल

जो इस अधिनियम में अधीन राज्य में निहित हो गये हो, उस सम्पूर्ण गांव या उसके भाग के लिए जिसमें उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित ग्राम सभा या किसी अन्य अधिकारिकी में अथवा एक ऐसे स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत ग्राम सभा भी है), और अंशतः दूसरे में निहित हो जायेगे।

उक्त से स्पष्ट है कि धारा-117 की उपधारा-2 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित भूमियों पर ही प्रख्यापन किया जा सकता है। जिसके क्रम में वन विभाग की 1977 की विज्ञप्ति अन्तर्गत धारा-20 के अन्तर्गत श्रेणी-6 की भूमि नदी, पथरैल व पहाड़ की भूमि का ही प्रकाशन किया गया है। 1359 फसली खसरा में बंजर भूमि जिसका रकवा 803.718 एकड़ है, उक्त भूमि 1362 फसली की खातोनी के उपलब्ध अभिलेख में वर्ष 1954 से ही सीरदारों के नाम दर्ज है तत्समय ग्राम सभा की कोई भी भूमि बंजर अंकित नहीं है। वन विभाग की 1952 के विज्ञप्ति में ग्राम ददरी खुर्द के सम्बन्ध में पृष्ठ संख्या 1225 के क्रम संख्या 244 व 248 पर रकवा 800 व 843 एकड़ कुल रकवा 1643 एकड़ का प्रकाशन है। जो कि ज०वि०अधि० की धारा-117 में निहित/प्रदत्त शाक्तियों से विसंगति रखता है साथ ही धारा-117 में उपरिलिखित 6 श्रेणियों की भूमि में नहीं आती है।


अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासनादेश संख्या-617 के शेड्यूल-2 के अन्तर्गत ग्राम-ददरी खुर्द में वन रूप में उपलब्ध समस्त भूमि (264.88) एकड़ भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गयी थी एवं शेष भूमि तत्समय ही उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग को दिया जाना सम्भव नहीं था एवं वर्तमान में भी सम्भव नहीं है एवं इस प्रकार अन्य खातों की भूमि जिसमें वेलेस्पन के द्वारा कय की गयी भूमि भी सम्मिलित है, वह निहित वन के रूप में नहीं है, एवं वन से आच्छादित नहीं है।


तहसीलदार सदर,
मीरजापुर


उप जिलाधिकारी सदर,
मीरजापुर


उप प्रभागीय वनाधिकारी
चुनार, मीरजापुर


अपर जिलाधिकारी (भू०/रा०)
मीरजापुर
28/02/2024


प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र० कानपुर।

पत्र संख्या- 1360 /10-1 (कोर्ट केस) दिनांक, कानपुर, जनवरी 28, 2025

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय- मा० न्यायालय राष्ट्रीय हरित, अधिकरण नई दिल्ली द्वारा Original Application No. 883/2024 News Items Titled "Expert flag large-scale clearing of vegetation in Mirzapur forest" Appearing in The Hindustan Times Dated 03-07-2024 के क्रम में मा० न्यायालय द्वारा परित आदेश दिनांक-23.07.2024 के अनुपालन में।

संदर्भ- आपका पत्रांक-1917/10-1(कोर्ट केस) दि०-17.01.2025

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र द्वारा मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए०नं०-883/2024 में पारित आदेश दिनांक 23.07.2024 के पैरा 4, 5, 6 व 7 वन्य जीव आदि से सम्बन्धित होने का उल्लेख करते हुये आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर द्वारा वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार चूर्क-सोनभद्र से आख्या प्राप्त कर अपने पत्रांक-2473/10-1 दिनांक-28.01.2025 इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उक्त के आधार पर मा० एन०जी०टी० में दायर ओ०ए० सं०-883/2024 के पैरा 4,5,6 व 7 के सम्बन्ध में आख्या निम्न प्रकार है-

"4. The article highlights that this area is part of the proposed Sloth Bear Conservation Reserve and is a crucial habitat for exceptionally rich and threatened wildlife of the savannah and tropical dry deciduous hill forests of the unique Vindhyan-Kalmoor ecosystem. This ecosystem also includes at least 24 terrestrial animals listed in Schedule I of the Wildlife Protection Act 1972. Species documented in the area include Sloth Bear, Leopard, Bengal Fox, Striped Hyena, Asiatic Wild Cat, Rusty Spotted Cat, Sambar, Chinkara, Blackbuck and Mugger Crocodile. The range is also a haven for birding, with grassland species such as the Indian Courser, Yellow-Wattled Lapwing, Sandgrouse, Savannah Nightjar and several other species, many of which are endemic, threatened, and migratory."

बिन्दु-4 पर आख्या-

प्रश्नगत क्षेत्र विंध्यन पारिस्थितिकी तंत्र (इको सिस्टम) के अन्तर्गत आता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में कैमूर वन्य जीव विहार शासन की अधिसूचना सं०-908/14-3-44-78 दिनांक-10 अगस्त 1982 द्वारा स्थापित की गयी है। जिसमें काला हिरण, चीतल, भालू एवं अन्य वन्य जीव संरक्षित किये जा रहे हैं। कैमूर वन्य जीव विहार के अतिरिक्त जनपद सोनभद्र एवं मीरजापुर में अन्य कोई वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र की स्थापना हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय से उच्च स्तर को प्रेषित नहीं किया गया है।

"5. The article also brings to light that the same site was once proposed for a 1320 MW Coal-based Thermal Power Plant by M/S Welspun Energy (UP) Pvt Ltd, which was later transferred to Mirzapur Energy (UP) Pvt Ltd. When the project was still with Welspun Energy, its environmental clearance was set aside by the Principal Bench of the National Green Tribunal in Debadityo Sinha v. Union of India on

By: Cwlv / श्री माने 5

29/11/25

Peerf (wlv)

29/11/2025

December 21 2016, with a direction to restore the site to its original condition, Mirzapur Thermal Energy (UP) Private Limited (MTEUPPL), a subsidiary of Adani Power Limited has now applied for fresh terms of reference (TOR). The proposal states it's for a 2x800 MW Coal based Ultra Super Critical Thermal Power Project (TPP)."

बिन्दु-5 पर आख्या-

टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

"6. It is further stated that the entire area of approximately 1000 acres where the project is proposed is surrounded by notified reserve forest in all directions and is located deep inside the Marihan Forest Range of the Mirzapur division. The area is significantly important for wildlife and catchment of several rivers which flows and originate right inside the project site."

बिन्दु-6 पर आख्या-

प्रश्नगत क्षेत्र मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर के अन्तर्गत आता है। अतः उक्त पर टिप्पणी प्रभागीय वनाधिकारी मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर से लिया जाना उचित होगा।

"7. The above news item indicates violation of the provisions of The Environment (Protection) Act, 1986 and Forest (Conservation) Act, 1980."

बिन्दु-7 पर आख्या-

टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त आख्या वन्य जीव प्रतिपालक, कैमूर वन्य जीव विहार, चुर्क-सोनमद्र के द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक- 27.01.2025 के आधार पर है। प्रश्नगत क्षेत्र कैमूर वन्य जीव विहार के बाहर मीरजापुर वन प्रभाग मीरजापुर के अन्तर्गत आता है। अतः उक्त पर टिप्पणी प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर एवं मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र मीरजापुर से भी लिया जाना उचित होगा।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भुवदीय

(एन.ए.वि.डी.)

मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव,
पश्चिमी क्षेत्र, उ०प्र०, कानपुर।